राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर
उपनिरीक्षक (प्रशिक्षु) बेसिक कोर्स
प्रश्न पत्र – अष्टम्
अपराधशास्त्र एवं अपराध नियंत्रण
[Criminology & Crime Prevention]

(To be approved)

By- जयदेव सिंह

पुलिस निरीक्षक

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर

प्रश्नपत्र अष्ठम
(Paper VIII)
अपराधशास्त्र एवम् अपराधों की रोकथाम
(Criminology & Crime Prevention)

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	**Module (A) : Criminology (**अपराधशास्त्र)	1–69
02	अपराधशास्त्र की अवधारणा (Concepts of criminology)	1–14
03	आपराधिक कारक (Criminological factors)	
04	मनोवैज्ञानिक (Psychological)	15–16
05	समाजशास्त्रीय (Sociological)	16
06	आर्थिक (Economical)	16–17
07	राजनैतिक (Political)	17
08	धार्मिक (Religious)	17–18
09	विचलन एवं अपचारिता (Deviance & delinquency)	18–20
10	वैयक्तिक विचलन (Individual deviance)	21
11	सामूहिक विचलन– सगंठित अपराध, गैंगस्टरिज्म (Collective deviance – organized defiance of authority – organized crime, gangsterism.)	21–23
12	किशोर अपचारिता (Juvenile delinquency)	24–26
13	पेश्वेर अपराधी (Professional criminals)	26–27
14	सामाजिक कुरीतियां(जुआ,मद्यपान,मादक पदार्थ सेवन, वैश्यावृति (Social vices (gambling, alcoholism, drug-abuse & prostitution)	27–32
15	अपराधों में उभरते रूझान (Emerging trends in crime)	32–36
16	दण्डशास्त्र (Penology)	–––
17	दण्डशास्त्र की अवधारणा (Concept of penology)	36–39
18	सजा के प्रावधान , कारावास सहित (Provisions for punishment including imprisonment)	39–40
19	सुधार के उपाय एवं अपराधियों में सुधार (Measures for correction & reform of criminals)	40–55
20	आहत विज्ञान (Victimology)	––
21	अवधारणा और उद्देश्य (Concept & objective)	55–58
22	आपराधिक न्याय प्रणाली और अपराधी (Criminal justice system & criminals)	58–60
23	सामुदायिक पुलिसिंग (Community policing)	–––
24	सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा (Concepts of community policing)	60–61
25	पुलिस के कार्य में समुदायिक भागीदारी (Community participation in police work)	62
26	पुलिस जनता सम्बंध (Police public relationship)	62–65
27	सामुदायिक पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम (अपराधियों के सुधार सहित) Community policing & prevention of crime (including reformation of criminals)	65–66
28	आतंकवाद व उग्रवाद का मुकाबला करने में समुदाय की भूमिका (Role of community	66

	in combating terrorism and insurgency)	
29	कार्यान्वयन रणनीति (Implementation strategy)	66–69
30	सर्वेक्षण व पूर्नरचना (Survey & reengineering)	69
	Module (B) : अपराधों की रोकथाम Crime Prevention	70–91
01	अपराध रोकथाम की अवधारणा	70–75
02	सजग पडोसी योजना	75
03	ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बीट प्रणाली	75–83
04	अपराध बीट प्रणाली , कानून व्यवस्था बीट	83
05	यातायात बीट	84
06	आपराधिक अभिलेख से अपराधों की रोकथाम	84–87
07	आपराधिक आसूचना	87–90
08	अपराध नक्शा	90
09	निगरानी	90–91
10	आपराधिक सूचना प्रणाली ओर अर्न्तराज्य अपराध समन्वय	91
	Module (C) : निगरानी व आसूचना संकलन Surveillance & Collection of Intelligence	**92–109**
01	निगरानी प्रयोग ओर उदेश्य	92–93
02	निगरानी की तकनीक	93–97
03	निगरानी सम्बधी अपराधियों पर निगरानी व आसूचना द्वारा रोक लगाना	97
04	निगरानी और असमाजिक तत्वों की रोकथाम	97–98
05	संदिग्ध व विदेशी व्यक्तियों की निगरानी	98–99
06	निगरानी उपकरण एक परिचय	100–102
07	आसूचना संकलन ट्रेडक्राफ्ट	102–105
08	रेजिंग एण्ड हैण्डलिंग ऑफ सोर्सेज	105–108
09	गुप्त जांच	108–109
	Module (D) : अपराध रिकार्ड तैयार करना व उपयोग करना Preparation & Use of Crime Records-	110-119
01	आपराधिक अभिलेखों का महत्व	110
02	आपराधिक अभिलेखों के प्रकार	110–113
03	आपराधों की रोकथाम में रिकॉर्ड का विश्लेषण और उपयोग	114–117
04	आपराधिक अभिलेखों का कम्पयूटरीकरण तथा महत्व	117–119
	मॉडल प्रश्न –	120–122

Criminology & crime prevention
Module (A): Criminology

अपराधशास्त्र की अवधारणा (Concepts of criminology) & अपराध का अर्थ एवं परिभाषाः– अपराध शास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय प्रसिद्ध मानवशास्त्री टोपनार्ड को जाता है जिन्होंने 1879 में प्रकाशित पुस्तक में अपराध शास्त्र की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या की है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में प्रायः आपराधिक कानून में सुधार पर अधिक बल दिया जाता था, जैसा कि जैरमी बैन्थम और सीजर बकेरिया के अध्ययनों से प्रतीत होता है। इन्हीं विद्वानों ने अपराध के वैज्ञानिक कारणों की अपेक्षा मानवीय मूल्यों (पक्ष) पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य आपराधिक कानूनों का सुधार करना था न कि अपराध के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन। यही वजह थी, कि उनके अध्ययनों में अपराध के वैज्ञानिक कारणों का उल्लेख नहीं पाया जाता।

अपराधशास्त्र की उत्पत्ति दो शब्दों (अपराध एवं शास्त्र) से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान। वास्तव में अपराधशास्त्र अग्रेंजी के शब्द Criminology का हिन्दी अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति स्वयं ग्रीक भाषा से हुई है। क्रिमीनोलजी दो शब्दों से मिलकर बना है क्रिमीन का अर्थ अपराध तथा लोजीआ का अर्थ है ज्ञान या विज्ञान अर्थात शास्त्र । अपराध का अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को अपराध शास्त्र कहते हैं। परन्तु उपर्युक्त परिभाषा काफी संकुचित है, क्योंकि अपराधशास्त्र में केवल अपराध एवं अपराधियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि अपराध के विभिन्न सिद्धान्तों, कारणों, प्रकारों, अपराधियों को दिये जाने वाले दण्ड, उनके प्रकारों, अपराधियों के सुधार एवं उपचार के विभिन्न विधियों एवं सिद्धान्तों का अध्ययन भी किया जाता है। अपराधशास्त्रीय अध्ययन एवं विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है।

सीज़र बकेरिया प्रथम विद्वान थे, जिन्होंने अपराधशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करके इसे प्रतिष्ठा दिलवाई परन्तु अनेक विद्वान अपराधशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते हैं। परन्तु जो विद्वान इसे विज्ञान का दर्जा देते हैं, उनका मानना है कि अपराधशास्त्र भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह विज्ञान होने के लिये कुछ निश्चित मापदण्डो को पूरा करता है। अतः अपराधशास्त्र एक विज्ञान है।

अपराधशास्त्र की परिभाषा देना भी सरल कार्य नहीं है क्योंकि इसकी विषय वस्तु अपराध एवं अपराधियों पर आधारित है जिनके स्वरूप का निर्धारण विभिन्न समय, स्थान और सामाजिक परिस्थितियों के साथ–साथ परिवर्तित होता रहता है। अपराधशास्त्र के शाब्दिक अर्थ के अनुसार अपराध के संग्रह को अपराधशास्त्र कहते हैं। अपराधशास्त्र के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाऐं निम्न प्रकार से हैंः–

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार –अपराधशास्त्र एक विज्ञान के रूप में सामाजिक पृष्ठभूमि में अपराधियों का व उनके मस्तिष्क सम्बन्धी गुणों, आदतों एवं अनुशासन का अध्ययन है।

टैफ्ट के अनुसार –अपराध शास्त्र वह अध्ययन है जिसकी विषय वस्तु के अन्तर्गत अपराध का अर्थ आफर निरोध तथा अपराधियों और बाल अपराधियों के दण्ड और उपचार को शामिल किया जाता है।

इलियट के अनुसार –अपराधशास्त्र, अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है।

रिचर्ड नाईस के अनुसार– अपराधशास्त्र का विज्ञान है जो अपराध, उसके निवारण तथा दण्ड की विधियों के अध्ययन से सम्बन्धित है।

एडविन सदरलैंण्ड तथा क्रेसी के अनुसार –अपराधशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि अपराधशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के साथ–साथ आपराधिक व्यवहार को मापने, वर्गीकरण करने, विश्लेषण करने तथा अपराधों को नियंत्रण एवं अपराधियो के सुधार, उपचार एवं पुनर्वास सम्बन्धी विषयों का अध्ययन करता है।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अपराधशास्त्र वह विज्ञान है जो आपराधिक व्यवहार, अपराधी और अपराध का अध्ययन, विश्लेषण एवं नियंत्रण का अध्ययन करने के साथ–साथ अपराधियों के

सुधार, उपचार एवं पुनर्वास सम्बन्धी बातों का भी अध्ययन करता है। अपराधशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें यह बताता है कि अपराधी अपराध क्यों और कैसे करता है, और उसका नियंत्रण या रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है?

पुलिस के लिए अपराध शास्त्र का महत्व– अपराधशास्त्र का पुलिस के लिये विशेष महत्व है क्योंकि अपराधशास्त्र का अध्ययन पुलिसकर्मियों के लिये आवश्यक ही नहीं बल्कि अत्यन्त उपयोगी भी है। आजकल पुलिस के कार्यों में असीमित विस्तार हो रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में भी अपराधों का विस्तार हो रहा है, अपराध करने के परम्परागत तरीकों में भी काफी परिवर्तन हो रहे हैं। आज के डकैत घोड़े पर सवार होकर डकैती नहीं डालते बल्कि आधुनिक उपकरणों एवं गाडियों का प्रयोग करके योजनाबद्ध ढंग से डकैती डालते हैं । कहने का अर्थ यह है कि आधुनिक विकास के साथ–साथ अपराधियों के वारदात करने के तरीकों में परिवर्तन हो रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने, अपराधों के रोकथाम करने के लिये तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन सफलतापूर्वक करने के लिए पुलिसकर्मियों के लिये अपराधशास्त्र का अध्ययन करना अति अनिवार्य है। अतः पुलिसकर्मियों के लिये अपराधशास्त्र का महत्व इस प्रकार हैः–

1. अपराधशास्त्र पुलिसकर्मियों को अपराध तथा अपराध के प्रकारों, कारणों, कारकों एवं सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने में काफी सहायता प्रदान करता है।
2. अपराधशास्त्र पुलिसकर्मियों को आपराधिक व्यवहार तथा अपराधियों के बारे में जानकारी देता है। अपराधी अपराध क्यों करते हैं? तथा अपराधियों के प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में भी जानकारी मिलती है।
3. आपराधिक व्यवहार पर नियंत्रण करने तथा समाज में अपराधों की रोकथाम करने में भी अपराधशास्त्र पुलिसकर्मियों को काफी योगदान देता है।
4. पुलिस कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाओं में से एक है। अतः सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों, कानूनों एवं आदेशों को लागू करना भी पुलिस का ही कार्य है। कानून निर्माण करने में या अपराध के बदले में क्या दण्ड दिया जाना चाहिए आदि बातों में अपराध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5. अपराधियों की पहचान करना, उन्हें गिरफ्तार करना तथा दण्ड दिलवाने के लिये काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैसे कुछ समय पूर्व सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने, न्यायालय में हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता था। परन्तु कुछ समाजशास्त्रियों व बुद्धिजीवियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने इसको स्वीकार करते हुए इसे महत्व दिया। आज केवल बल प्रयोग करने वाले एवं गम्भीर अपराधों के अपराधियों को ही हथकड़ी लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपराधशास्त्र पुलिस के कार्यों में काफी सहायक है।
6. अधिकतर पुलिस यह जानने में तो सफल हो जाती है कि अपराधी कौन है ? परन्तु वह अपराध क्यों किया गया या किस उद्देश्य के लिये किया गया यह जानने में पुलिस सक्षम नहीं हो पाती। अपराधशास्त्र ही ऐसा विज्ञान जो इन प्रश्नों का उत्तर ढूढ़ने के लिये गहराई से अध्ययन करता है और हमें यह ज्ञान कराता है कि अपराध क्यों होते हैं ? कैसे होते हैं ? प्रयोजन क्या है ? तथा इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से अपराधशास्त्र का ज्ञान पुलिस के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
7. कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू कराने में भी अपराधशास्त्र का अपना महत्व है। किसी व्यक्ति के किस कार्य को अपराध समझा जाये, इस अपराध के लिये उस व्यक्ति को कितना दण्ड दिया जाये और दण्ड कितनी मात्रा में दिया जाये व दण्ड का स्वरूप क्या होना चाहिए? आदि विषयों की जानकारी हमें अपराधशास्त्र द्वारा ही दी जाती है तथा दण्ड कब, कहां व कैसे दिया जाये इस बात का निर्धारण करने में भी अपराधशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त बातों की जानकारी मिलने के पश्चात् पुलिसकर्मियों का कर्त्तव्य पालन आसान हो जाता है और पुलिस के लिये काफी उपयोगी सिद्ध होता है।
8. आजकल अपराधियों को एक मानसिक रोगी समझकर उनका इलाज किया जाता है और इस बात का श्रेय अपराधशास्त्र को ही जाता है। यदि अपराधशास्त्र अपराधियों को सुधारने में बल न देता या तो सम्भवतया आज भी अपराधियों को दण्डित करने के लिये उन्हीं परम्परागत तरीकों का प्रयोग किया

जाता जो प्राचीनकाल में होता रहा है। इस प्रकार से अपराधशास्त्र अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ? तथा उनके पुनर्वास में उनकी किस प्रकार से पुलिस को सहायता करनी चाहिए ? आदि बातों का ज्ञान कराने में पुलिस के लिये काफी उपयोगी है।

9. अपराध एवं अपराधियों के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में अपराधशास्त्र पुलिस की सहायता करती है।
10. अपराध एवं अपराधियों के बारे में नये–नये अनुसंधान कार्य करके तथा उनके बारे में नई–नई जानकारी प्रदान करने में पुलिस कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिये अपराधशास्त्र का पुलिस के लिये अत्यधिक महत्व है।

अपराधशास्त्र के सिद्धान्त

अपराध एक सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक घटना है। प्राचीनकाल से ही समाज में अपराध का अस्तित्व रहा है। सामाजिक विकास के साथ–साथ अपराध के अर्थ एवं कारणों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अपराधों के कारणों को समझने के लिये अलग–अलग समय में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये। प्राचीनकाल में समाज में आध्यात्मवाद का प्रभुत्व था, जिसमें अपराध का मूल कारण देवी–देवताओं के हस्तक्षेप को माना जाता था। 17वीं शताब्दी के अन्त तक किसी निश्चित दण्ड के सिद्धान्त का अभाव पाया जाता था और अपराध का कारण ढूंढे बिना ही मनमाने ढंग से दण्ड दिया जाता था 18वीं शताब्दी तक दण्ड व्यवस्था अनुमान के ऊपर आधारित थी। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में केवल एक कारण को ही अपराध के अध्ययन में शामिल किया जाता था।

अपराधशास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन सर्वप्रथम सीज़र बकरिया ने आरम्भ किया। इसलिये उन्हें अपराधशास्त्र का पिता कहा जाता है। सीज़र बकेरिया ने अपराध के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपने निष्कर्ष प्रतिपादित किये। अपराध क्या है ? अपराध क्यों होते हैं ? अपराधों की रोकथाम कैसे करें ? इन प्रश्नों के हल समाज ने अपने विकास की अवस्था एवं बुद्धि के विकास के अनुरूप भिन्न–भिन्न निष्कर्षों द्वारा निकाला तथा अपने विचार अपराध के बारे में प्रतिपादित किये । इन सभी विचारधाराओं को ही अपराध के सिद्धान्त कहा जाता है। अपराधशास्त्र में प्रतिपादित कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है–

1. **पूर्व क्लासिकल सिद्धान्तः**– पूर्व क्लासिकल सिद्धान्त को पूर्व परम्परावादी सिद्धान्त या प्रेतशास्त्रीय सिद्धान्त के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर पूर्व क्लासिकल से हमारा तात्पर्य उस सिद्धान्त से है जो जरमी बैन्थम एवं सीज़र बकेरिया के काल से पूर्व प्रचलित था। पूर्व क्लासिकल सिद्धान्त के रूप में प्रेतशास्त्रीय सिद्धान्त का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रेतशास्त्रीय सिद्धान्त– प्रेतशास्त्रीय सिद्धान्त को ही सर्वप्रथम सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति प्रेत आत्माओं के वशीभूत होकर ही अपराध करता है। उस समय अपराधी को अपराध के लिये दोषी नहीं माना जाता था, बल्कि इसका उत्तरदायित्व प्रेत आत्माओं पर माना जाता था और उस व्यक्ति को पापी के नाम से पुकारा जाता था। उस जमाने में दण्ड व्यवस्था के नाम से उस व्यक्ति को शारीरिक दण्ड दिया जाता था और शारीरिक दण्ड तब तक दिया जाता था जब कि वह प्रेतात्मा(पापी आत्मा) उसे छोड़कर न चली जाये। इस दण्ड व्यवस्था में शरीर को दागना या जलाना तथा उंगलियों को मरोड़ना इत्यादि शामिल था तथा बडी सजा के रूप में उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया जाता था। दण्ड मिलने तथा पापी आत्मा के निकल जाने पर, वह व्यक्ति पूर्व सम्मान के साथ समाज में रह सकता था।

आलोचना– प्रेतशास्त्रीय सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती हैः–

1. यह सिद्धान्त अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करता इसलिये आज के युग में कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि प्रेतात्माओं का कोई अस्तित्व नहीं है।
2. अपराधी के लिये साधारण शारीरिक दण्ड कष्टदायक नहीं होता परन्तु दण्ड देने की विधियां अमानवीय एवं क्रूरतापूर्ण थी जिसके फलस्वरूप इसकी कड़ी आलोचना की गई।
3. इस सिद्धान्त के फलस्वरूप समाज में स्वतंत्र इच्छा की विचारधारा उत्पन्न हुई इसमें दण्ड व्यवस्था बदले की भावना पर आधारित थी जो, अनुपयुक्त एवं अनुचित थी।

4. इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का उद्देश्य प्रेतात्मा को भगाना है, न कि अपराधी को सुधारना। अतः इस सिद्धान्त को आलोचना का सामना करना पड़ा।

2. परम्परावादी स्वतन्त्र इच्छा का सिद्धान्त–

प्रेतशास्त्रीय विचारधारा पर आधारित सिद्धान्त के ठीक विपरीत अपराध के जिस सिद्धान्त की उत्पत्तित हुई वह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित था। इसीलिये इस सिद्धान्त को परम्परावादी स्वतंत्र इच्छा के सिद्धान्त के नाम से पुकारा जाता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में जरमी बैन्थम, सीज़र बकेरिया, सैमुअलरोमिली तथा एडवर्ड विंगस्टोन आदि के नाम प्रमुख हैं। इस सिद्धांत का मानना था कि मानव अपनी इच्छा से स्वतंत्र है, वह चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। मनुष्य किसी भी ज्ञात या अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर अपराध नहीं करता बल्कि अपने सुख या आनन्द के लिये अपनी इच्छा से अपराध करता है। इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अपराधी की गम्भीरता को उसके द्वारा हुई हानि से मापना चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें इससे पूर्व के सभी सिद्धान्तों की अच्छाइयां निहित नहीं है, अपितु इसके पश्चात् के सभी सिद्धान्त इसकी अच्छाईयों को स्वीकार करते हैं। अर्थात आधुनिक सम्प्रदायों की शुरूआत इसी सिद्धान्त से होती है।

यह सिद्धान्त सुखवाद की मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। अतः इसका प्रमुख आधार यह है कि मनुष्य उन्हीं कार्यों को बार–बार करता है इनमें उसे सुख या खुशी या आनन्द की प्राप्ति होती है और उन कार्यों से दूर रहता है जिसे शारीरिक कष्ट या दुख मिलते हैं। अतः इन अपराधों को समाप्त करने के लिये अपराधियों को कडे से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए ताकि आपराधिक कार्यो के द्वारा मिलने वाले आनन्द के साथ–साथ उसे दुख भी प्राप्त हो। दण्ड व्यवस्था का निर्माण अपराधों की गम्भीरता के आधार पर ही होना चाहिए तथा सभी अपराधियों को समान दण्ड दिया जाना चाहिए व आपराधिक व्यवहार के लिये अपराधों को ही उत्तरदायी समझना चाहिए न कि अपराध या किसी अन्य व्यक्ति या प्रेतात्मा को।

सिद्धान्त की देन – परम्परावादी स्वतंत्र इच्छा के सिद्धान्त की प्रमुख देन या विशेषताऐं इस प्रकार से हैं–

1. इस सिद्धान्त ने धार्मिक अन्धविश्वासों पर आधारित भूत प्रेत सम्बन्धी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया और अपराध की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर करने का प्रयास किया।
2. इस सिद्धान्त ने अपराधशास्त्रियों का ध्यान अपराध की अपेक्षा अपराधों की ओर दिलाया।
3. इस सिद्धान्त ने सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विचारधारा प्रस्तुत की कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को शिक्षा के द्वारा बदला जा सकता है।
4. इस सिद्धान्त ने यह समझाने का प्रयास किया कि आपराधिक व्यवहार/अपराध का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अपराधी पर होता है न कि प्रेतात्मा पर। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिये अपराध करता है।
5. प्रत्येक व्यक्ति सोच समझकर अपने सुख के लिये ही अपराध करता है। वह उन्हीं कार्यों को बार–बार करने का प्रयास करता है जिनसे उसे खुशी या आनन्द मिलता है अर्थात सुख मिलता है तथा उन कार्यों से बचना चाहता है। जिनसे उसे दुख मिलता है।
6. किसी व्यक्ति के आपराधिक आचरण या व्यवहार द्वारा कितनी क्षति हुई है इसका अनुमान लगाया जायेगा तदोपरान्त उसके आधार पर ही उसे दण्डित किया जाना चाहिए। बड़े अपराध के लिए बड़ा दण्ड तथा छोटे अपराध के लिये छोटा या कम दण्ड दिया जाना चाहिए।
7. इस सिद्धान्त के आधार पर इग्लैंड तथा फ्रांस ने पहली बार दण्ड संहिता का निर्माण किया जो कि इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों बैंथम और बकेरिया द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित है।

सिद्धान्त की आलोचना– अपराधशास्त्र के पूर्व सिद्धान्त की तरह यह सिद्धान्त भी आलोचना का शिकार हुआ लेकिन इस सिद्धान्त की आलोचना भी इस सिद्धान्त के कुछ समर्थकों द्वारा की गई, जिन्हें नव परम्परावादी अपराधशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है। इनमें डा. गिलीन का नाम प्रमुख है। इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती हैः–

1. यह सिद्धान्त पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों तथा अभ्यस्त अपराधियों को समान मानता है और उनमें कोई अन्तर नहीं करता। यह उचित नहीं है।
2. यह सिद्धान्त असमर्थ, बीमार, असक्षम और अयोग्य व्यक्तियों को भी अपराध करने में सक्षम मानकर चलता है और ऐसे लोगों को भी उनके कार्यों के लिये उत्तरदायी मानता है जबकि यह उपयुक्त

नहीं है क्योंकि एक अबोध बच्चे, पागल व्यक्ति और बीमार व्यक्तियों को आपराधिक कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम का सही ज्ञान नहीं होता है। अतः यह सिद्धान्त इन व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं करता इसलिये यह सिद्धान्त अधूरा है।

3. यह सिद्धान्त अपराध की प्रकृति पर कोई ध्यान नहीं देता अपितु उसके आपराधिक कार्य को महत्व देकर उसे दण्डित करने की सिफारिश करता है।
4. यह सिद्धान्त बदले की भावना पर आधारित माना जाता है, क्योंकि इसमें अपराधी को उतना या उससे अधिक दुख पहुंचाने की सिफारिश करता है जितना उसे सुख या आनन्द मिलता है।
5. यह सिद्धान्त व्यक्ति की मानसिक एवं संवेगात्मक परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि इनकी उपेक्षा करता है, जो कि अपराध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. **नव परम्परावादी सिद्धान्त** – स्वतंत्र इच्छा वाला परम्परवादी सिद्धान्त अपने ही समर्थकों की आलोचना का शिकार बना। फलस्वरूप उन्हें अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ा। इस नई विचारधारा को अपराधशास्त्र में अभिनव मूल सिद्धान्त या नव परम्परावादी सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। नव परम्परावादियों ने परम्परावादियों द्वारा अपराध एवं अपराधों में अन्तर न करने की भूल को सुधारा और यह विचारधारा प्रस्तुत की कि अपराधी के दण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए तथा निष्पक्ष रूप से दण्ड देते समय बच्चों, औरतों तथा बीमार और पागल व्यक्तियों की मानसिक क्षमता में अन्तर करके उसके अनुसार ही दण्ड देना चाहिए। इसके साथ–साथ पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों और अभ्यस्त या आदतन अपराधियों में भी अन्तर करके ही दण्ड देना चाहिए। नव परम्परावादी सिद्धान्त में संवेगात्मक कारकों को भी समान महत्व दिया गया और इस तथ्य को स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति की तर्क शक्ति कमजोर है उसे दण्ड भी कम मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। नव परम्परावादी अपराध शास्त्रियों में जॉन लेविस गिलीन का नाम प्रमुख है।

नवपरम्परावादी सिद्धान्त की देन–

1. नवपरम्परावादी सिद्धान्त की प्रमुख देन यह है कि इस सिद्धान्त ने दण्ड संग्रह में सामान्य अपवादों को उपयुक्त स्थान दिलाया और भारतीय दण्ड संग्रह में भी सामान्य अपवादों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
2. इस सिद्धान्त ने प्रथम बार नये अपराधियों तथा अभ्यस्त अपराधियों में अंतर स्पष्ट किया।
3. यह सिद्धान्त मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को उनके कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराते समय छूट देने की सिफारिश करता है।
4. मानसिक रूप से विकृत या पागल व्यक्तियों को भी अपराधियों की भांति समाज से दूर रखा जाना चाहिए ताकि अपराधों में कमी हो। इसके परिणामस्वरूप ही पागलखानों एवं सुधार संस्थाओं की उत्पत्ति हुई।
5. इस सिद्धान्त ने अपराधशास्त्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि प्रत्येक अपराधी के अपराध करने का कारण व्यक्तिगत होता है।
6. नव परम्परावादी सिद्धान्त ने सर्वप्रथम इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सभी अपराधों का कोई न कोई कारण होता है जो अपराध और अपराधी के वातावरण से जुड़ा है।

आलोचनाः–

1. यह सिद्धान्त भी मूल सिद्धान्त से अलग हटकर अपनी कोई नई विचारधारा विकसित नहीं कर सका।
2. यह सिद्धान्त भी परिस्थितियों की अपेक्षा तर्क को अधिक महत्व देता है जो ठीक नहीं है।
3. यह सिद्धान्त अपराधियों को अपने कार्य के प्रति गैर जिम्मेदार साबित होने का मार्गदर्शन करता है जिसका दुरुपयोग अनेक अपराधियों द्वारा किया जाने लगा

भौगोलिक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त का आधुनिक नाम इकोलोजिकल सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधों का सम्बन्ध भौगोलिक परिस्थितियों से होता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ही अपराधों का निर्धारण करती हैं। इन परिस्थितियों को भागौलिक संस्कृति, जनसंख्या, तापमान और जलवायु के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ उपजाऊ भूमि के निवासी शांतिप्रिय होते हैं

जबकि घनी आबादी वाले स्थानों में अपराध अधिक होते हैं। गर्म क्षेत्रों में मारपीट तथा यौन अपराध अधिक होते हैं जबकि ठंडे स्थानों में चोरी तथा डकैती के अपराध अधिक होते हैं। इस सिद्धान्त के विचारकों में एडोल्फ क्वेटलेट, मान्टेस्क्यू और पीट्रो गौरी इत्यादि प्रमुख हैं इन विचारकों के अनुसार सभी भौगोलिक परिस्थितियां व्यक्ति एवं समाज के व्यवहार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। सर्दी के मौसम में चोरी अधिक होती है जबकि गर्मी के मौसम में नकबजनी व लूट की घटनाऐं अधिक होती हैं।

सिद्धान्त का योगदान– यद्यपि भौगोलिक सिद्धान्त उतना महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं है जितना कि परम्परावादी सिद्धान्त। परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त ने अपराधशास्त्रीय अध्ययन को एक नया मोड़ देकर एक नई दिशा प्रदान की है। इस सिद्धान्त की प्रमुख देन या विशेषताऐं इस प्रकार हैंः–

1. इस सिद्धान्त ने अपराध के अध्ययन क्षेत्र में नक्शा ग्राफ बनाकर अपराध का विश्लेषण करने की प्रथा शुरू की जिसकी सहायता से आज भी अपराध चार्टों का उपयोग किया जाता है।
2. अपराध में मौसम व क्षेत्र का अपना व्यक्तिगत प्रभाव होता है।
3. इस सिद्धान्त ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अपराध में केवल व्यक्तिगत व्यवहार ही प्रभाव नहीं डालता बल्कि कुछ हद तक भौगोलिक परिस्थितियां एवं वातावरण भी अपराध के लिये उत्तरदायी हैं।

सिद्धान्त की आलोचना– अपराध के अन्य सिद्धान्त की तरह यह सिद्धान्त भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह मानवीय जीवन के केवल भौगोलिक पक्ष पर ही अधिक बल देता है। इसलिये इसे आलोचना का शिकार बनना पड़ा। इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है।

1. यह सिद्धान्त अपराधों की व्याख्या करते समय भौगोलिक तत्वों की व्याख्या बढ़ा–चढ़ा कर करता है।
2. इस सिद्धान्त में अपराधी की अपराध करने की इच्छा को गौण बनाकर पूरी प्रकृति को ही अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है।
3. इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधों की रोकथाम करना व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर, क्योंकि प्रकृति एवं भौगोलिक परिस्थितियां ही अपराध का कारण है जिन्हें नियत्रंण में करना व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो उचित नहीं है।
4. यह सिद्धान्त आपराधिक व्यवहार की अपूर्ण व्याख्या करता है क्योंकि यह केवल मानवीय जीवन के भौगोलिक पक्ष पर ही अधिक बल देता है।
5. यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक एवं अव्यवस्थित है, क्योंकि यह अपराध की सही व्याख्या नहीं करता।
6. यह सिद्धान्त सभी प्रकार के अपराधों पर लागू नहीं होता इसलिये यह सिद्धान्त अपूर्ण और अधूरा है।

5 प्रारूपवादी या प्रत्यक्षवादी सिद्धान्तः– 19वीं शताब्दी में कुछ मनौवज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि अपराध न तो स्वतंत्र इच्छा द्वारा होता है और न ही पाश्विक प्रवृतियां ही अपराध करवाती हैं बल्कि अपराधी की मानसिक संरचना और मानवशास्त्रीय विशेषताऐं ही अपराध के कारण हैं इसे इटालियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त बड़ा चर्चित रहा। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी एक विशेष प्रकार का होता है। अपराधियों का यह वर्गीकरण अपराधी की शारीरिक रचना एवं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किया गया था। इस सम्प्रदाय में तीन विचारधारायें शामिल हैं जो निम्नलिखित हैंः–

जैवकीय सिद्धान्त या इटैलियन सम्प्रदायः– इन सिद्धान्त के प्रतिपादक लोम्ब्रोसो थे। जो इटली के रहने वाले थे। इनका सिद्धान्त मानवशास्त्रीय ज्ञान पर आधारित था। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी व्यक्ति एक विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें पशुओं जैसी विशेषताऐं पाई जाती हैं। उन्होंने कुछ कैदिया के बारे में अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी जन्म से ही विलक्षणताओं से युक्त होते हैं। अपराधियों के चेहरों के विभिन्न अंगों की असमानता के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों में

शारीरिक विलक्षणताएं अपराध का कारण नहीं होती बल्कि अपराध सूचक चिन्ह होती हैं। अपराधी व्यक्तियों में कष्ट सहन करने की शक्ति अधिक होती है। यह दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं लगा पाता है। इस सिद्धान्त के अन्य समर्थकों में गारफेली, एनरिकों फेरी, हूटन व शेलडन आदि शामिल हैं।

सिद्धान्त की देन– इस सिद्धान्त की विशेषताएं निम्न हैं–

1. अपराधी की जन्म से ही शारीरिक पहचान की जा सकती है।
2. कुछ शारीरिक दोषों के कारण उन्हें पहचाना जा सकता है।
3. अपराधी में पैतृक गुण होते हैं।
4. हुलिया तैयार करने में सहायक हैं।

सिद्धान्त की आलोचनाः– लोम्ब्रोसो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की जाती है–

1. आधुनिक खोजों से यह साबित हुआ है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही अपराधी गतिविधियों अपराधी में वंश परम्परा से आती हैं।
2. आजकल यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक दोषों वाले अपराधी अपराध करते हैं।
3. यह सिद्धान्त व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपराधी की पहचान करने के प्रयास करता जो अनुपयुक्त है।
4. यह सिद्धान्त अन्य कारकों की उपेक्षा करता है जो अपराध को समझने में काफी उपयोगी होते हैं।

मानसिक परीक्षण का सिद्धान्त– परम्परावादी सिद्धान्त की दूसरी विचारधारा मानसिक परीक्षण का सिद्धान्त है जिसके जन्मदाता डा. गोडार्ड थे। उनके अनुसार व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं की उपेक्षा अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण अपराध करते हैं। अपराधी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से इसलिये भिन्न हैं क्योंकि उनमें बुद्धि का स्तर कमजोर है। कमजोर बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं– जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि व मन्द बुद्धि। इन व्यक्तियों में बुद्धि का निम्न स्तर पाया जाता है, वह अच्छे–बुरे का अन्तर नहीं कर पाता और वह मानसिक हीनता के कारण अपराध कर बैठता है। इसके प्रमुख समर्थ चार्ल्स गोरिंग, विनशिप, डग्डेल, लांगे, न्यूमैन हौर शुल सिंग इत्यादि हैं।

सिद्धान्त की देन– मानसिक परीक्षण के सिद्धान्त की प्रमुख देन इस प्रकार है–

1. लगभग सभी अपराधी मानसिक दृष्टि से कमजोर होते हैं।
2. निम्न मानसिक स्तर वाले व्यक्तियों में कानूनों को जानने, समझने और उनके उल्लंघन के परिणामों को जानने की क्षमता नहीं होती जिसके फलस्वरूप वे अज्ञानतावश अपराध कर बैठते हैं।
3. मानसिक दुर्बलता पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती है।
4. यह सिद्धान्त अपराध को रोकने के लिये ऐसे व्यक्तियों का बन्ध्याकरण करने की सिफारिश करता है।

सिद्धान्त की आलोचना– अन्य सिद्धान्तों की भांति मानसिक परीक्षण सिद्धान्त को भी अनेक विद्वानों की आलोचना का शिकार बनना पड़ा। इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की जाती है।

1. यह सिद्धान्त अपराधों की व्याख्या मानसिक स्तर के मूल्यांकन के आधार पर करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के प्रचलन के पश्चात इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और अपराधों को समझने के दृष्टिकोणों में काफी अन्तर आ चुका है।
2. डा. कोलोमन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यद्यपि बहुत से अपराधी मानसिक दृष्टि से निर्बल होते हैं परन्तु अपराधी एक जैसे नहीं होते हैं और सभी मानसिक दृष्टि से निर्बल नहीं होते हैं। अतः यह सिद्धान्त पूर्ण नहीं है।
3. यह सिद्धान्त अपराध रोकने के लिये बन्ध्याकरण पर बल देता है जो उचित नहीं है।

मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त – इस सिद्धान्त के प्रतिपादक डा. सिग्मन्ड फ्रायड थे। डा. फ्रायड के अलावा इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में एडलर, काल युंग तथा हिलाई आदि का नाम प्रमुख हैं। अर्थात जब व्यक्ति पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य किसी कारण से मानसिक अव्यवस्था का शिकार होता है तो वह अपनी दबी हुई इच्छाओं को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है। इस प्रकार प्राकृतिक इच्छाओं को दबा लेना ही अपराध का एक प्रमुख कारण बना जाना है। इस विचारधारा के अनुसार अपराध मानसिक संघर्षों से मुक्ति पाने का प्रयास है। मानसिक दबाव से संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है।

सिद्धान्त की देन–

1. व्यक्ति मानसिक दुर्बलता के कारण अपराध करता है।
2. जब व्यक्ति अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है तो उसमें संवेगात्मक संघर्ष एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उसे आपराधिक व्यवहार करने के लिये प्रेरित करती है।
3. दबी हुई इच्छाएं मस्तिष्क से बाहर निकलने के लिये रास्ता तलाश करती हैं परन्तु जब वह रास्ता आपराधिक व्यवहार की ओर मुड़ जाता है तो उसकी इच्छाएं अपराध का कारण बन जाती हैं।

सिद्धान्त की आलोचनाः– अन्य सिद्धान्तों की तरह यह सिद्धान्त भी पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त केवल मानसिक दुर्बलताओं का अध्ययन करता है न कि अन्य सामाजिक व आर्थिक कारको का। दूसरे सभी मानसिक रोगी दुर्बल नहीं होते इसलिये सभी अपराधियों जैसे– शराबियों, जुआरियों और सट्टा खेलने वालों पर उसको लागू किया जा सकता। अतः यद्यपि यह सिद्धान्त काफी महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालता है परन्तु यह सिद्धान्त सम्पूर्ण नहीं है। बल्कि इस विषय में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं।

समाजशास्त्रीय सिद्धान्त – इस सिद्धान्त ने अपराध के कारणों को सामाजिक सम्बन्धों के साथ जोड कर अपराध की व्याख्या की है। इसके अन्तर्गत सामूहिक जीवन के प्रभाव सामाजिक मनोवृत्तियों, सामाजिक स्थिति के प्रयास, व्यक्तियों के और अनेक प्रकार की परिस्थितियों एवं सम्बन्ध आदि तत्वों को महत्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के समर्थकों में दुर्खीम, रॉबर्ट किंग मर्टन , सदरलैंड, क्वार्ड ओहलिन, डोनाल्ड टैफ्ट,

थासट्रेन सेलिन, इलियट तथा इलियम आगर्बन, लेमअर्ट और टेनस बॉम इत्यादि के नाम महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक घटनाएं इतनी ही वास्तविक हैं जितना कि मनुष्य का व्यवहार या भौतिक तत्व। दुर्खीम ने 1893 में प्रकाशित अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में एनामी या अलगाव को धारणा का प्रतिपादन किया। दुर्खीम के अनुसार एनामी की उत्पत्ति लक्ष्यों पर नियंत्रण टूट जाने से होती है। ये असीमित आकांक्षाएँ व्यक्ति के व्यवहार पर निरन्तर दबाव उत्पन्न करती हैं अर्थात एनामी या अलगाव की धारणा का प्रतिपादन किया। दुर्खीम के अनुसार एनामी की उत्पत्ति लक्ष्यों पर नियंत्रण टूट जाने से होती है। ये असीमित आकांक्षायें व्यक्ति के व्यवहार पर निरन्तर दबाव उत्पन्न करती है। अर्थात एनामी वह स्थिति है जिसमें समाज के सामूहिक नियम व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने में असफल होते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट किंग मर्टन ने अलगाव के सिद्धान्त का निर्माण किया। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार अपराध एक सामाजिक परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया है क्योंकि विचलित व्यवहार ही समाज में एनामी की स्थिति उत्पन्न करता है और एनामी की स्थिति के लिये व्यक्ति नहीं अपितु समाज ही उत्तरदायी होता है। सामाजिक संरचना के एक निश्चित दबाव के कारण ही एनामी की स्थिति उत्पन्न होती है।

समाजशास्त्रीय सिद्धान्त में प्रो. सदरलैंड का विभिन्न सहचर्य सिद्धान्त अत्यधिक महत्व रखता है। सन 1939 में अनेक अपराधियों के गहन अध्ययन के पश्चात ही सदरलैंड ने विभिन्न सहचर्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सदरलैंड की मान्यता थी कि व्यक्ति का आपराधिक व्यवहार सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक भाग, जिसकी उपस्थिति सदा अपेक्षित है। समाज में आपराधिक घटनाओं का घटित होना सामान्य घटना है। सदरलैंड का कहना है कि व्यक्ति आपराधिक व्यवहार भी ऐसे ही सिखते हैं, जिस प्रकार वे कानून द्वारा निर्देशित व्यवहार सीखते हैं आपराधिक व्यवहार की व्याख्या असामान्य मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर न करके, सीखने की सामाजिक प्रक्रिया के सिद्धान्तों के आधार की जानी चाहिए। इस प्रकार से सदरलैंड का विभिन्न सहचर्य सिद्धान्त अपराध को एक कारक के रूप में नहीं अपितु बहुकारकों के आधार पर समझाने का प्रयास करता है। सदरलैंड अपराध को एक ऐसा कृत्य मानतें हैं जो समाज के लिये हानिकारक समझा जाता है।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अपराध करने में सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक रहता है क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपराध न करना चाहे तो भी सामाजिक परिस्थितियां उसे अपराध करने को मजबूर कर देती हैं। सती प्रथा इसका एक सुन्दर उदाहरण है। प्राचीनकाल में सतीप्रथा प्रतिष्ठा के लिये प्रचलित थी जबकि आजकल जान बूझकर स्त्रियों को उसके लिये तैयार किया जाता है। यद्यपि अनेक स्त्रियां सती नहीं भी होती हैं तो भी सामाजिक परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिये मजबूर कर देती हैं इस प्रकार से सदरलैंड के अपराध सिद्धान्त को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है प्राथमिक समूहों के प्रतीकात्मक संसग के दौरान जब व्यक्ति का सम्पर्क अनापराधिक व्यवहार

के प्रतिमानों की अपेक्षा आपराधिक व्यवहार के प्रतिमानों से अधिक होता है तो आवश्यक एवं पर्याप्त आपराधिक प्रेरणाओं, दृष्टिकोण एवं विधियों की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में आपराधिक व्यवहार सीखता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टीकोण के अनुसार अपराध उन कृत्यों का नाम है जो सामाजिक रूढ़ियों और प्रथाओं को तोडते हैं पर इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिक युग की विधि पुस्तकों में इसका उल्लेख हो।

1. इस सिद्धान्त ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर अपराध में सामाजिक कारकों को महत्व प्रदान किया है।
2. यह सिद्धान्त आपराधिक व्यवहार तथा कानून व्यवहार को सीखने में समानता बतलाता हैं।
3. यह सिद्धान्त इस बात पर भी बल देता है कि अपराध केवल व्यक्तित्व विघटन के आधार पर ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से अपराधी ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वयं को समाज में उसी प्रकार समायोजित किया है जिस प्रकार बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना समायोजन करते हैं।
4. यह सिद्धान्त अपराधी बनने में समाज के योगदान की ओर ध्यान दिलाता है और साथ ही समाज को अपराधियों को सुधारने की जिम्मेदारी से भी अवगत कराता है।
5. यह सिद्धान्त इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बुरे समाज का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह बाल अपराध को रोकने के लिये सुझाव देता है।

सिद्धान्त की आलोचना – समाजशास्त्रीय सिद्धान्त भी अपने आपकों आलोचनाओं से मुक्त नहीं रख पाया कुछेक विद्वानों ने इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की है।

1. यह सिद्धान्त स्वतंत्र इच्छा एवं सुखवाद से सम्बन्धित धारणाओं का कोई जिक्र नहीं करता जो मानवीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
2. यह सिद्धान्त कुछ हद तक उपयुक्त है परन्तु पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि यह अपराध की विवेचना व्यक्ति के आधार पर करता है न कि अपराध के आधार पर।
3. शेल्डन ग्लूक का कहना है कि यह सिद्धान्त इतना सामान्य है कि अपराध के कारण व निरोध तथा अपराधियों को सुधारने सम्बन्धी विवेचनाओं में अधिक योगदान नहीं देता।
4. काल्डवेल, हर्बर्ट तथा क्रिसे का कहना है कि सभी अपराध सीखे नहीं जाते बल्कि, कुछ अपराध भावनात्मक व्यवहार के कारण भी होते हैं।
5. टप्पन व काल्डवेल का कहना है कि यह सिद्धान्त आनुवांशिकता को तथा शारीरिक और मनौवैज्ञानिक कारणों एवं पर्यावरण सम्बन्धी उत्तेजना को कोई महत्व नहीं देता।

बहुकारकवादी सिद्धान्तः– उपरोक्त सभी सिद्धान्त अपराध के केवल एक ही कारण पर बल देते हैं जबकि बहुकारकवादी सिद्धान्त कारणों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। आज के युग में किसी सिद्धान्त विशेष का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सभी किसी एक पहलू पर ही बल देते हैं जबकि वर्तमान

समय में किसी एक बात को ही अपराधी का कारण नहीं माना जा सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक आपराधिक घटना में अनेक तत्व या कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिये जिस सिद्धान्त के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है उसे बहुकारकवादी सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है क्योंकि अधिकत्तर अपराधशास्त्री मानते हैं कि अपराध अनेक कारकों का एक सामूहिक परिणाम है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक सिसिल बर्ट हैं। उनका विचार है कि अपराध का कोई एक सार्वभौमिक कारण नहीं होता, अपितु यह अनेक कारकों के प्रभावों का परिणाम होता है। अपराध के ये कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपराधों में भिन्न–भिन्न होते हैं। सिसिल बर्ट ने निम्नलिखित छः कारकों के आधार पर अपराध की व्याख्या की है।

1. आनुवांशिकता सम्बन्धी कारक
2. पर्यावरण सम्बन्धी कारक
3. शारीरिक कारक
4. बुद्धि सम्बन्धी कारक
5. स्वभाव सम्बन्धी कारक
6. संवेगात्मकता सम्बन्धी कारक

अपराधशास्त्रियों द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये जाने पर भी आपराधिक आचरण या व्यवहार के सम्बन्ध में कोई निश्चित सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका है और इस सम्बन्ध में सभी परिकल्पनाऐं या धारणायें व्यर्थ साबित हुई। इसी कारण सिसिल बर्ट ने आपराधिकता के प्रति बहुकारकवादी सिद्धान्त को अपनाया जिसकी व्याख्या उपरोक्त कारकों के आधार पर की है। हेले का मत है कि कोई अपचारी बालक एक या दो कारणों से अपराध करने के लिये बाध्य नहीं होता अपितु उसके लिये अनेक कारण होते हैं। विलियम हेले ने भी बहुकारकवादी सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया अपितु अनेक दृष्टांतों या उदाहरणों के माध्यम से प्रमाणित भी कर दिया।

सिद्धान्त की देन– सभी सिद्धान्त एक कारकवादी और अपने आप में अपूर्ण थे इसलिये ससिल बर्ट ने इस सिद्धान्त की रचना की। इसी सिद्धान्त को आधुनिक सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धान्त का प्रमुख योगदान निम्न हैः–

1. यह सिद्धान्त यह बतलाता है कि अपराध का कोई एक कारण नहीं होता बल्कि यह सामूहिक कारकों के प्रभाव का परिणाम होता है।
2. एक अपराधी दूसरे अपराधियों से भिन्न कारण रखता है इस विचारधारा ने अपराधियों को सुधरने की अलग–अलग विधियां लागू करने की प्रेरणा दी।
3. इस सिद्धान्त ने यह स्पष्ट किया कि भिन्न–भिन्न परिस्थितियां संयोग से मिलकर अपराध का मूल कारण बन जाती हैं।
4. इस सिद्धान्त के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही सूक्ष्म करने में सहायता मिली।

सिद्धान्त की आलोचनाः– एलबर्ट कोहेन ने बहुकारकवादी सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की है।–

1. आपराधिकता के कारणों को किसी एक निश्चित सिद्धान्त के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह बात इस सिद्धान्त पर भी लागू होती है।
2. विभिन्न कारकों का संयुक्त प्रभाव ही आपराधिकता के लिये उत्तरदायी होता है।
3. इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अपराध केवल बुरे वातावरण में ही होते हैं, भ्रमपूर्ण हैं। इस सिद्धान्त के मानने वालों की सबसे बडी भूल यह है कि वे अपराध के कारकों एवं कारणों में भेद नहीं समझ पाते हैं।

निष्कर्षः– अपराध के विभिन्न सिद्धान्तो को जानने के पश्चात यह अनुभव होने लगता है कि कोई भी सिद्धान्त ऐसा नहीं जो अपराध के सही कारणों की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर सके। कोई सिद्धान्त सुखवाद पर आधारित है तो कोई भौगोलिक कारकों पर, कोई सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है तो कोई मानसिक विशिष्टताओं पर और इसके अलावा कुछ सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ही अपराध का कारण मानते हैं।

विविध सिद्धान्तों में अपराध के कारणों की खोज की तुलना उस हाथी की जानकारी से की जा सकती है जिसके कान को पकड़कर एक अन्धा हाथी को केले के पत्ते की तरह मानता है, कोई दार्शनिक पूंछ पकड़कर हाथी को रस्सी की तरह मानता है कोई बीच का भाग छूकर मिट्टी की दीवार समझता है तो कोई हाथी का पैर पकड़कर हाथी को पेड का तना समझा बैठता है। यद्यपि ये लोग हाथी के बारे में जानकारी तो रखते हैं परन्तु यह जानकारी अधूरी और अपर्याप्त है और यही बात अपराध के विभिन्न सिद्धान्तों पर भी लागू होती है। इस प्रकार अपराध का कारण किसी एक सिद्धान्त में न खोजकर अपराध के विभिन्न सिद्धान्तों द्वारा खोजे गये कारणों से ढूंढना होगा। आपराधिक व्यवहार को जानने के लिये विभिन्न कारकों को दो भागो में बांट कर अध्ययन करना होगा 1. व्यक्तित्व सम्बन्धी कारक, 2. पर्यावरण सम्बन्धी कारक। व्यक्त्वि सम्बन्धी कारकों में आनुवांशिक, शारीरिक व मानसिक कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए जबकि पर्यावरण सम्बन्धी कारकों में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से अपराध एक जटिल व्यवहार है जिसकी व्याख्या किसी एक कारक के आधार पर नहीं की जा सकती।

अपराधों के कारक

प्रत्येक अपराध के पीछे कोई न कोई कारण निहित रहता है। इसे हम आशय या हेतुक भी कह सकते हैं। अपराधशास्त्र में अपराधों के कारण भिन्न –भिन्न बताये गये हैं जो किसी न किसी सम्प्रदाय अथवा विचारधारा पर आधारित हैं। विभिन्न अपराधशास्त्री अपराधों के मुख्यतया निम्नांकित कारण मानते हैं–

(i) शारीरिक कारक

(ii) पारिवारिक कारक

(iii) सामाजिक कारक

(iv) आर्थिक कारक

(v) राजनीतिक कारक

(vi) मनोवैज्ञानिक कारक

(vii) अन्य विविध कारक

1.**मनोवैज्ञानिक कारण** :– अपराधों का मनोवैज्ञानिक कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊपर 'शारीरिक कारण' शीर्षक के अन्तर्गत 'मानसिक दशा' उपर्शीषक में इस पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है।

अल्फ्रेड बिनेट फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में निरन्तर प्रयोग करने के पश्चात् व्यक्तियों में पाई जाने वाली मन्द बुद्धि की समस्या के संबंध में मानसिक आयु तथा बुद्धि करी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया और आपराधिकता पर उसके प्रभाव की विवेचना की। अल्फ्रेड बिनेट के अनुसंधानों को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक प्रो. जर्मन ने आगे बढ़ाया।

उनके मत में मानसिक आयु से अभिप्राय बालक की उस अवस्था से है जब उसमें सामान्य बुद्धि का विकास हो जाता है और उसमें कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता आ जाती है। यह क्षमता आयु के साथ–साथ बढ़ती है, जिसे 'प्रज्ञा लब्धि' कहा जाता है। फ्रॉयड ने आपराधिकता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि मानव मस्तिष्क में तीन प्रमुख भावनायें सदैव आपस में टकराती रहती हैं–

(i) इड (इदम)

(ii) इगो (अहम)

(iii) सुपर इगो (पराअहम)

इड के अभिप्राय मानव की उन प्राकृतिक इच्छाओं से है जो उनके जैविक एवं भौतिक अस्तित्व के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति का परिवार के लोगों के प्रति स्नेह इड की भावना के कारण होता है।

इगो से अभिप्राय स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति मानव की जागरूकता से है। उदाहरणस्वरूप भूख, प्यास, सम्भोग की इच्छा आदि मानव स्वभाव की नैसर्गिक क्रियायें हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य वैधानिक साधनों द्वारा ही करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अवैध साधनों से की गई पूर्ति समाज में बदनामी का कारण हो सकती है और उससे उसके अहम् को चोट लग सकती है। यह जागरूकता इगो के रूप में जानी जाती है, जबकि आत्मपरीक्षण एवं संयम की शक्ति सुपर इगो कहलाती है। जिन व्यक्तियों की सुपर इगो प्रबल होती है वे कभी अपराध कारित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सुपर इगो उन्हें सदैव अपराध से दूर रखती है। इनके आधार पर फ्रॉयड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि–

(i)अपराध के लिए इड उत्तरदायी है

(ii)जिस व्यक्ति की इगो तथा सुपर इगो कमजोर होती है वे अक्सर अपराध कारित करते हैं;

(iii)अपराध से बचने के लिए इड अर्थात् भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, तथा

(iv)ऐसा नहीं कर पाने पर व्यक्ति में निराशा आ जाती है, वह क्रोध या सदमे का शिकार हो बैठता है जो कभी–कभी आत्महत्या का कारण बन जाता है।

डोनाल्ड आर. टैफ्ट के अनुसार – मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्यतः आलसी एवं भीरू प्रवृति के होते हैं इसलिए वे अपराध कारित करने से डरते हैं जबकि प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति अपराध कारित करने से नहीं डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कभी पकड़ में नहीं आयेंगे। ऐसे व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से अपराध कारित करते हैं ।

2. **सामाजिक कारक–**

समाज एवं सामाजिक परिस्थितियाँ भी अपराधों का एक प्रमुख कारण हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अतः समाज में उसे जैसा वातावरण मिलता है, वह वैसा ही बन जाता है। मानवशास्त्री रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार जैसा समाज होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का व्यक्ति भी सभ्य एवं सुसंस्कृत होता है। यदि समाज की पृष्ठभूमि आपराधिक है तो उसका सदस्य भी आपराधिक प्रवृति का ही होगा। ऐसी कई सामाजिक व्यवस्थाएं एवं कुप्रथाएं हैं जो अपराध का कारण बनती हैं, जैसे– दहेज प्रथा, बाल–विवाह, सती–प्रथा, मृत्युभोज, अस्पृश्यता आदि।

दहेज आज अपराध का प्रमुख सामाजिक कारण माना जाता है। दहेज के कारण समाज में दहेज हत्या के अपराध बढ़ रहे हैं। दहेज की मांग को लेकर नवविवाहित महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें असामान्य परिस्थितियों में या तो मार दिया जाता है या फिर आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया जाता है। यह दहेज हत्या का अपराध है। (स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एम.वी.मन्जूनाथ गौवड़ा, ए.आई.आर. 2003 एस.सी.809)।

3. **आर्थिक कारक** :– निर्धनता, अर्थाभाव, आर्थिक विषमताऐं इत्यादि अपराध के प्रमुख कारण हैं। जब परिवार आर्थिक संकट में होता है तब परिजन चोरी, वेश्यावृति, व्यभिचार जैसे अपराधों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। बेकारी एवं बेरोजगारी भी अनेक अपराधों एवं दुष्प्रवृत्तियों की जननी है। बेकार एवं बेरोजगार व्यक्ति चोरी, वेश्यावृति, यौन–शोषण, भिक्षावृत्ति, नशा आदि की ओर बढ़ता है। मनुष्य में लोभ, प्रलोभन, स्वार्थी एवं अधिक धन अर्जित करने की लालसा भी अपराधों को जन्म देती है। चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, छल, कपट, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट, रिश्वत आदि अपराध इसी लालसा के परिणाम हैं।

अरस्तू के अनुसार – ''धन अथवा स्वर्ग की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। अधिकांश अपराध मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं किये जाकर अतिरिक्त धन या वस्तुयें प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं।''

4 **राजनैतिक कारक** :– अपराधों के राजनीतिक कारण भी हैं। आज यह एक आम धारणा बन चुकी है कि अधिकांश अपराधियों को राजनेताओं का संरक्षण मिलता है। ऐसे व्यक्ति निःसंकोच एवं निडर होकर अपराध करते हैं, क्योंकि शासन व प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे संरक्षण के पीछे राजनेताओं का भी अपना स्वार्थ होता है। चुनाव के समय ऐसे अपराधी राजनेताओं का सहयोग करते हैं, जैसे–

(i) चुनाव में चन्दा अर्थात् आर्थिक सहयोग देना।

(ii) मतदाताओं को वोट देने के लिए बल एवं हिंसा द्वारा विवश करना।

(iii) मतदाताओं को डराना, धमकाना, भयभीत करना।

(iv) बूथों पर कब्जा करना।

(v) मतपेटियों को छीनकर ले जाना।

(vi) फर्जी मतदान कराना आदि।

इसी कारण आजकल राजनीति के अपराधीकरण की बात कही जाती है। राजनीति एवं अपराधी के बीच गठजोड़ अपराध जगत को संगठित व संस्थागत स्वरूप प्रदान करने लगा है।

5 **धार्मिक कारक**

अपराधों का कुछ भाग धार्मिक कारणों से भी घटित होता है। जिन देशों में कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं वहां लोागें में धर्म के आधार पर आपस में वैमनस्यता व झगडे उत्पन्न होने लगते हैं। भारतवर्ष के सम्बन्ध में यह बात अधिक लागू होती है। यद्यपि भारतवर्ष में संविधान के अनुसार सभी धर्मावलम्बियों को समान समझा गया है, परन्तु यहां पर धर्म के नाम पर अक्सर साम्प्रदायिक झगडे हुये हैं व होते रहते हैं। यह बात निम्नलिखित बिन्दुओं से और स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है।

(i) धार्मिक विचारों से कट्टरवादिता

प्रत्येक धर्म से वैसे तो अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई है तब भी प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय में एक वर्ग ऐसा होता है जो कट्टरवादी होता है। उनके विचार में उनका धर्म अच्छा होता है ओर दूसरे धर्म के लोगों को वह गलत व विरोधी समझते हैं। उनकी इस कट्टरवादिता के कारण छोटी–छोटी बातों को वे बडे साम्प्रदायिक झगडों का रूप दे देते हैं। निम्नलिखित मामलों से यह झगडे उत्पन्न होते हैं।

– किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की महिला के साथ विवाह कर लेने के कारण।
– किसी दूसरे धर्म की महिला के साथ छेडछाड हो जाने के कारण।
– दो विभिन्न धर्म के लोगों में किसी मामले को लेकर मारपीट हो जाने के कारण।
– होली पर रंग फेंक देने के कारण।

(ii) धर्म का प्रयोग स्वार्थ पूर्ति से करना

अक्सर लोग अपने निजी स्वार्थ के कार्यों की पूर्ति में धर्म को ले आते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को उकसा कर अपने को उनके बीच एक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किसी स्थानीय समस्या को लेकर जुलूस निकालना, बजार बन्द कराना, पुलिस से टकराव की स्थिति में आना व आपराधिक घटनायें करना जैसे – तोड–फोड, आगजनी व लूटपाट आदि करना आम बात हो गई है।

(iii) राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति में धर्म का प्रयोग करना

अब राजनीति में वोट धर्म के नाम पर बंटता जा रहा है। लोग वोट प्राप्त करने के लिये किसी धार्मिक सम्प्रदाय के त्यौहार पर झगडा फसाद कराने में संकोच नहीं करते क्योंकि झगडा होने के बाद उन्हें उस वर्ग की सहानुभूति जुटाने का मौका मिल जाता है व वोट प्राप्त

विचलन एवं अपचारिता (Devince & Deninquency)

विचलन– सभी मानव समाजों में व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान एवं सामाजिक मूल्य पाये जाते हैं। इन सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों के विपरित आचरण करने को ही विचलन माना जाता है। टैबू एक ऐसा सशक्त सामाजिक व्यवहार है जिसे अधिकांश लोग विचलन मानते हैं। टैबू कहीं विचलन होता है तो कहीं अपराध भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में विचलन का अध्ययन कुछ विशिष्ट समस्याओं जैसे – अपराध, बाल अपराध, वैश्यावृति, सफेदपोश अपराध एवं नशावृति आदि के संबंध में प्रारंभ हुआ और इन्हीं समस्याओं तक सीमित रहा। ये समस्याऐं निम्न वर्ग एवं विशेषतः उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों तक सीमित थी। शिकागो विश्विद्यालय में इस क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ क्योंकि शिकागो शहर इन समस्याओं के अध्ययन के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करता रहा। इस प्रकार के अध्ययनों के पीछे समाजशास्त्रियों में यह धारणा थी कि विचलन के लिए स्वयं समाज उत्तरदायी है, न कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण। क्लिफोर्ड शॉ, ग्लेक्स, रिचार्ड, क्लोवार्ड एवं सदरलैण्ड आदि विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अपराधों का अध्ययन विचलन के रूप में ही किया है।

विचलन मूल रूप लैटिन भाषा के शब्द –Deviare से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुख्य रास्ते से हटना या लीक से हटना।

रॉबर्ट बेल– समाज में औसत व्यवहार से बहुत भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है।

थियोडोरसन– विचलन का अर्थ सामाजिक मानदण्डों के प्रति प्रतिरूपता है।

जॉनसन– जानबुझकर किया गया सामाजिक प्रतिमानों –मूल्यों एवं मानकों का उल्लंघन विचलन है।

अल्बर्ट कोहेन– स्वीकृत आचरण की अवहेलना विचलन है।

हॉर्टन एवं हंट द्विध्रुवीय आधार पर विचलन के तीन प्रकारों का वर्णन किया है :–

1. सांस्कृतिक – मनोवैज्ञानिक
2. वैयक्तिक – सामूहिक
3. प्राथमिकता – द्वितीयक

विचलन को मोटे तौर पर दो स्वरूपों में देखा जा सकता है

मार्क्सवादी विचाारक एरिक फ्रॉम ने विचलन को अलगाव के रूप में वर्णित किया है।

विचलन की विशेषताऐं :–

1. विचलन सामाजिक मानदण्डों से बहुत अधक दूर हटना है।
2. विचलन वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर हो सकता है।
3. विचलन का संबंध एक विशिष्ट समाज एवं संस्कृति से है।
4. विचलन नियंत्रण को जन्म देता है।

विचलन के कारण –

1. दोषपूर्ण समाजीकरण।
2. दुर्बल अनुशास्तियां।
3. कानून को लागे करने में कमी।
4. तार्किकीरण की सरलता।
5. सामाजिक मानदण्डों की अनिश्चित गोपनीयता।
6. उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता।
7. अनुचित या गलत ढंग से कानून लागू करना।
8. उपसंस्कृति द्वारा विचलन को वैधता।
9. विचलित समूहों के प्रति वफादारी की भावना।
10. इड, अहम एवं पराअहम में संघर्ष।

विचलन के प्रमुख सिद्धान्त :–

1. **दुखाईम का सिद्धान्त :–** इमाइल दुर्खाइम (1858–1917) ने विचलन को प्रतयेक समाज के लिए आवश्यक प्रक्रिया माना है। आपने इसे प्रतिमानहीनता के प्रति समाज को सजग बनाता है। यह सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन है। दुखाईम के विचारों को रॉबर्ट किंग मर्टन ने तनाव (एनोमी) सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया है।
2. **रॉबर्ट किंग मर्टन का एनोमी सिद्धान्त :–** समाजशास्त्री आर.के.रॉबर्ट किंग मर्टन ने इमाइल दुर्खीम की एनोमी अवधारणा को विचलन के रूप में प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच तनाव या विसंगति विचलन को जन्म देती है। अतः इसे रॉबर्ट किंग मर्टन का तनाव सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसे निम्न टेबल में समझा जा सकता हैः–

क्र.सं.	सांस्कृतिक लक्ष्य	संस्थागत साधन	स्थिति
1.	स्वीकृति	स्वीकृति	अनुरूपता
2.	स्वीकृति	अस्वीकृति	नवाचार
3.	अस्वीकृति	स्वीकृति	संस्कारवाद
4.	अस्वीकृति	अस्वीकृति	प्रत्यावर्तनता
5.	अस्वीकृति एवं नवीन लक्ष्यों की स्थापना	अस्वीकृति के साथ स्वयं के नवीन संसाधनों की पहचान क्रान्ति	

स्थापना :– प्रथम स्थिति को रॉबर्ट किंग मर्टन ने अनुरूपता या अनुकूल कहा है तो विचलन नहीं है। शेष चार स्थिति विचलन को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार रॉबर्ट किंग मर्टन न विचलन के चार स्वरूपों का उल्लेख किया है–

1. प्रथम प्रकार का विचलन वह हे जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग नहीं करके नये साधन ढूंढ निकालते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन ने इसे नवाचार कहा है जैसे परीक्षा में नकल।
2. दूसरे प्रकार के विचलन में व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो करते हैं, किन्तु वे समाज स्वीकृत उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। संस्कारवाद हैं। जैसे लकीर का फकीर।
3. तीसरे प्रकार के विचलन में लोग स्वीकृत उद्देश्यों एवं साधनों दोनों के ही प्रति उदसीन होते हैं। यह विचलन का गंभीर स्वरूप है। जिसे प्रत्यावर्तनता कहा गया है। जैसे भिखारी एवं नशेड़ी।
4. रॉबर्ट किंग मर्टन ने विचलन की अंतिम अवस्था में स्थापित लक्ष्य एवं साधनों दोनों को नकारकर नवीन लक्ष्य एवं नवीन साधनों के निर्माण को महत्वपूर्ण माना है। इसमें व्यक्ति अपने नए लक्ष्य एवं नए साधन स्थापित करते हैं। जैसे क्रान्ति एवं आन्दोलन।

3. **प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धान्त** – हरबर्ट ब्लूमर ने अंतःक्रिया और उनके संदर्भों के प्रसंग में विचलन को समझाने का प्रयास किया है। जे.एस.चैरॉन ने मानव की वास्तविकता को तीन भागों में विभक्त किया है–

I. भौतिक वस्तुनिठ यर्थार्थ
II. समाजिक यर्थार्थ एवं
III. अद्वितीय यर्थार्थ

इस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरी से अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की भावनाओं (आकांक्षओं) एवं मूल्यों की अस्वीकृति विचलन को जन्म देती है।

4. **तटस्थीकरण सिद्धान्त–** गेशम साइक्स एवं डेविड माट्ज का ममत है कि विचलनकारी अपने व्यवहार को सही एवं सुसंगत ठहराने के लिए कई तर्क देते हैं और विचलन को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं:–

i. जिम्मेदारी को नकारना।
ii. क्षति से इंकार करना।
iii. पीड़ित को जिम्मेदार ठहराना।
iv. आलोचना कर निष्प्रभावी बनाना।
v. विधि से इतर अन्यथा प्राधिका की मदद।

5. **एडविन लेमर्ट का प्राथमिक –द्वितीयक विचलन–** लेमर्ट ने लेबनिंग के आाधार पर विचलन को प्राथमिकता एवं द्वितीयक अवस्थाओं के रूप में वर्जित किया है। प्राथमिक विचलन का आशय प्रारंभिक लेबल है, जबकि द्वितीयक विचलन हार्डकोर अपराधी को अभिव्यक्त करता है।
6. माइकल गोटफ्रेडसन एवं ट्रेविस हस्वी का नियंत्रण सिद्धान्त :– गोटफ्रेडसन एवं ट्रेविस हस्वी (1990) ने विचलन का स्व–नियंत्रण सिद्धान्त प्रस्तुत किया। आपके अनुसार मनुष्य का विचलनकारी/अपराधी व्यवहार उसके स्वयं के हित एवं स्व–नियंत्रण पर आधारित होती है।

7. **जैविकीय सिद्धान्त :–** अपराधशास्त्र के इटेलियन स्कूल (लोम्ब्रोसो) से प्रभावी होकर प्रवीण अत्रे यह मानते हैं कि विचलन के लिए जेनेटिक कारक उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि पीयरसन एवं चार्ल्स गोरिंग जैसे कई शोधकर्त्ता इस सिद्धान्त को नकार चुके हैं।

(1) **वैयक्तिक एव ंविचलनः–** वैयक्तिक विचलन में किशोर – अपराधशामिल होते हैं। जब किसी अकेले व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के लिए या किसी बच्चे द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत अपराध (Individual deliqueney) कहा जाता है कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयू के बालको द्वारा कानुन विरोधी कार्य को अपराध माना गया है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायलय के समक्ष पेश किया जाता है। भारत मे ंबाल न्यायलय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष की आयु के लडको तथा 18 वर्ष तक की आयु की लडकियो के अपराध करने पर बाल अपराधियो ंकी श्रेणी मे शामिल किया जाता है । बाल अपराध की अधिकत्म आयु सीमा अलग अलग राज्यो ंमे ंअलग अलग है । इस आधार पर किसी भी राज्य के द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है।

<u>सामूहिक विचलनःसंगठित अपराध</u>

1 **सामूहिक विचलनः–** सामूहिक विचलन में मिलकर किये जाने वाले संगठित अपराध शामिल होते हैं।

संगठित अपराध :– (Organised Crime)

सामूहिक विचलन के अन्तर्गत समाज में कई लोग मिलकर विचलनकारी या अपाराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। संगठित अपराध इसका प्रचलित स्वरूप है जो रैकेब्स, माफिया, गैंस्टर्स, डकैती, लूट, तस्करी एवं आतंकवाद जैसे अपराधों में परिलक्षित होता है। संगठित अपराधों को गई बार गैग्स्टेरिज्म भी कहा जाता है। संगठित अपराध सहकारी या सामूहिक प्रयास पर आधारित हैं। इसे दो या अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त सहायक प्रयासों से कारित करते हैं। थोर्स्टन सेलिन ने संगठित अपराध का वर्णन इस प्रकार किया है कि ''अवैध क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक उपलब्धियों के लिए संगठित अपराध उद्यम''। जेब काटना, लूटमार, सेंधमारी, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृति, जुआ, आतंकवाद आदि कुड ऐसे अपराध हैं जिनमें कुछ अपराधियों का टीम के रूप में काम करना सम्मिलित है। इन अपराधों के करने का उद्देश्य संगठित रूप से लाभ कमाना होता है।

सेलिन के अनुसारः– संगठित अपराध उन आर्थिक उद्यमों के समान होते हैं जो अवेध गतिविधियों के लिए गठित किये जाते हैं।

वाल्टर सी. रेकलेस के अनुसारः– ''संगठित अपराध दो यो दो से अधिक व्यक्तियों की अन्तःक्रया के परिणामस्वरूप घटिम होने वाला अपराध हे। यह एक अवैधानिक साहस है जो एक निश्चित समय तक चलता है और एक नेता, सहायक एवं संचालक का पद सोपानी ढ़ांचा तैयार करता है।

संगठित अपराध की विशेषतायें :– संगठित अपराध की उपरोक्त परिभाषाओं से इसकी कुछ विशेषतायें परिलक्षित होती हैं। यथा –

1. **संगठन :–** संगठित अपराध की पहली विशेषता इसमें एक संगठन का होना है। संगठित अपराध कारित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह अथवा संगठन बनाया जाता हें इसे

विधि विरूद्ध संगठन भी कहा जाता है। भारतीय दण्उ संहिता में ऐसे संगठन को विरूद्ध जमाव की संज्ञा दी गई है।

2. **श्रेणीवाद व्यवस्था :–** संगठित अपराध कारित करने वाले संगठनों में एक निश्चित विशेष प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। जिसे श्रेणीवाद व्यवस्था अथवा पदसोपानी व्यवस्था कहा जाता है। इसमें संगठन के प्रत्येक सदस्य के कार्य, स्थिति एवं भूमिका की सुस्पष्ट व्याख्या रहती है। संगठन के नेता अर्थात् सरदार से लेकर छोटे से छोटे सदस्यों के बीच गहरा संबंध रहता है।
3. **नेतृत्व :–** प्रत्येक आपराधिक संगठन का एक नेता सरदार होता है। सभी सदस्य ऐसे नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। वे नेता के प्रति वफादार होते हैं। संगठन का संचालन एवं नियंत्रण ऐसे नेता के हाथ में रहता है।
4. **गोपनीयता :–** संगठित अपराधों को कारित करने वाले संगइनों में पूर्ण गोपनीयता बरती जाती है। अपराधकारित करने की जो भी योजनायें बनाई जाती हैं वे पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। गोपनीयता भंग करने वाले सदस्यों को गंभीर दण्ड दिया जाता है।
5. **तकनीक :–** संगठित अपराध कारित करने की अपनी एक अलग ही तकनीक होती है। संगठित अपराध की योजना बनाई जाती है। उसकी रीति–नीति निर्धारित की जाती है तथा अत्यन्त सोच–विचार के बाद योजना को क्रियान्वित किया जाता है।
6. **नियोजन :–** संगठित अपराध नियोजित रूप से कारित किये जाते हैं। इसमें अपराध की योजना तैयार की जाती है, उस पर काफी विचार–विमर्श किया जाता है, सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जाते हैं।
7. **विशेषीकरण :–**संगठित अपराधी अपने विशिष्अ कार्यों में पारंगत होता है।
8. **संरक्षण :–** संगठित अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। अपराधी राजनीतिक गठजोड़, संगठित अपराधों की प्रमुख विशेषता है।

गैंग्स्टेरिज्म एवं रैकेटियरिंग :– आपराधिक संगठन तथा रिकेटियरिंग में प्रमुख अन्तर यह है कि पहले में किसी प्रकरत्रार की सेवा का तत्व विद्यमान नहीं है और पूर्णतः शोषणाकारी होता है। जबकि दूसरे में वैध गतिविधि में कार्यरत् व्यक्तियों को कोई सेवा उपलबध कराने का अवैध तरीका होता है। इसी प्रकार आपराधिक सिंडिकेट व आपराधिक रैकेट में भी अन्तर कराई जाती है जो किसी वैध कार्य या व्यवसाय में संलगन है। जिन लोगों का रैकेट द्वारा शोषण किया जाता है वे स्वयं रैकेट की सेवा से संतुष्ट रहते हैं यद्यपि वे जानते हैं के उनका शोषण हो रहा है।

अतः सरल शब्दों में कहा जाता है कि ''रैकेटियरिंग किसी वैध मांग के बदले में अवैध शोषण के अलावा कुछ नहीं है। इनकी गतिविधियाँ गैगेस्टर्स के माध्यम से संचालित होती हैं।

वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक में अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए वैयक्तिक व्यापार संगठन तथा श्रमिक संघ दोनों ही आपराधिक रैकेट्स का सहारा लेते हैं। इस दौरान कभी–कभी एक वर्ग दूसरे पर अनुचित दबाव डालने या बल प्रयोग करने की कोशिश करता है जिसके कारण यदा–कदा हिंसा की घटनायें भी हो जाती हैं। व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत् कुछ रैकेट्स हैं –1. व्यापारिक श्रम रैकेट्स 2. जुआरियों के रैकेट्स 3. अन्य अवैध सेवाओं के रैकेट्स।

संगठित अपराध के कुछ ऐसे तत्व हैं जो संगठित अपराध के अस्तित्व को बनाये रखते हैं। इस संदर्भ में पांच कारक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। संरचनात्मक संगठन, भूमिका निष्पादन, सार्वजनिक सहिष्णुत्ता, आचार संहिता, अपराध कानून की प्रकृति तथा प्रशिक्षण उपाय। अपराधियों ने बड़ी मात्रा में धन संग्रह कर लेने और बड़े संगठन होने के कारण न केवल अवैध क्रियाकलापों में विस्तार किया बल्कि

अपराध जगत के बादशाहों के समान कार्य करना प्रारंभ कर दिया। धीरे–धीरे वे श्वेतपोश अभिजन या राजनेता भी बन गये हैं।

- भारत में अवैध लाभ प्रदान करेन वाले संगठित आठ उद्यम इस प्रकार हैं:–
  1. नम्बर लगाने का व्यापार, जैसे– मटका, जुआ, सट्टा आदि।
  2. शराब एवं मादक पदार्थ की तस्करी।
  3. जमीन–जायदाद संबंधी माफिया।

।काल्डर्वेल ने इसके निम्न लक्षण बताये हैं–

1. अपराधियों का पारस्परिक साहचर्य : संगठित अपराध में संगठनों के मध्य आपसी तालमेलबहुत अच्छा होता है, दोनो एक–दूसरेके कार्यों में दखलंदाजी नहीं करते हैं तथा यह सम्बन्ध चिरस्थायीहोता है एवं कई दशकों तक चलता रहता है।

2. **सत्ता का केन्द्रीकरण** : संगठन में एकता पायी जाती है तथाइसकी संरचना एवं ढाचां केन्द्रीय प्रवृत्ति की होती है। इसमेंसमस्त निर्णय एवं कार्य संचालन एक व्यक्ति द्वारा सम्पन्न होते
हैं।

3. **श्रम विभाजन** : इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन एवं निर्धारण होताहै। सदस्यों के कार्यों उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों में अतिव्याप्ति नहींहोती है।

4. **सुरक्षित कोष की सथापना** : इनका आर्थिक आधार काफी मजबूतहोता है। यह एक सुरक्षित कोष की स्थापना करते है जो कि एकमूलधन के रूप में कार्य करता है।

5. **विस्तृत एवं एकाधिकारपूर्ण प्रवृत्तियाँ** : संगठित अपराधियों काकार्यक्षेत्र अलग–अलग होता है जिससे कि इनके कार्यों मेंएकाधिकार की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसा होने से संगठनों केमध्य प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाती है।

6. **व्यवहार सम्बन्धी नियम** : संगठित अपराधी अपराध कापूर्वनियोजन हर प्रकार से कर लेते हैं जिससे की प्रतिकूल स्थितिको कम किया जा सके। इस प्रकार नियोजन में समूह नेता प्रमुख
भूमिका निभाता है।

7. **सुरक्षात्मक उपाय :** इन अपराधियों की पकड़ राजनीतिक आर्थिकएवं प्रशासनिक रूप से काफी सुदृढ़ होती है। जिससे कि इनकोकाफी सुरक्षा मिलती है।

   किशोर अपचारिता :– (Juvenile Deliquency) किशोर अपराध को सामान्यतः बाल अपचारिता भी कहा जाता है। क्योंकि अवधारणा यह है कि बालक कभी अपराध नहीं करता। बाले के कृत्य अभद्र अशिष्ट अथवा निन्दनीय हो सकते हैं लेकिन दण्डनीय नहीं। यही कारण है कि बालकों के साथ शब्द

''अपराध'' नहीं जोड़कर ''अपचारिता'' जोड़ा गया है, लेकिन किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में तथा नए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में भी अपचारिता शब्द को भी हआ दिया गया है। इसके स्थान पर संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित किशोर शब्दावली जोड़ी गई है। अवयस्क (18 से कम आयु)द्वारा किये गये आपराधिक कार्य किशोर अपचार कहलाते हैं। शब्द व्युत्पति की दृष्टि से ''अपचारिता'' जिसे अंग्रेजी भाषा में 'डेलीनक्वेन्सी'कहा जाता है, लेटिन शब्द डेलिनक्वेर से लिया गया है। जिसका अर्थ है 'विलोप करना'। रोमन काल में इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के प्रति किया गया है जो सौंपा गया कार्य या कर्त्तव्य करने में असफल रहते थे। विलियम कॉक्सन – ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सन् 1484 में 'डेलीनक्वेन्ट' शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जो परम्परागत अपराध के दोषी पाये जाते थे। सरल शब्दों में अपचारिता का अर्थ है समाज द्वारा सामान्यतः स्वीकृत आचरण के मापदण्डों से विचलन होना या ऐसा आचरण (दुराचरण) करना जो समाज की स्वीकृत मान्यताओं के विपरित हो।

किशोर अपचारिता के कारण – वर्तमान के किशोर अपचारिता ने एक विश्व–व्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया है। किशोर अपचारिता के निवारण के लिए विभिन्न उपचारात्मक प्रयत्नों के बावजूद किशोरों में उद्दण्डता, हिंसा नशा एवं कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फलतः हाल ही के कुद वर्षों में बाल अपचारिता में अपूर्व वृद्धि हुई है। किशोरों में बढ़ती हुई अपचारिता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:–

1. **औद्योगीकरण :–** भारत में औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप गांवों और कस्बों का द्रुत गति से शहरीकरण होता जा रहा है। जिसके कारण पारिवारिक विघटन संकरे आवास, झुग्गी झोंपड़ियों, सफाई, स्वास्थ्य एव मूलभूत आवश्यकता आदि की अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। शहरों का जीवन अपेक्षाकृत महंगा और खर्चीला होने के कारण परिवार की आर्थिक सहायता हेतु महिलाओं को घर से बाहर निकलकर नौकरी या काम पर जाना आम बात हो गई है। इसके फलस्वरूप बच्चों पर परिवार का नियंत्रण ढ़ीला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भी युवा–युवतियों में उच्छृंखलता की प्रवृति बढ़ती जा रही है। जिसके कारण अपचारिता में वृद्धि हुई है।

2. **सोशल मीडिया एवं केबल :–** कुछ अपराधशास्त्रियों ने प्रसार–माध्यम, सिनेमा, दूरदर्शन आदि को भी बाल अपचारिता का कारण मानते हुए कहा है कि किशोर एवं बालकों के कोमल मन तथा मस्तिष्क पर इन माध्यमों द्वारा दर्शाये जाने वाले छाया–चित्रों, अश्लील या वीभत्स दृश्यों का कुप्रभाव पड़ता है और वे उन्हें अपने वास्तविक जीवन में अनुसरण करने की और प्रवत्त होते हैं और वे उन्हें अपराधी बना देते हैं। इसी प्रकार अश्लील साहित्य का भी उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रकार की अवांछित फिल्मों, सारियलों तथा पुस्तकों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानी चाहि ताकि युवा पीढ़ी को इनके दुष्परिणामों से बचाया जा सके।
3. **पारिवारिक विघटन :–** औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हुआ है तथा उद्योग, नौकरी या व्यवसा के निमित्त परिवार के सदस्य इधर–उधर बिखर गए हैं। बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रीााव पड़ा है। वर्तमान वैज्ञानिक जीवन की आपा–धापी में प्रत्येक व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त है कि उसे अपने बच्चों पर उचित ध्यान देने के लिए समय नहीं मिल पाता है। फलतः

बच्चे स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं तथा माता–पिता के वांछित प्रेम और संरक्षण के अभाव में अपचारिता की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं।

4. **वैवाहिक संबंधों में शिथिलता :–** वर्तमान में तलाक और वैवाहिक झगड़ों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिसके कारण वारिवारिक समेकता छिन्न–भिन्न सी हो गई है। मलिाओं में पुरूषों के साथ समानता की भावना प्रबल हो जाने के कारण परिवार पर से कर्त्ता पुरूष का नियंत्रण समाप्त प्रायः होता जा रहा है। वैवाहिक संबंधों में बिखराव एवं पारिवारिक विघटन किशोर अपचारिता को बढ़ावा देता है।

5. **फैशन परस्तीः–** आजकल युवाओं में फैशन के पीछे भागने की होड़ सी लगी हुई है। भारतीय युवा वर्ग पर पाश्चात्य सभ्यता का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है ि कवे मूल भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भूलाते जा रहे हैं। समाजशास्त्री दीपाकर गुप्ता इसे पश्चिम का जहर कहते हैं।
6. **जैविक तथा शारीरिक कारण :–** किशोरों में औपचारिक आचरण का कारण एक न्य कारण समय से पहले उनकी शारीरिक परिपक्वता या बुद्धि का मंद गति से विकास भी हो सकता है। आजकल लड़कियों में कौमार्यावसाि का आगमर समय से पूर्व हा जाता है। लगभग बारह या तेरह वर्ष की आयु से ही बालिकाओं में कौमार्यागमन के जैविक लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं जबकि मानसिक दृष्टि से उनमें परिवव्रनों को ठीक से समझने की क्षमता नहीं होती है। फलतः वे बिना सोचे–समझे क्षणिक सुख के लिए लैगिकता का शिकार हो जाती हैं। जिनके गंभीर परिणामों के बारे में उनहें कल्पना भी नहीं रहती।
7. **दीनहीन, निराश्रय, अभित्यक्त बच्चों का प्रशासन :–** लावारिस ताि माता–पिता द्वारा उपेक्षित और त्यागे गये बच्चे प्रायः गंदी बस्तियों में रहने लगते हैं जहां वे असामाजिक तथ्वों की कुसंगति में पड़कर अपचारिता में पड़ जाते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में दरिद्रता के कारण वेश्या व्यवसाय, तस्करी, जुआखोरी, मदिरा तथा नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार आदि धड़ल्ले से चलता रहता है। निराश्रित औ उपेक्षित बालक–बालिकाओं को धन का प्रलोभन देकर इन अवैध कामों में लगाया जाता है और इस प्रकार अपचारिता की गतिविधियों में लिपत हो जाते हैं। कोहेन ने इसे सबकल्चर कहा है।

8. **निर्धनता :–** इसमें संदेह नहीं कि निर्धनता अपचारिता का एक संभाव्य कारण है। माता–पिता या परिवार –जनों की गरीबी तथा निर्धनता के कारण बच्चे अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए अवैध गतिविधियों की और आकृष्ट होते हैं। जो उन्हें अपचारी बना देती हैं। मानवशास्त्री ऑस्कर लेविस इसे निर्धनता की संस्कृति कहते हैं।
9. **अशिक्षा और सजगता का अभाव** :– अशिक्षा, अज्ञान ताि बालश्रम आदि के कारण भी किशोर वयस्कों में अपचारिता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। होटलों, दुकानों या कारखानों में काम करने वाले बालश्रम अपनी अल्पायु तथा अज्ञानता के कारण यह नही समझ पाते कि वे अपनी कमाई का पैसा कहां खर्च करें। अतः वे इसका दुरूपयोग करते हैं और बुरी आदतों में पड़कर अपचारी बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि किशोर तथा किशोरियों द्वारा किये जाने वाले अपचारों के स्वरूप में आमूल अन्तर होता है। साधारणतः किशोरों द्वारा जेब–कटी, जुआखोरी, क्रुरता, अश्लील छेड़छाड़ आदि के अपचार अधिक किये जाते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर किशोर अपराध के प्रमुख कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता हैः–

1. व्यक्तिगत :– जैविकीय, संवेगात्मक, दुर्घटनाएं, विस्थापन, भय, अवज्ञा इत्यादि।

2. परिस्थितिजन्य – परिवार, स्कूल, मित्र मंडली, सिनेमा, मीडिया, इन्टरनेट, मोईल, उपसंस्कृति इत्यादि।
3. अनुचित समाजीकरण।
4. आर्थिक कारक (अभाव एवं निर्धनता)
5. इड, ईगो एवं सुपरइगो के बीच तनाव (फ्रॉयड)
6. पारिवारिक विघटन

पेशेवर अपराधी (professional Criminals) :– इस वर्ग में ऐसे अपराधी आते हैं, जो किसी अपराध को करने की विशेषज्ञता रखते हैं, तथा वे बार–बार वो ही अपराध करते हैं। उस प्रकार का अपराध करने में वे अभ्यस्त हो जाते हैं तथा उन्हें उसी अपराध को करने में विशेषता हासिल हो जाती है। वे दूसरे लोगों को भी ऐसा अपराध करने के लिए प्रेरित करते है, तथा वे अपने जीवन–यापन का साधन भी उसी अपराध को बना लेते है। जिस प्रकार मजदूरी करता है, पेशेवर अपराध उस अपराध विशेष की ही अपरी आजीविका का साधन मानते है, तथा उसे बार–बार करते है। मुख्य रूप से निम्न प्रकार के पेशेवर अपराधी होते हैं–

1. किराये पर हत्या करने वाले या सुपारी किलर ।
2. मादक पदार्थो की तस्करी या व्यापार करने वाले।
3. ठगी करने वाले।
4. जेब काटने वाले (जेब कतरे)।
5. जुआ खेलने वाले या खिलाने वाले।
6. रेलगाड़ी के डिब्बों में चोरी करने वाले।
7. अवैध शराब की सप्लाई करने वाले।
8. डोडा चूरा की सप्लाई करने वाले।
9. पेट्रोल लाईन में से तेल की चोरी करने वाले।
10. सट्टा चलाने वाले ।
11. वेश्यावृति करने व करवाने वाले।
12. खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वाले।
13. भूखण्ड, प्लॉट व जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले।

सामाजिक कुरीतिया (Social vices)

जुआ (Gambling)

जुआ या सट्टा या बाजी एक आर्थिक सामाजिक बुराई है, व्याधि है। उसमें शर्त के रूप में या किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर निश्चित धन/सम्पत्ति की हार–जीत या दांव तय की जाती हैं। इस प्रकार जुआ धन की बाजी (Wagering of Maney) है। आधुनिक कैसिनो जुआघर के ही रूप हैं। जुआ एक वैश्विक घटना है। वर्तमान में वैध जुआ का बाजा विश्वभर में करीब 500 बिलियन डॉलर होने का अनुमान हैं। जुआ एवं कैसीनो विश्वभर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ें हुए हैं।

संसार में जुआ के कई प्रकार प्रचलित हैं : 1 –कैसिनो, 2–टेबिल गेम, 3– पैचिंको पार्लर, 4– महाजोंग टाइल्स, 5– श्लोट मशीन, 6–बिंगों, 7–केनो एवं 8– लॉटरी, घुड़दौड़, क्रिकेट सट्टा इत्यादि।

भारत में गैम्बलिंग एक्ट द्वारा जुआ निषेध है। जिसमें रूपये 200 जुर्माना या 3 माह तक कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act 2000) में इन्टरनेट के प्रयोग द्वारा जुआ को बढ़ावा देने के अपराध के लिए एक लाख रूपये जुर्माना या 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। सिक्किम एवं गोवा राज्यों में जुआ को वैधानिकता प्रदान की गई है। सिक्किम में एक तथा गोवा में 12 कैसिनों वैध रूप से संचालित हैं।

मद्यपान ;Alcoholism)

शराब और नशा केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं वरन् उसके परिवार और व्यापक रूप से समाज के लिए भी हानिकारक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेष समिति के अनुसार – मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन ''नशे की दीर्घकालीन ऐसी स्थिति है जो मादक पदार्थ के बारबार सेवन से उत्पन्न होती है चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम तथा जो व्यक्ति या समाज के लिए अहितकर हो''। इस प्रकार मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन नशे की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति में मदिरा पीने या अन्य मादक पदार्थ के नियमित रूप से सेवन की प्रबल इच्छा होती है तथा वह उसे किसी तरह पाना चाहता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैंः– (1) मादक द्रव्य सेवन करते रहने तथा उसे किसी भी तरह पाने की प्रबल इच्छा, (2) इसकी मात्रा में वृद्धि करते रहने की प्रवृत्ति, (3) मदिरा या मादक द्रव्य के प्रभावों पर मानसिक तथा शारीरिक निर्भरता।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मद्यपान से देश में जहां पांच बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष बीमारी (60 प्रकार के रोग), दुर्घटना (25 प्रतिशत दुर्घटनाएं शराब के नशे में) एवं अन्य खर्चों में बर्बाद होते हैं, वहीं शराब से देश को प्रतिवर्ष होने वाली राजस्व आय मात्र 4. 8 बिलियन डॉलर है। देश में सर्वाधिक 19.7 प्रतिशत आबादी छत्तीसगढ़ में शराब का सेवन करती है। राजस्थान में यह आंकड़ा सबसे कम 3.4 प्रतिशत है (टाइम्स ऑफ इण्डिया, 8 अगस्त 2012)।

मद्यपान के कारण

मद्यपान के एक नहीं अनेक सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारण हैं। लिण्डर के अनुसार, मद्यपान का मुख्य कारण मनुष्य की मानसिक तनावों से मुक्ति पाने की इच्छा है। स्ट्रेकर एवं फ्रैंसिस के अनुसार मद्यपान के मुख्य कारण निम्नांकित हैं–

1. मद्यपान सामान्यतया जीवन के दायित्वों एवं भार से पलायन के लिए किया जाता है।
2. मद्यपान इस बात का संकेत देता है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कितना असमर्थ है।
3. असाधारण पियक्कड़ वह व्यक्ति है जो अपने जीवन की वास्तविकताओं को मद्यपान के बिना सहन नहीं कर सकता है।
4. साधारण पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकताओं को सुखद बनाने हेतु संयमित मात्रा में पीता है जबकि असाधारण पियक्कड़ जीवन की वास्तविकताओं से पलायन करने के लिए पीता है।
5. असाधारण पियक्कड़ में असुरक्षा और हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वह जीवन में असफलताओं के लिए अधिक पीने की जिम्मेदार ठहराता है।

डॉ0 जी0एल. शर्मा ने अपने डॉक्टरेट रिसर्च में यह पाया कि जो चिकित्सक नयामुक्ति के विशेषज्ञ हैं, वे ही शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं। यह विरोधाभाष मद्यपान को एक जटिल

मनोवैज्ञानिक–सामाजिक–सांस्कृतिक एवं लाइफ स्टाइल से जुड़ी प्रघटना के रूप में प्रस्तुत करता है। इच्छाशक्ति की कमी मद्यपान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है।

संक्षेप में मद्यपान व्यसन के निम्नांकित कारण माने जा सकते हैं–

1. **मानसिक तनाव** :– वर्तमान की असंख्य समस्याओं एवं संघर्ष से व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसे तनाव से मुक्ति के लिए मद्यपान किया जाता है।
2. **मोज–मस्ती एवं पार्टी** :– अनेक व्यक्ति मदिरा का सेवन केवल मौज–मस्ती एवं जीवन का आनन्द उठाने के लिए करते हैं। वे अपने साथियों के साथ पार्टी करके मदिरा पान कर आनन्द लेते हैं।
3. **शक्ति संचय की इच्छा** :– कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि मद्यपान से शक्ति का संचय होता है ओर इसीलिए वे मद्यपान करते हैं और ऐसा करते–करते अभ्यस्त हो जाते हैं। वस्तुतः मद्यपान शरीर में शक्ति नहीं, उत्तेजना पैदा करता है।
4. **समाजिक एवं धार्मिक उत्सव** :– कई बार होली, दीपावली, वर्षगांठ, जन्मदिन, क्रिसमस इत्यादि सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों पर मद्यपान का सेवन किया जाता है और ऐसा करते–करते व्यक्ति उसका अभ्यस्त हो जाता है। शादी–विवाह, जन्मोत्सव आदि खुशी के अवसरों पर भी मद्यपान किया जाता है।
5. **स्नायु दुर्बलता** :– कुछ लोगों में स्नायु दुर्बलता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति छोटी–छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं तथा उनका सामना नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप वे मद्यपान का सहारा लेते हैं।
6. **आर्थिक लाभ** :– जब किसी व्यक्ति को अचानक कोई आर्थिक लाभ होता है तो वह मद्यपान का सेवन करता है, जैसे –लॉटरी खुल जाना, सेवा में पदोन्नति मिल जाना, भावों में तेजी आ जाना आदि।
7. **मनोरंजन के साधनों का अभाव** :– निर्धन एवं अशिक्षित लोग जो गंदी एवं भीड़भरी वस्तियों में रहते हैं। उसके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते। घर–परिवार के माहौल से तगं एवं परेशान होकर वे मद्यपान करने लग जाते हैं।
8. **व्यवसाय के लिए** :– कुछ लोगों का व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें ग्राहकों एवं अधिकारियों को खुश रखना पड़ता है। इसके लिए वे मद्यपान का सहारा लेते हैं। शराब की बोलत अच्छी गिफ्ट समझी जाती है।
9. **रोजगार की प्रकृति** :– कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें स्फूर्ति बनाये रखने की आवश्यकता होती है, जैसे –ट्रक चालक, रेलवे ड्राइवर, गार्ड, चौकीदार, सेल्समेन आदि। ऐसे व्यक्ति स्फूर्ति बनाये रखने के लिए मद्यपान व्यसनी हो जाते हैं।
10. **कॉरपोरेट कल्चर** :– आधुनिक एवं वैश्वीकरण की दौड़ में प्रोफेशनल एवं कॉरपोरेट कल्चर में मदिरा पार्टी, कॉकटेल पार्टी एवं पब को अपरिहार्य माना जा रहा है।

मादक–द्रव्य व्यसन ;Drug abuse)

मादक पदार्थों का व्यसन युवा भारत की एक ज्वलन्त सामाजिक–आर्थिक समस्या बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत अफीम अत्पादन में अग्रणीय पाकिस्तान–अफगानिस्तान–ईरान नामक गोल्डन क्रेसेन्ट तथा गोल्डन ट्राईएंगल के बीच स्थित है। अतः मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी की संभावनाएं यहां स्वाभाविक रूप से अधिक रहती हैं। तम्बाकू, भांग, गुटखा, गांजा एवं अफीम–डोडा पोस्त का उपयोग उत्तरी भारत में विशेष रूप से राजस्थान एवं सीमावर्ती जिलों में अधिक प्रचलित

है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 18 जुलाई 2012 को गुटखे पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है।

शिक्षित युवक और युवतियों का हिप्पी संस्कृति के प्रति लगाव दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वे मद्यपान और नशे के सेवन का शिकार हो रहे हैं। वे इन वस्तुओं के सेवन में एक प्रकार का अद्‌भुत आनन्द अनुभव करते हैं।

डेविड ड्रेसलर ने मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के बारे में लिखा है कि ये लोग जाने –अनजाने में औषधि के रूप में या तनाव–शैथिल्य नींद के लिए इनका प्रयोग प्रारम्भ करते हैं और धीरे–धीरे इन पर निर्भर हो जाते है। मादक द्रव्यों के दुरूपयोग, सेवन एवं तस्करी को रोकने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS; Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985) बनाया गया है। इसमें 2001 में संशोधन करके कड़ी सजा के प्रावधान किये गये हैं। नशीली औषधि पर अन्तरराष्ट्रीय संगठन, जिसका कि भारत हस्ताक्षरित सदस्य है, ने औषधियों को दो वर्गों में विभक्त किया है – 1. स्वापक औषधियाँ (Narocotic Drugs) एवं 2. साईकोट्रोपिक पदार्थ (Psychotropoc Substances)।

मादक द्रव्यों का अपराधों से संबंध

मदक द्रव्यों का अनावश्यक प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। वस्तुतः युवकों में स्वापक द्रव्यों का सेवन एक फैशन सा बन गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र मादक द्रव्यों के सेवन के अभ्यस्त हो गये हैं।

ऐसे मादक द्रव्य मुख्यतया निम्नांकित दो प्रकार के माने गये हैं–

(i) स्वापक या मादक औषधियाँ (Narcotic drugs) एवं

(ii) मनः प्रभावी पदार्थ (Psychotropoc Substances)।

मदक औषधियों में निम्नांकित औषधियाँ सम्मिलित हैं–

- अफीम
- मोर्फिन
- हेरोइन/स्मैक
- कोकीन
- केनेबो पौधों का रस
- मेथाडीन
- पेथेडीन
- हिबाइन
- कोको पत्ती इत्यादि।

यह स्वापक द्रव्य मानव शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यन्त हानिकर हैं। इनके सेवन से मनुष्य का विवके, धैर्य, साहस, उत्साह, शक्ति क्षीण हो जाती है। धीरे–धीरे ऐसा व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होने लगता है।

सामाजिक – सांस्कृतिक कुरीतियाँ एवं अपराध

वेश्‍यावृत्ति (Prostitution)

वेश्यावृत्ति का अर्थः– वेश्यावृत्ति, वेश्या स्त्री और वैश्यागामक (पुरूष) के मध्य एक अनैतिक संबंध है। इस संबंध का मुख्य आधार धन या अन्य वस्तुएं है। इस प्रकार किसी भी महिला द्वारा धनोपार्जन के उद्देश्य से वेश्यागामी पुरूष जो उसका पति नही होता है, किया गया स्वतंत्र व्यापार वेश्यावृत्ति है।

आधुनिक युग मे स्त्री पुरुष के यौन संबंधों मे तेजी से स्वतंत्रता आ रही है। वर्तमान यौन संबंधों को पहले जितना बुरा बुरा नही माना जाता है। नवयुवक नवयुवतियाँ स्वतंत्र रूप से यौन संबंध रखना चाहते है। यह वेश्यावृत्ति का आधुनिक स्वरूप है, जो भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति से जन्मा है। इस सभ्यता मे धन कि का अधिक महत्व है। जो धनवान है, समाज उसी का सम्मान करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज वे स्त्रियाँ जो काफी शिक्षित है, इस व्यवसाय को शिक्षित एवं सभ्य ढंग से करती है, क्योंकि ये व्यवसायिक रूप मे अब कोठे पर नही बैठती है, बल्कि कुछ समय के लिए विशेष स्थान पर जैसे–– बड़े–बड़े होटल, रेस्ट्राँ अथवा गुप्त स्थान पर मिलती है। वर्तमान मे इन्हें कॉल गर्ल के नाम से जाना जाता है।

वेश्यावृत्ति की परिभाषा (veshyavritti ki paribhasha)

क्लीनर्ड के अनुसार,[६] वेश्यावृत्ति एक भेद रहित धन की प्राप्ति के लिए यौन संबंध की स्थापना होती है, जिसमें उद्वेगात्मक उदासीनता होती है।[६]

इलियट और मेरिल के अनुसार, वेश्यावृत्ति एक प्रकार का अवैध यौन संबंध है जो अनेक व्यक्तियों के साथ धन प्राप्ति हेतु स्थापित किया जाता है, जिसमें प्रेम जैसे उद्वेगों का अभाव होता है। वेश्यावृत्ति और दो प्रेमियों के मध्य अवैध यौन संबंधों मे अंतर होता है। वेश्यावृत्ति में प्रेम और स्नेह नही सर्वथा अभाव होता है।[६]

फ्लैक्सनर के अनुसार, वेश्यावृत्ति में तीन मुख्य बातें होती है––

1. विनिमय अर्थात् धन की प्राप्ति,

2. यौन आवश्यकता की सन्तुष्टि, और

3. भावात्मक तटस्थता।

वेश्यावृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता अवैध यौन संबंध है। इस संबंध के द्वारा उसे धन प्राप्त होता है। अगर अवैध यौन–संबंध स्थापित हो जाय किन्तु इसके बदले में रूपये प्राप्त नही होते है तो भी हम हमें वेश्यावृत्ति कह सकते है।

वेश्यावृत्ति की विशेषताएं (veshyavritti ki visheshta)

वेश्यावृत्ति की निम्न विशेषताएं है––

1. वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है

वेश्यावृत्ति किसी एक विशेष सुख, आनन्द, शौक अथवा सेक्स संबंधी अनुभवों के लिए नही की जाती है, वरन् स्त्रियां इसे जीविका के साधन के रूप में अपनाती है। अपने शरीर का कुछ समय के लिए व्यापार करती है। कुछ सामान्य वेश्यायें ऐसी है जिनकी आय अत्यधिक है। इस प्रकार की वेश्याओं की फीस बहुत ज्यादा होती है जिनकी फीस केवल अमीर व्यक्ति ही दे सकते है। इसलिए वे अमीरों की तरह सी बड़े ठाट–बाट से रहती है।

2. उद्वगेहीनता

यह ऐसा अवैध यौन संबंध है जिसमें प्रेम संबंधी भावनाओं, विचारों, उद्वेगों आदि का अभाव पाया जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों ही जो इस समझौते में सम्मानित होते है, वे इस तथ्य से भली–भाँति परिचित होते है

कि जो उनके मध्य यौन–संबंधी समझौता है, वह कुछ समय के लिए गया है जिसके लिए पर्याप्त धन दिया गया है। अस्तु इस प्रकार के यौन संबंधी समझौते मे प्रेम संबंधी विचारों का कोई अस्तित्व नही होता है। पुरुष वेश्याओं के पास केवल अपनी हवस को मिटाने के लिए जाता है।

3. अवैध यौन संबंध

इस व्यवसाय मे दो पक्षों के मध्य यौन–संबंधी जो समझौता होता है, उसकी कोई वैधानिक मान्यता नही होती है। अतः वेश्याओं के साथ जो यौन संबंध स्थापित किये जाते है, वे अवैध होते है।

4. वेश्यावृत्ति का उद्देश्य आर्थिक लाभ

वेश्यावृत्ति की एक विशेषता यह है कि वेश्या का उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है। सामान्त युग से लेकर आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियों ने धन के लिए ही अपने शरीर को बेचा है। कुछ ने अपने जीवन की गाड़ी को ढकेलने के लिए इस व्यवसाय को विवशता में अपनाया और कुछ ने इसलिए कि वह कुछ ही दिनों में धनी बन जाएँ। आधुनिक युग मे वेश्यावृत्ति के परिवर्तित स्वरूप इसके प्रमाण है कि भले अच्छे परिवार की लड़कियाँ इस व्यवसाय को इस ढंग से करती है कि उसका अनुमान लगाना कठिन है। इसका भी उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना होता है।

5. वेश्यावृत्ति मे भेदभाव का अभाव होता है

वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में किसी प्रकार भेद–भाव नही होता है। वेश्या का उद्देश्य अपने यौवन को कुछ समय के लिए बेचना है। वे स्वेच्छा से बेचती है अर्थात् इसे किसी भी जाति का व्यक्ति खरीद सकता है।

7. यौन का केन्द्रीयकरण

इस व्यवसाय मे संपूर्ण ध्यान यौन संबंधी आकर्षण के प्रति होता है। वेश्या जब तक युवती, सुन्दरी और आकर्षक है तक तक उसका बाजार और व्यापार चलता रहता है। वे व्यक्ति जो वेश्या के पास जाते है उनका उद्देश्य वेश्या से न तो प्रेमालाप करना है और न प्रेम संबंधी उद्देश्यों को प्रकट करना ही। वे तो वेश्या के यौन आकर्षण के गुलाम होते है जिसे वे खरीदते है।

उभरते अपराध ;Emerging trends in crime)

सफेदपोश अपराध

सफेदपोश या श्वेतवसन अपराध सामान्यतः आर्थिक लाभ से जुड़े होते है। ऐसे अपराध कारित करने का मुख्य उद्देश्य येन–केन प्रकारेण धन अर्जित करना होता है, चाहे इसके लिए अपराध ही क्यों न करना पड़े। आज सफेदपोश अपराध सम्पन्नता का पर्याय भी बन गया है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तस्करी, मिलावट, मुनाफाखोरी, कर–प्रवंचना आदि ऐसे ही अपराध हैं। ऐसे अपराध सामान्यतः शिक्षित, सम्पन्न एवं प्रतिरिष्ठत व्यक्तियों द्वारा कारित किये जाते हैं। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम ई.एच. सदरलैण्ड 1983–1950 ने प्रतिपादित की है।

उच्च सामाजिक व आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने व्यावसायिक या व्यापारिक कार्य के दौरान किये जाने वाले कानूनी उल्लंघन को ''सफेदपोश अपराध'' कहना उचित होगा। सदरलैण्ड ने सफेदपोश अपराधों से तुलना (अन्तर) करने की दृष्टि से सामान्य अपराध को ''ब्लू कॉलर क्राइम'' कहना उचित समझा।

मुनाफाखोरी :–

आधुनिक युग भौतिकवादी एवं मौजमस्ती का युग है। प्रतिस्पर्धात्मक इस समय पर व्यक्ति किसी भी कीमत पर शीघ्रातिशीघ्र धनार्जन करना चाहता है, क्योंकि उसकी विलासितापूर्ण जीवन शैली इसकी मांग करती है। अब वह सभी नैतिकताओं और व्यावसायिक मूल्यों को ताक पर रखकर मुनाफाखोरी के एकमात्र लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। अपनी भौतिकवादी लालसा एवं स्टेटस मेन्टेन करने की मनोवृति उसे मुनाफाखोरी के कुएं में धकेल देती है। मुनाफाखोरी किसी भी तरह अधिकतम लाभ कमाने की मनोवृति है जिसमें कालाबाजारी, मिलावट, कर–अपवंचन, जमाखोरी, ठगी, गबन, बेईमानी एवं धोखाधड़ी सभी प्रकार की क्रियाएं एवं साधन सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रकार श्वेतवसन अपराधों में मुनाफाखोरी के अपराध की अवधारणा मुख्यतः चार तत्वों पर निर्भर करती है जिसे ळव्छम्कहा गया है–

- G-Gree (लालच)
- O- Opportunity (अवसर)
- N- Need (आवश्यकता)
- E – Expectation of going slotfree (बच निकलने की उम्मीद)

जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट

सफेदपोश अपराधों की समस्या आवश्यक रूप से मानव की अर्जनशीलता की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की सफलता तथा यश उसके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन सम्पति अर्जन करके अपने साथियों से आगे निकलना चाहता है और इस प्रयास में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वह ऐसी योजनाएं बनाता है, जो सफेदपोश आपराधिकता के रूप में उजागर होकर सामने आती है। व्यापारिक क्षेत्र में जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य व पेय वस्तुओं में मिलावट द्वारा अवैध लाभ कमाना भी इन्ही योजनाओं के कुछ प्रकार हैं। इसी प्रकार आयात व निर्यात संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा कमाने की मनोप्रवृति व्यापारियों में प्रायः पाई जाती है। मिलावट जैसे अवैध कृत्यों की रोकथाम के लिए भारत के विधि आयोग ने कड़ी सजा दी जाने की सिफारिश की है क्योंकि इनके कारण जन स्वास्थ्य को अपूर्णीय क्षति होती है।

कम्प्यूटर से संबंधित सफेदपोश अपराधः– (Cyber crime)

विगत दशक में इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सूचना प्रौद्योगिकी की अद्वितीय प्रगति के कारण नवीन प्रकार के सफेदपोश अपराध अस्तित्व में आये हैं जिन्हें सामान्यतः साइबर–अपराध कहा जाता है। दिनों–दिन निरन्तर बढ़ते हुए साइबर अपराधों ने एक विश्वव्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया है जिनके निवारण हेतु प्रायः सभी राष्ट्र–राज्य प्रयासरत हैं।

विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों में दूरसंचार सेवाओं की चोरी, आद्योगिक जासूसी, अश्लील लैंगिक सामग्री का प्रसारण, इन्टरनेट पर धनराशि की धोखाधड़ी, बैंकिंग सेवा का दुरूपयोग, दूरसंचार में अवैध हस्तक्षेप आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी साइबर अपराध सफेदपोश अपराध हों, इनमें से कुछ विशिष्टि अपराध ही श्वेतपोश अपराध कहे जा सकते हैं।

कर–अपवंचन :–

भारतीय कराधान से संबंधित विधियों की जटिलता के कारण करदाताओं को कर देने से बच निकलने तथा करों की चोरी करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। व्यापारियों, उद्यमियों, व्यावसायिक व्यक्तियों, डॉक्टरों, अधिकवक्ताओं, ठेकेदारों, फिल्म जगत के नामी कलाकारों आदि के द्वारा करों की चोरी के मामले प्रायः सामने आते रहते हैं। स्वभाविकतः ये प्रतिष्ठित वर्ग के लोग टैक्स के रूप में यथासंभव कम राशि अदा करते हैं तथा करों की चोरी की राशि का काले धन के रूप में परिचलन होता रहता है। इससे सरकार को राजस्व की हानि तो होती ही है, साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित बीयरर बॉण्ड के मामले का उल्लेख करना उचित होगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा पारित स्पेशल बीयर बॉण्डस् (इम्युनिटिज एण्ड एक्जेम्पशन) अधिनियम, 1981 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसके कारण करों की चोरी को बढ़ावा मिलेगा, जो काले धन में वृद्धि करेगा क्योंकि इस कानून के अधीन लोगों को विशेष बॉण्डस् खरीदकर अपने काले धन को श्वेत धन में परिवर्तन करने की सुविधा दी गई थी जो अनैतिक एवं अनुचित थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय देते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य कर की चोरी को बढ़ावा देना या पूर्व में की गई कर चोरी को माफ करना न होकर देशभर में लोगों द्वारा छिपाकर रखे गये काले धन को निकालना था और इसलिए लोगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक था। काला धन बाहर लाने तथा सरकार को राजस्व की हानि से बचाने हेतु इस प्रकार का कानून पारित किया जाना उचित एवं समीचीन था।

उल्लेखनीय है कराधान विधि के अन्तर्गत कर का अपवंचन दण्डनीय है न कि कर का परिहार यद्यपि ये दोनों पद एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनमें सूक्ष्म अन्तर है। कर–अपवंचन का अर्थ है देय कर की अदायगी न करना जबकि कर परिहार से आशय यह है कि अपनी आय का इस प्रकार समायोजन करना ताकि विधि के अन्तर्गत कर देने के दायित्व से वैध रूप से बचा जा सके।

यद्यपि सफेदपोश अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 1993; औद्योगिक (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951; आयात व निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1947; कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इत्यादि विधियां पारित की हैं। फिर भी इनके उल्लंघन के परिणामस्वरूप ये अपराध प्रायः होते रहते हैं।

रिश्वत – सेवा शुल्क के रूप में सांस्थीकरण

आचार्य कौटिल्य (चाणक्य, 350–275 ई.पू.) ने ''अर्थशास्त्र'' में लिखा है कि ''जिस प्रकार तालाब में तैरती मछली कब पानी गठक जाती है कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार नौकरशाही में अधिकारी वर्ग कब भ्रष्ट आचरण (रिश्वत) कर ले, यह पता लगाना मुश्किल है।'' भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें अत्यन्त गहरी हो चुकी हैं। धीरे–धीरे मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं। नैतिक मूल्यों के पतन के कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्याप्त होकर व्यवस्था को खोखला किये जा रहा है।

रिश्वतखोरी वह है जब अधिकार सम्पन्न व्यक्ति अपने पद/प्रभाव का प्रयोग अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु स्वार्थपूर्ण तरीके से करता है। भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र–सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक, प्रशासनिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत में चन्द नेता, खास अफसर, लामबन्द व्यापारी, उद्योगपति, बदनाम गुण्डे, तथाकथित धर्माधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन (नेता, बाबू, लाला, दादा, बाबा एवं झोला) भ्रष्टाचार के स्तम्भ हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, संथानम समिति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, एन.एन. वोहरा समिति 1993, हाल ही में चर्चित लोकपाल निधेयक इत्यादि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु प्रयास किये गये हैं।

सफेदपोश (आर्थिक) अपराध –कानून एवं अनुसंधान एजेन्सी

क्र. सं.	आर्थिक अपराध	अधिनियम / कानून	जांच एजेन्सी
1.	कर–अपवंचन	आयकर अधिनियम, 1961	प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड
2.	विनिषिद्ध माल का अवैध व्यापार एवं नौकरी	कस्टम अधिनियम, 1962	कलेक्टर ऑफ कस्टम्स
3.	उत्पादन शुल्क का अपवंचन	सेन्ट्रल उत्पाद एवं नमक अधिनियम, 1944	कलेक्टर ऑफ सेल्ट्रल एक्साइज
4.	सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी	पुरा वस्तु एवं कला कोष अधिनियम, 1972	पुलिस / केन्द्रीय जांच ब्यूरो
5.	मनी–लाउन्ड्रिंग	विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973	प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.)
6.	विदेशी योगदान में हेराफेरी	विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976	पुलिस / सी.बी.आई.
7.	मानव अंगों का अवैध व्यापार	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	पुलिस / सी.बी.आई.
8.	अवैध औषधियों का व्यापार	एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985	पुलिस / सी.बी.आई. एन.सी.बी. / पुलिस / सी.बी.आई.
9.	कपटपूर्ण दिवालियापन	बैंकिग रेग्यूलेशन अधिनियम, 1949	पुलिस / सी.बी.आई.
10.	लेक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	सी.बी.आई / ए.सी.बी.
11.	कपट / धोखाधड़ी	भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम, 1860	राज्य पुलिस / भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो
12.	वितीय धोखाधड़ी	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	सतर्कता ब्यूरो / सी.बी.आई.
13.	विदेशी अपराध संबंधी अपराध	आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947	पुलिस / सी.बी.आई.
14.	फर्जी यात्रा दस्तावेजों का लेन–देन या पहचान–पत्रों संबंधी धोखाधड़ी	पासपोर्ट अधिनियम 1920 / भा.द.सं.	विदेशी व्यापार / महानिदेशालय / सी.बी.आई.
15.	आतंकवादी गतिविधियां	पोटा, 2000	पुलिस / सी.बी.आई.
16.	आयुधों का अवैध व्यापार	आयुध अधिनियम, 1959	पुलिस / सी.बी.आई.
17.	विस्फोटकों का अवैध व्यापार	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	पुलिस / सी.बी.आई.
18.	बौद्धिक संपदा की चोरी	कॉपी राइट अधिनियम, 1957 (सन् 1994, 1995 एवं 1999 में संशोधन) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000	पुलिस / सी.बी.आई.
19.	कम्प्यूटर या साइबर अपराध एवं सॉफ्टवेयर दस्युता	आई.टी.एक्ट, 2000	पुलिस / सी.बी.आई.
20.	स्टाक मार्केट संबंधी अपराध	कम्पनी अधिनियम, 2013	पुलिस / सी.बी.आई.

21.	कम्पनी संबंधी कपट/धोखाधड़ी आदि।	एकाधिकार निवारण अधिनियम, 1968 (M.R.T.P.Act)	पुलिस/सी.बी.आई.

दण्डशास्त्र

दण्डशास्त्र की अवधारणा (Concepet of penology):–दण्ड एवं न्याय की व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में राजा को ही विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था। राजा को विधि बनाने, उसे लागू करने एवं उसकी अवहेलना किये जाने पर दण्ड का पूरा अधिकार था। राजा की आज्ञा का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था।

दण्ड की परिभाषा :– दण्ड एक ऐसा शब्द है जो दैनिक व्यवहार में आम आदमी की जिह्वा पर रहता है। जब भी कोई व्यक्ति समाज अथवा विधि के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसे व्यक्ति, समाज अथवा शासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रताड़ना को हम साधारण बोलचाल की भाषा में दण्ड कहकर पुकारते है।

एन्रीको फेरी– ''दण्ड को एक विधिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित करते है।

ते डॉ.एम. जे. सेठना–

''दण्ड को सामाजिक निन्दा की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि इसमें कष्ट या पीड़ा का होना आवश्यक नहीं है।''

जबकि सदरलैण्ड कहते हैं–

''दण्ड में कष्ट एवं पीड़ा निहित रहती है जो दण्ड के प्रारूप द्वारा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा में निहित किसी मूल्य द्वारा न्यायोचित ठहराई जाती है।''

वेस्टमार्क–

''दण्ड को वह पीड़ा मानते हैं जो एक निश्चित ढ़ग से समाज के द्वारा समाज की ओर से अपराधी को दी जाती है जो उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है।''

वाल्टर रेकलैस के अनुसार–''दण्ड सामाजिकक नियंत्रण का एक साधन है। इसके माध्यम से समाज सदोष कृत्य, आघात अथवा विधि तथा प्रथा के उल्लंघन के लिए प्रतितोष लेता है। समाज या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति दण्ड को व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने, यथास्थिति बनाये रखने तथा विधि की पालना कराने हेतु एक साधन के रूप में धारण करता है।''

दण्ड के तत्व–

दण्ड की उपरोक्त परिभाषाओं से इसके निम्नांकित तत्व परिलक्षित होते हैं–

(क) दण्ड एक पीड़ा, क्लेश अथवा यातना है।

(ख) यह दुःखदायी होता है।

(ग) यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी अपकार, अपकृत्य अथवा अपराध का दोषी

होता है।

(घ) यह समाज, समुदाय, राजा या राज्य द्वारा दिया जाता है।

(ड़) दण्ड का उस कृत्य से सीधा संबंध होता है जिसके लिए वह दिया जाता है।

(च) दण्ड स्वेच्छापूर्वक अथवा आशयपूर्वक किये गये कृत्य के लिए दिया जाता है।

दण्ड के उद्देश्य

इसी सन्दर्भ में यहां दण्ड के उद्देश्यों पर विचार करना भी समीचीन होगा। दण्ड क्यों दिया जाता है इसके उद्देश्य क्या है, इस संबंध में अपराधशास्त्रियों के अब तक के विचार रहे है–

होम्स के अनुसार–

''दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है।''

जेरेमी बेन्थम भी दण्ड का प्रमुख उद्देश्य ''अपराधों का निवारण एवं व्यक्ति की क्षतिपूर्ति'' मानते है।

डॉ. सेठना दण्ड के चार उद्देश्य बताते है–

(i) अपराधी को अपराध की पुनवावृति से रोकना,

(ii) अन्य व्यक्तियों को अपराध से निवारित रखना;

(iii) समाज में इस धारणा को मान्यता देना कि अच्छे कार्य सदा पुरस्कृत होते है एवं बुरे सदा दण्डित;

(iv) अपराधी का सुधार करना।

इस प्रकार इन सभी मतों का मिला–जुला प्रभाव यह है कि दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना एवं अपराधी में सुधार लाना है।

दण्ड के सिद्धान्त

अपराध के लिए दण्ड व्यवस्था का प्रावधान प्राचीनकाल से ही है। परन्तु समय परिवर्तन के साथ–साथ व्यवस्था में भी परिर्वतन होना स्वाभाविक है। जनमत की अपेक्षाओं के अनसुार समय–समय पर आपराधिक न्याय के उद्देश्य में परिर्वतन होता रहा है। किसी समय विशेष में दण्ड व्यवस्था कैसी थी दण्ड किसे और और कितना दिया जाये। इत्यादि बातों का ज्ञान उस समय प्रचलित दण्ड के सिद्धान्त से पता लगाया जा सकता है।

दण्ड के मुख्यतया चार सिद्धान्त बताये है–

(i) क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त;
(ii) प्रायश्चित का सिद्धान्त;
(iii) प्रतिशोध का सिद्धान्त;
(iv) प्रतिरोध का सिद्धान्त।

प्रतिरोध को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है–

(क) अपराधी का प्रतिरोध; एवं
(ख) समाज का प्रतिरोध।

(i) **प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त**– प्रतिरोधात्मक अथवा निवारणार्थ सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य अपराधी को एवं साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी अपराधों से दूर रखना है। इसमें अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाता है

ताकि अपराधी भविष्य में अपराध की पुनरावृति न करें। इसे उदाहरणात्मक दण्ड भी कहा जाता है अर्थात् यह अपराधी एवं समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है ताकि भयभीत होकर भविष्य में अपराध नहीं करें।

इसका हमें एक सुन्दर उदाहरण मिलता है। एक बार घोड़ा चुराने के अपराध में सजा देते हुए न्यायाधीन ने कहा था– ''तुम्हें घोड़ा चुराने के लिए दण्ड नहीं दिया जा रहा है, अपितु दण्ड इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में घोड़े न चुराये जायें।''

(ii) **निरोधात्मक सिद्धान्त**– दण्ड का यह एक कठोर सिद्धान्त है। यह अपराधियों को अपराध के लिए असमर्थ अथवा अक्षम बनाकर समाज के हितों की रक्षा करता है।

(क) आजीवन कारावास;

(ख) मृत्यु–दण्ड; एवं

(ग) देश–निष्कासन।

यह सिद्धान्त इस सूत्र पर आधारित है कि– ''उपचार से अच्छा निवारण होता है।''

(iii) **प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त,**– प्रतिशोध के रूप में दिया जाने वाला यह एक कठोरतक दण्ड है। यह कर्म के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अनुसार–''जो जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलना चाहिए।'' यह दण्ड की गम्भीरता पर दुःख नहीं करता।

''जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत'' ही इस दण्ड का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन वर्तमान समय में इसे अच्छा नहीं समझा जाता है और यह प्राय लुप्त सा है।

(iv) **सुधारात्मक सिद्धान्त**,– आज के कल्याणकारी राज्य में दण्ड का सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा मानव बनाता है। अपराधियों को कारागृहों में शिक्षा देना, उधोग धन्धे सिखाना आदि इस सिद्धान्त की प्रमुख सीख है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे–

''मानव जन्म से बुरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियां उसे बुरा बना देती है।''

अतः अपराध्यिों को इन बुराइयों से दूरकर उन्हें अच्छा मानव बनाना ही सुधारात्मक दण्ड का उद्देश्य होना चाहिए।

सुधारात्मक दण्ड का यह सिद्धान्त इन सूत्रों पर आधारित है कि–

''अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करो।'' –मधात्मा गांधी

''पापी से नहीं, पाप से घृणा करो।'' –भगवान महावीर

सुप्रसिद्ध सुधारवादी विचारक एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर का मत था कि–''अपराध एक रोग जनित बुद्धि भ्रमता है। इससे अपराधी को मुक्त किया जा सकता है। राज्य को ऐसे व्यक्तियों से प्रतिरोध न लेकर उन्हें पुनर्वास प्रदान रकना चाहिए''

(अ) **प्रायश्चित का सिद्धान्त**– यह सिद्धान्त धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हमारे यहां धार्मिक दृष्टि से अपराधी की आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय है।

ग्रामीण अंचल में यह मान्यता आज भी प्रचलित है। राजस्थान के प्रतापगढ़ कस्बे के पास एक गांव है अरनोद। वहां से थोड़ी दूरी पर 'गौतमेश्वर महादेव' का मन्दिर है। यहां पानी का एक कुण्ड बना हुआ है। उस क्षेत्र में आज भी यह सामाजिक प्रथा है कि अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कुण्ड में स्नान करना पड़ता है। इसके साथ ही वहां ग्यारह रूपये जमा करने पड़ते है। वहां से तक एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे 'पाप मुक्ति प्रमाणपत्र' कहा जाता है। यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अपराधी व्यक्ति को समाज में लिया जाता है। प्रायश्चित का यह एक सुन्दर उदाहरण है।

सजा के प्रावधान (कारावास सहित) (Provision for punishment including imprisonment)

दण्ड के प्रकार

(i) मृत्यु दण्ड;

(ii) आजीवन कारावास;
(iii) कारावास–
(क) कठोर या सश्रम कारावास;
(ख) साधारण कारावास; एवं
(ग) एकान्त कारावास;
(iv) सम्पति की जब्ती;
(v) अर्थ–दण्ड या जुर्माना;
(vi) परिवीक्षा;
(vii) चेतावनी;
(viii) पैरोल; एवं
(ix) क्षमादान।
धारा :– ''दण्ड'' – अपराधी आई.पी.सी. के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है, वे है –
पहला– मृत्यु,
दूसरा– आजीवन कारावास,।
तीसरा– (1949 के अधिनियम सं0 17 की धारा 2 द्वारा निरसित)
चौथा– कारावास, जो दो भांति का है, अर्थात्:–
(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ,
(2) सादा।
पंचवां – सम्पति का समपहरण,
छटा– जुर्माना।
अपराध के विभिन्न कारण

सुधार के उपाय और अपराधियों में सुधार
(Measures for correction and reform of criminals)

.सुधारात्मक सिद्धान्त– सुधारात्मक सिद्धान्त दया, प्रेम सहानुभूति और भावनाओं पर आधारित है। उपरोक्त सिद्धान्त में कोई कमी अवश्य पाई जाती है, क्योंकि सभी सिद्धान्त दण्ड की एक पक्षीय व्याख्या करते हैं। जबकि यह सिद्धान्त अपराध एवं दण्ड की व्याख्या पृथक ढंग से करता है। इस सिद्धान्त का प्रमुख उद्देश्य न तो बदल देना है और न ही अपराध की पुनरावृति रोकना बल्कि अपराधी का सुधार करना है। यह सिद्धान्त कठोर दण्ड देने की अपेक्षा सुधारने पर बल देता है। यह सिद्धान्त अपराध के कारणों के लिए समाज को उत्तरदायी मानता है। इसलिए अपराधी को एक मानसिक रोगी समझ कर उसका उपचार करके सुधारने पर बल देता है। अपराधी के व्यवहार एवं चरित्र में इस प्रकार परिवर्तन आने पर बल देता है कि यह भविष्य में अपराध कार्य छोड़कर एक सम्मानित नागरिक की तरह जीवनयापन कर सके। आधुनिक विद्वानों का मत है कि समाज को चाहिए कि वह अपराध से घृणा करे अपराधी से नहीं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां उसे अपराध के लिए बहस करती है। अतः अपराधी को एक मानसिक रोगी समझ कर उसका उपचार करना चाहिए। अपराध भी एक रोग है जिसका निदान हो सकता है। सुधारात्मक सिद्धान्त मृत्यु दण्ड की अपेक्षा कारावास के दण्ड को अधिक महत्व देता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनेक सुधारगृहो एवं सुधार संस्थाओं का निर्माण किया गया है।

आलोचना– अन्य सिद्धान्त की भांति ही यह सिद्धान्त के आधार पर निर्मित किये गये, क्योंकि इस सिद्धान्त के आधार पर निर्मित किये गये सुधारगृह अपराधियों के लिए आराम गृह बन गये। दूसरे अभ्यस्त एवं खतरनाक अपराधियों के लिए अच्छे आरामगृह साबित हो रहे हैं। यधपि सुधारात्मक सिद्धान्त की श्रेष्ठता को नकारा नहीं जा सकता तो भी अपराधों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल

मानसिक असन्तुलन या सामाजिक अन्याय ही अपराध का कारण नहीं है। अपितु अपराध के अनेक कारण हैं। अतः अपराधियों को मानसिक रोगी समझकर उनका उपचार करना ही लाभप्रद साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा अभ्यस्त अपराधियों का सुधार होगा या नहीं। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दण्ड देने की अपेक्षा जेल में सुविधा देकर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तब यह स्वाभाविक है कि अपराधों में वृद्धि हो। इसके साथ–साथ यह सुधार गृह नये–नये अपराधियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल का कार्य करते हैं। अभ्यस्त अपराधी नये नये छोटे अपराधियों के सफलतापूर्वक अपराध करने के नये–नये गुर सिखा देते है। जो उनको सुधारने का अवसर प्रदान करने की बजाय अभ्यस्त अपराधी बनाने में सहयोग देता है। अतः यह सिद्धान्त भी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अपराधों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कभी–कभी राजनैतिक हस्तक्षेप से भयंकर अपराधी भी जेल से छूट जाते हैं।

सभी सिद्धान्त अपनी कमियों के आधार पर आलोचनाओं के शिकार हुए हैं। किसी एक सिद्धान्त द्वारा अपराधों की रोकथाम नहीं की जा सकती। अतः अपराधों की सही रोकथाम के लिए किसी आदर्श सिद्धान्त की कल्पना मात्र ही की जा सकती है, लेकिन उपरोक्त सभी सिद्धान्त में व्यवहारिक सिद्धान्त वही हो सकता है जिसमें सभी सिद्धान्त का समन्वय हो। उदाहरण के लिए किसी भी अपराधी को दण्ड दिया जाने से पूर्व उसके दोषी होने की पूरी निष्पक्ष जांच की जावे। तत्पश्चात उसे अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसे सुधरने का अवसर मिल सके और समाज में एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर सके।

परिवीक्षा ;Probation) :–

परिवीक्षा न्यायालय में अपराधी के दोषसिद्ध होने पर उसे समाज में रहकर सुधरने के अवसर देने के लिए उस दण्ड को निलम्बित करके उसे समाज में भेजने का अवसर प्रदान करती है। यह – ''अपराधी जन्म से ही पैदा नहीं होते'' की धारणा पर आधारित है। यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है जो अपराधी को उसी के सामाजिक परिवेश में पुनः स्थापित करने के प्रयास के रूप में सुविधा प्रदान किया जाता है।

– परीवीक्षा न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी मांग करने पर न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) से अपराधी के जन्म से लेकर अदालत तक पहुंचने तक ही अवधि का पूरा अध्ययन करवाती है।

– परिवीक्षा अधिकारी का निगरानी में रहते हुये अदालत द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार सद्व्यवहार करने का अपराधी द्वारा वचन प्राप्त किया जाता है। जिनसे संतुष्ट होने पर न्यायालय द्वारा परिवीक्षा दी जाती है।

परिवीक्षा के उद्देश्य :–

(i) पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों, बाल अपराधियों, वृद्ध व कमजोर अपराधियों को दण्ड का भय दिखाकर व चेतावनी देकर सुधारना।

(ii) कलंकित जीवन एवं जेल के दूषित वातावरण से छुटकारा दिलाना।

(iii) कम अवधि की सजा का विकल्प है क्योंकि कम अवधि की सजा जेल का डर समाप्त कर देती है। जेल में छोटी अवधि में अपराधी का सुधार संभव नहीं होता, कलंक भी लग जाता है।

(iv) सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन (Adjustment) व पुनर्वास में परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से सहायता देना।

(v) अपराधिक न्याय प्रणाली सहयोग एवं तालमेल।

परिवीक्षा की शर्तें :–

परिवीक्षा अधिनियम 1958 (the Probationof offenders Act 1958) की धारा 3 के अनुसार प्च्च्ब्की धारा 379, 380, 381, 404 एवं 420 के तहत दोषसिद्धि या I.P.C.;k किसी अन्य कानून के तहत दो साल कम अवधि से दण्डित अपराध के पहली बार दोषसिद्धि अपराधियों को चेतावनी (Admonition) के बाद या उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से कम दण्ड से दण्डित अपराधियों के दण्ड की कुछ समय तक निलम्बित करने के लिये परिवीक्षा या निम्न शर्तों पर छोड़ने का प्रावधान।

(i) परिवीक्षा अधिकारी की रपट पर अदालत विचार करती है।

(ii) प्रोबेशन परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाला व्यक्ति को भविष्य में सद्व्यवहार बनाये रखने के लिये बन्ध पत्र (Bond) भरना पड़ता है तथा किसी व्यक्ति की जमानत (Surity)देनी पड़ती है।

(iii) परिवीक्षा अधिकारी की आज्ञा के बिना निवास स्थान नहीं बदलेगा तथा नशे आदि से दूर रहेगा।

(iv) परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रोबेशनर, परिवीक्षा अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क रखेगा और उसके नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य करेगा।

3. अधिनियम की धारा 5 के तहत अदालत अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ते समय पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा अदा करने का आदेश दे सकती है।

4. धारा 9 के अनुसार यदि अपराधी परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अपराध की निर्धारित सजा का आदेश अदालत दे सकती है।

नोट– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 व 361 में भी इसका उल्लेख किया गया।

;2 पैरोल ;Parole)

भारतीय मौजूदा कानून में कारावास से दण्डित व्यक्ति को राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 1958 के तहत नियमानुसार पैरोल (इसमें जेल में संतोषजनक एवं अच्छा व्यवहार करने वाले दोषसिद्ध अपराधी को सजा का कुछ भाग पूरा करने के बाद कुछ शर्तों के अधीन मुक्त कर देना) दिये जाने का प्रावधान है। यह परिवीक्षा से मिलता जुलता कानूनी प्रावधान है।

राजस्थान प्रिजीनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स 1958 में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जा रहे हैं, इसकी महत्वपूर्ण धाराऐं निम्न हैंः–

1. पैरोल एडवाइसरी कमेटी 2(एफ)
2. एक साल से अधिक सजा से दण्डित व्यक्ति ही पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। (धारा 3)
3. प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक प्राप्त कर जिला कलेक्टर को अग्रेषित करेगा। (धारा 4)
4. प्रार्थना पत्र को जिला मजिस्ट्रेट सुनेगा व उसे खारिज भी कर सकेगा। (धारा 5)
5. पैरोल की शर्तें निर्धारित की जा सकेगी। (धारा 6)
6. पैरोल निश्चित जमानत व मुचलका लिये जा सकेंगे। (धारा 7)
7. यात्रा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। (धारा 8)
8. पैरोल समय का निर्धारणः– सजा के एक चौथाई भाग पूरा करने के बाद सजायाफ्ता को प्रथम बार 20 दिन, दूसरी बार 30 दिन व तीसरी बार 40 दिन के लिए उसके अच्छे व्यवहार व चरित्र के आधार पर पैरोल दी जा सकेगी एवं इसी आधार पर उसे स्थाई पैरोल पर भी छोड़ा जा सकेगा या प्रत्येक वर्ष में 40 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा। आजीवन कारावास व मृत्यु दण्ड में पैरोल स्थाई नहीं होगी।
9. प्रोबेशन अधिकारी का पैरोल पर छुटे व्यक्ति पर परिविक्षण रहेगा। (धारा 11)
10. पैरोल का मुख्य उद्देश्य अच्छे आचरण को बढ़ावा देना है। (धारा 13)
11. पैरोल एक अधिकार नहीं एक सुधारात्मक उपाय है। (धारा 14)
12. शर्तो के उल्लंघन पर वापिस बुलाया जाना। (धारा 16)
13. शर्तो के उल्लंघन पर सजा। (धारा 18)

पैरोल की शर्तें :–

1. पैरोल अधिकारी के संरक्षण में रहकर अच्छा व्यवहार करेगा व किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।

पैरोल के लाभ :–

1. यह दूसरे कैदियों को जेल में अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है।
2. सरकारी धन की बचत करता है।
3. अपराधी का परिवार टूटने से बच जाता है।
4. पैरोल अधिकारी के निर्देशन व नियंत्रण में अपराधी को समाज में समायोजन व पुनर्वास का अवसर मिलता है।

(3)परिवीक्षा और पैरोल में अन्तर

परिवीक्षा ;Probation)

1. न्यायालय प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र किया जाता है।
2. परिवीक्षा अधिकारी (न्यायाधीश) द्वारा अपराधी के जन्म से लेकर सजा सुनाने तक की अवधि के दौरान के आचारण के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा दी जाती है।
3. न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
4. परिवीक्षा अधिनियम 1958 व सीआरपीसीकी धारा 360 के तहत ली जाती है।
5. यह सुधार का सबसे पहला कदम है।
6. धारा 361 सीआरपीसी के तहत यह एक अधिकार की तरह मांगा जा सकता है।

पैरोल (Parole)

1. न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा का कुछ भाग जेल में बिताने के बाद मुक्त किया जाना।
2. जेल अधिकारी द्वारा अपराधी के जेल में किये गये आचारण मूल्यांकन के आधार पर छोड़ा जाना।
3. प्रशासकीय बोर्ड या सलाहकर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।
4. जेल मैनुअल के तहत।
5. यह सुधार का आखिरी कदम है।
6. यह जेल प्रशासन का अपराधी के सुधार हेतु एक प्रयास है न कि अपराधी का अधिकार है।
7. वह पैरोल अधिकारी के सम्पर्क में रहेगा व अपने बारे में सही–सही सूचनाएं निरन्तर उसे देता रहेगा।
8. पैरोल अधिकारी की आज्ञा के बिना निवासस्थान व नौकरी नहीं बदलेगा, न राज्य से बाहर जायेगा और न ही विवाह करेगा।
9. नशीली वस्तुओं व औषधियों का सेवन नहीं करेगा।

पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने पर बकाया सजा काटने के लिये जेल भेज दिया जाता है।

सुधारक संस्थान ;CORRECTIONAL INSTITUTIONS)

अपराध विज्ञान में समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय की स्थापना एवं उनकी लोकप्रियता के बाद आपराधिक प्रशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। जहॉ पहले हम अपराधियों को न केवल चारदीवारी में बन्द करके उसे यातना देना ही दण्ड का लक्ष्य मानते थे, अपितु अपराधी का उन्मूलन ही अपराध कम करने का उपाय मानते थे, वहॉ अब इन पुराने सिद्धान्तों के खोखलेपन से हम आश्वस्त हो चुके हैं। अब यह पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है कि न तो अपराधी जन्मजात होते हैं और न ही अपराध किसी आतंरिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किये जाते हैं। अपराध एक सामाजिक प्रमेय है जो समाज में विद्यमान परिस्थितियों की उपज है। इस प्रकार समाज में उपस्थित परिस्थितियॉ ही व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं। इन परिस्थितियों के प्रभाव को मानव मस्तिष्क से समाप्त करके हम उसे सुधार सकते हैं। अपराधों के भी कारण होते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा हम इन कारणों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार जब हम बीमारी की भॉति अपराध का निदान कर सकते हैं तो फिर उस अपराधी का उपचार भी संभव है। अतः आज के अपराध–शास्त्रियों का दृढ मत है कि अपराधी दण्ड का नहीं, सहानुभूति एवं उपचार का पात्र है।

सुधार विधालय (Reformatory Schools)

सुधार विद्यालय बात–अपराधियों के सुधार की एक संस्था है जहां बाल–अपराधिं को शिक्षा के माध्यम से सुधारा जाता हे। सुधार विद्यालय की परिभाषा निम्नलिखित है –

''सुधारालय वह संस्था है जिसमें साधारणतया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (अर्थात् नवयुवक अपराधी) भर्ती किये जाते हैं, जो पहले सजा काट चुके होते हैं जिन पर माता–पिता का किसी अन्य का कोई नियन्त्रण नहीं रहा होता हैं।'' जो समाज में विद्यमान परिस्थितियों की उपज है। इस प्रकार समाज में उपस्थित परिस्थितियां ही व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं। इन परिस्थितियों के प्रभाव को मानव मस्तिष्क से

समाप्त करके हम उसे सुधार सकते हैं। अपराधों के भी कारण होते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा हम इन कारणों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार जब हम बीमारी की भांति अपराध का निदान कर सकते हैं तो फिर उस अपराधी का उपचार भी संभव है। अतः आज के अपराधशास्त्रियों का दृढ मत है कि अपराधी दण्ड का नहीं, सहानुभूति एवं उपकार का पात्र है।

सुधार विद्यालय के निम्नलिखित तत्व होते हैं –

(1) यह बाल अपराधियों के सुधार की एक संस्था है,

(2) इसमें 16 वर्ष के कम आयु के बालक–बालिकाओं को रखा जा सकता है,

(3) इसमें केवल वही बालक–बालिकायें रखे जाते हैं जिनके माता–पिता या संरक्षक नहीं होते हैं,

(4) इन अपराधियों को सुधार विद्यालय में तभी रखा जाता है जब कि इनके द्वारा गम्भीर अपराध न किये गये हों।

प्रवेश की शर्तें– सुधार विद्यालय केवल उन्हीं प्रदेशों में स्थापित किये गये हैं जहां 'सुधार विद्यालय अधिनियम' लागू होता है। सुधार–विद्यालय –अधिनियम (The Reformatory Schools Act) 1897 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत किशोर अपराधी की परिभाषा ऐसे अपराधी के रूप में की गई थी जिसे कारागार या देश–निष्कासन की सजा दी गई हो और जिनकी आयु बम्बई में 16 वर्ष तथा अन्यत्र 15 वर्ष से कम हो। इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार प्रदेशों को यह अधिकारी दिये गये हैं कि वे प्रवेश के लिए नियम बनायें। इस प्रकार इन विद्यालयों में प्रवेश की दशायें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न–भिन्न हैं।

सुधार विद्यालयों की कार्य पद्धति – सुधार विद्यालयों में बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए दो मौलिक उद्देश्य रखे गये हैं – (1) सुधार और (2) पुनर्वास।

इस प्रकार अपराधियों को सुधारना और समाज के साथ सामंजस्य करने की शिक्षा देकर उन्हें पुनर्वास में मदद करना ही इन विद्यालयों का लक्ष्य है। यहां उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपनी राजी–रोटी कमा सकें। बाल–अपराधियों को इन विद्यालयों में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पुनर्वासित किया जाता है–

(1) सर्वप्रथम जैसे ही बाल–अपराधी को सुधार–विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, उसका अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है। इस अध्ययन का लक्ष्य बाल–अपराधी और उसके वातावरण व मानसिक दशा की जानकारी हासिल करने तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए किया जाता हैं उस बच्चे की रूचि का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

(2) बाल–अपराधी को समझ लेने के प्रश्चात उसे शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। यह शिक्षा बालक की रूचि के अनुसार दी जाती है।

(3) तीसरे चरण में जब बाल–अपराधी शिक्षित हो जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि बाल–अपराधी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी रोजी–रोटी कमाने के योग्य बन सके। इससे बालक को मुक्त होने के बाद समाज में पुनर्वासन में अत्यन्त महत्वपूर्ण मदद मिलती हे।

(4) चतुर्थ अवस्था में बाल–अपराधी से जो श्रम लिया जाता है, उसके बदले में उसे मजदूरी दी जाती है। इस अवधि में बालक पर नजर रखी जाती है और देखा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति में कितना सुधार हुआ।

अन्त में जब यह पाया जाता है कि बाल–अपराधी समाज में सामंजस्य करने योग्य हो गया है, तब उसे विद्यालय से मुक्ति दे दी जाती है। मुक्ति के बाद दो वर्ष तक संस्था बालक से सम्पर्क बनाये रखती है। इस सम्पर्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुधारे गये बालक का समाज के साथ पूर्ण सामंजस्य हो जाये।

मुक्ति की विधियां– सुधार विद्यालय से बाल–अपराधियों को पूर्ण सुधार के बाद ही मुक्ति देने के तरीके निम्नानुसार हैं:–

(1) प्रार्थना पत्र देने पर,

(2) सजा समाप्त हो जाने पर,

(3) अन्य कारणों से–अन्य कारणों में शासकीय आदेश तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए मुक्ति दी जाती है।

असफलता के कारण–सुधार विद्यालय अपने कार्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसके कारण निम्नलिखित है–

प्रमाणित विद्यालय

प्रमाणित विद्यालय भी तिरस्कृत या निराश्रित बाल–अपराधियों को सुधारने की एक संस्था है। यह संस्था बाल–अधिनियम के अन्तर्गत आती है। इसे रिमाण्ड होम, बाल–न्यायालय और उत्तर संरक्षण समितियों से अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तर संरक्षण कार्यक्रमों के संबंधित सलाहकार समिति ने प्रमाणित विद्यालय की निम्नलिखित परिभाषा की है–

''इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रमाणित विद्यालय एक औद्योगिक विद्यालय होता है जो कि या तो राज्य द्वारा संस्थापित होता है या राज्य द्वारा बाल व युवक अपराधियों को स्वीकार करने के लिए प्रमाणित होता है।''

यदि बाल न्यायालय यह समझता है कि बाल–अपराधी संस्थागत उपचार चाहता है तो उसे प्रमाणित विद्यालय में प्रवेश की छूट दे दी जाती है। बाल–अपराधी को प्रमाणित विद्यालय में रहने की अवधि अलग–अलग प्रदेशों में अपराध की प्रकृति के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है, परन्तु बाल–अपराधी की आयु 18 वर्ष के होती ही उसे एक लायसेंस देकर तथा किसी व्यक्ति के निर्देशन में रखकर छोड दिया जाता है। भारत में सरकारी तथा निजी दोनों ही प्रकार के प्रमाणित विद्यालय हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

कार्य–साधारणतया प्रमाणित विद्यालय की बाल–अपराधियों के सुधार की एक संस्था है और उनका उद्देश्य भी बाल–अपराधियों को सुधार कर सभ्य नागरिकता की ओर बढाना है। यह विद्यालय निम्नलिखित कार्य करते हैं–

(1) लडके और लडकियों की शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं की खोज और उनकी पूर्ति।

(2) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।

(3) मुक्ति के पश्चात समाज से अनुकूलन एवं भरण–पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करना।

(4) परिवार के साथ सामंजस्य में सहायता करना।

(5) जीविका चलाने हेतु नौकरी या धन्धे की खोज में मदद करना।

सुधारालय (Remand home)

रिमाण्ड होम वह स्थान है जहां बाल–अपराधियों को कुछ समय के लिए रखा जाता है। साधारणतया इन घरों में गिरफ्तारी के बाद और संस्थागत उपचार से पूर्व उसके अध्ययन हेतु उन्हें रखा जाता है। जब कोई बाल–अपराधी पकड कर लाया जाता है तब साधारणतया उसे दो स्थानों पर रखा जाता हैं–

(1) बन्दी गृह और विशेष गृह।

विशेष गृह दो प्रकार के होते हैं

(1) उन लोागों के लिये जो बन्दीगृह से मुक्त किये गये हैंय

(2) उन लोगों के लिये जिन्हें वर्गीकरण एवं अध्ययन के लिये रखा गया है। इस वर्ग के रिमाण्ड होम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं–

अ–वे रिमाण्ड होम जहॉ उन बाल–अपराधियों को रखा जाता है जिन पर मुकदमा चल रहा होता हैय

ब–गम्भीर बाल–अपराधी जिन्होंने हत्या या यौन सम्बन्धी अपराध किया हो, इन्हें बन्दीगृह में रखा जाता हैय

स–कुछ रिमाण्ड होम बहु–उद्देशीय होते हैं जो वर्गीकरण एवं अध्ययन हेतु बाल–अपराधियों को रखने एवं उन्हें सुधारने का भी काम करते हैं।

उद्देश्य – रिमाण्ड होम के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैंः–

(1) बालकों का पालन–पोषण, शिक्षा और व्यवसाय की व्यवस्था करना।

(2) बाल –अपराधी के मॉ–बाप, संरक्षक तथा अन्य सम्बन्धियों के बालक के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन मिला हो, उसका अध्ययन कर बालक की व्यवहार सम्बन्धी विशेषताओं का पता लगाना।

(3) बालक की शारीरिक एवं मानसिक दशाओं का अध्ययन एवं निरीक्षण करना।

(4) मुक्ति के बाद बालकों का दिशा–निर्देशन करना।

किशोर बन्दी सुधार संस्था

दण्ड एवं उपचार की दृष्टि से अपराधियों को (1) वयस्क अपराधीय और (2) किशोर अपराधी, दो भागों में बांटा गया है। किशोर अपराधियों को संस्थागत उपचार हेतु किशोर बन्दी सुधार विद्यालय में दिया जाता है। भारत में किशोर बन्दी सुधार संस्थाओं का प्रशासन किशोर बन्दी सुधार विद्यालय अधिनियम ;ठवतेजंस ैबीववस ।बजद्ध के अन्तर्गत होता है। किशोर बन्दी सुधार विद्यालयों की परिभाषा निम्नलिखित है–

''किशोर बन्दी सुधार विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां किशोर अपराधी रखे जाते हैं और उन्हें ऐसे संस्थागत निर्देश एवं प्रशिक्षण दिये जाते हैं और ऐसे अनुशासन व नैतिक प्रभावों के बीच रखा जाता है जिससे कि उनका सुधार हो सके''।

मुक्ति की दशायें– किशोर बन्दी सुधार विद्यालय से किशोर अपराधियों को निम्न दशाओं में मुक्त किया जा सकता है–

(1) किशोर बन्दी सुधार संस्थाओं की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने पर। इस अवधि में किशोर बन्दी द्वारा सदाचार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर छूट दी जा सकती है।

(2) अधिकारी इस बात से आश्वस्त कर दिये जायें कि वह दुबारा अपराध नहीं करेगा।

(3) किशोर बन्दी को इस संस्था से इस आधार पर मुक्त किया जाता है कि वह एक सभ्य नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करेगा।

(4) मुक्त होने पर किशोर को एक लाइसेंस दिया जाता है।

(5) मुक्त होने के पश्चात सुधरे हुए अपराधी को सुधार संघों के निरीक्षण एवं पथ–प्रदर्शन में रखा जाता है, जहॉ वह लाइसेंस की बातों का पालन करता है।

विशेषतायें– (1) इन विद्यालयों के सुधार का आधार चिकित्सालय है। यह चिकित्सा दोहरी होती है। 1. वैयक्तिक और 2. संस्थागत।

(2) इसका कार्य अपराधियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधार कर समाज के द्वारा स्वीकार करना है।

(3) किशोर अपराधियों की व्यक्तिगत रूचि को महत्व दिया जाता है और उसी केअनुसार कार्य दिये जाते हैं।

(4) इन संस्थाओं में प्रवेश न्यायालय अथवा कारागार महानिरीक्षक की सिफारिश के माध्यम से मिलता है।

(5) कई किशोर अपराधियों जिन्हें 'छोकरा' कहा जाता है, के बीच एक 'हाउस मास्टर' होता है।

(7) इस संस्था में प्रवेश से पूर्व किशोर अपराधियों को रिमाण्ड–होम में रखा जाता है।

(8) किशोर अपराधियों के जीवन–इतिहास का अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

(9) संस्था में सुधार करने के बाद किशोरों को पैरोल ;च्तवसमद्ध पर छोड दिया जाता है।

(10) वेश–भूषा में यथाशक्ति समानता रखने का प्रयास किया जाता है।

(11) किशोरों के विकास एवं प्रगति का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

उद्देश्य– किशोर बन्दी सुधार विद्यालयों का उद्देश्य उनकी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नेतिक क्षमताओं के विश्वास के आधार पर उनका सुधार कर उन्हें सभ्य नागरिक बनाना है जिसके लिये निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(1) अपराधियों का सुधार करनाय

(2) प्रशिक्षण देना और पुनर्वास में मदद करनाय

(3) आपराधिक भावना को समाप्त करनाय

(4) समाज को अधिक संगठित करना।

भारत में कार्यरत कुछ प्रमुख संस्थायें

बोर्स्टल संस्थायें बाल–अपराधियों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उन्हें नया जीवन देने का कार्य करती हैं। लडकियों के लिए स्थापित बोर्स्टल संस्थाओं का लक्ष्य लडकियों को सुधारना उन्हें अपनी जीविका चलाने में सक्षम बनाना और गृहकार्य से सम्बन्धित सभी कार्यों में निपुण बनाना है। लडकियों के लिए इस संस्था के अधिकारियों का इससे उत्तम और कठिन लक्ष्य भी है– लडकियों को भावी जीवन में विश्वसनीय पत्नी और श्रेष्ठ मातायें बनने हेतु शिक्षित करना, हममारी विभिन्न सुधार संस्थायें यह काम करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थायें निम्नलिखित हैं–

डेविडससून इण्डस्ट्रियल स्कूल बम्बई – यह विद्यालय सौ वर्ष से भी पुराना है। पहले इसका नाम डेविडससून रिफारमेंटरी स्कूल था। सन् 1933 की जॉच समिति की सिफारिश पर रिफारमेंटरी की जगह इण्डस्ट्रियल शब्द जोड दिया गया। अपने प्रकार का यह एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। इसका प्रबन्ध सन् 1951 से चिल्ड्रन एड सोसायटी की प्रबन्ध समिति को सरकार ने सौंप दिया था। सन् 1947 में इस विद्यालय का प्रबन्ध एवं आर्थिक नियन्त्रण पूर्णतया बम्बई चिल्ड्रन एड एवं सोसायटी को सौंप दिया गया।

विद्यालय में एक जूनियर बॉयज विभाग भी है। पिछडे बच्चे ''विराम जी जीजा भाई होम, मतुन्गा'' में भेजे जाते हैं, जहॉ पिछडे बच्चों का प्राइमरी विभाग भी है, जिन्हें मॉन्टेसरी पद्धति से शिक्षा दी जाती है। मानसिक रूप से कमजोर बच्चे ''चैम्बूर होम'' में रखे जाते हैं। मानसिक रूप से विकृत बच्चों को मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाता है जहॉ उनका पूर्ण निरीक्षण, उनका मानसिक क्षमता परीक्षण मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है।

बच्चों को यथासंभव खुली वायु की सुविधा प्रदान की जाती है। विद्यालय के पास मैदान है, जहॉ सब्जियां एवं फल उगाये जाते हैं और कृषि कार्य की शिक्षा दी जाती है। बच्चों को स्वावलम्बन और एक सक्रिय तथा परिश्रमी जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनके पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आराम और आमोद–प्रमोद का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। विद्यालय में स्वास्थ्यवर्द्धक खेल एवं संगीत की भी सुविधायें हैं। मार्मिक एवं नैतिक व्याख्यानों द्वाराउनमें अच्छी आदतों का विकास हो। बच्चों को अच्छे कपडे एवं शाकाहारी भोजन दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए पूर्ण लाभकारी है। विद्यालय में हवादार शयनागार हैं।

विद्यालय में बढईगीरी, लोहारगीरी, दर्जीगीरी, कुटीर–उद्योग, कृषि, बागवानी, केन वर्क, फर्नीचर बनाना आदि की शिक्षा एवं पावरलूम, बुनाई, खराद कार्य एवं अक्षर पेंटिंग के कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जो उन्हें मुक्ति के बाद पुनर्वास में लाभकारी होता हे। भाषा कला और गणित की पढाई के पश्चात बच्चे उनकी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त करते हैं।

चैम्बूर चिल्ड्रेन्स होम, मन्खुर्द (बम्बई) – संस्था बाल अधिनियम द्वारा प्रमाणित संस्था है। इस संस्था का प्रबन्ध 1939 में 'बाल सहायता समिति' (Children Aid Society) जिसने बम्बई शहर एवं आस–पास बाल–समाज कल्याण के कार्य का दायित्व अपने उपर लिया था, की प्रबन्ध–समिति को सौंपा गया।

इस संस्था का संगठन कुटीर–पद्धति पर आधारित है। स्टाफ के सदस्यों में से एक अधीक्षक, एक चिकित्साधिकारी, एक क्रय प्रबन्धक एवं एक लिपिक है।

संस्था में एक विद्यालय है जो प्राचार्य के निर्देशन में चलता है, जिसकी सहायतार्थ भाषाध्यक्ष तथा शिल्प एवं कारीगरी के निर्देशक कार्यरत हैं। कृषि कर्मचारियों में एक फार्म अधीक्षक, कृषि सहायक एवं माली हैं। बीस कुटीर हैं जो एक हाउस मास्टर और नौ मैट्रन्स की देख–रेख में हैं। सन् 1940 में एक वर्कशाप की भी स्थापना की गई हे।

बच्चों को गुजराती, मराठी, हिन्दी एवं उर्दू भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। दस्तकारी में कातना, बुनना, चित्रकारी, मिट्टी के खिलौने बनाना, बागवानी, कृषि एवं पशुपालन, बढईगीरी, लौहारगीरी, बाइण्डिंग, खाना बनाना, अस्पताल का काम एवं सिलाई की शिक्षा दी जाती है।

बच्चों को व्यायाम कराया जाता है तथा वर्ष में दो बार 'पिकनिक' पर पडौस की पहाडियों पर ले जाया जाता है। उनके लिये विशेष रूप से सिनेमा का आयोजन किया जाता है। वे साहित्यिक गतिविधियों तथा वाद–विवाद में भाग लेते हैं।

संस्था में इन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देख–रेख में रखा जाता है और ऐसे प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो मुक्ति के उपरान्त उन्हें पुनर्वास में सहायक हों।

द बिरम जी जीजी भाई होम ;The Byramjee Jeyeebhoy Home) – 16 जनवरी 1917 को पश्चिम भारत बाल अभिरक्षा समिति ;Society for Protection of Children is Western India) की स्थापना हुई। इस समिति में स्वयं एवं सरकार से बाल अभिरक्षा के क्षेत्र में महत्वूपर्ण कार्य किये एवं करवायें हैं। जीजी भाई होम, बम्बई बाल–अधिनियम द्वारा प्रमाणित विद्यालय है। जहॉ बच्चों को उचित चिकित्सकीय देख–रेख में रखा जाता है और उनके स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता हे। बच्चों को प्रायः भ्रमण के लिए चैम्बूर, जोगेश्वरी, वारसोवा, विक्टोरिया गार्डन एवं बम्बई के अन्य रूचिकर स्थानों पर ले जाया जाता है जैसे संग्रहालय, सरफीरोज शाह मेहता गार्डन, मालबार हिल आदि।

जहॉ बच्चों को योग्य शिक्षकों द्वारा स्वावलमम्बन एवं अच्छी आदतों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को बागवानी सिखाई जाती है। कुछ बच्चे दर्जीगीरी, बुनाई का काम सीखते हैं तथा कुछ रसोई का काम भी सीखते हैं। जो बच्चे अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें इस तरह की पूर्ण सुविधायें दी जाती हैं। वरिष्ठ बच्चे गृह–कार्य का अधिक वहन करते हुये अपने छोटे–मोटे झगडों का निपटारा अपने

स्वयं के न्यायालयों में ही करते हैं। मनोरंजन के लिए खेल, भ्रमण, नाटक, सिनेमा एवं रेडियो के कार्यक्रम की भी सुविधायें हैं। संगीत की भी शिक्षा दी जाती है।

येखडा इण्डस्ट्रियल विद्यालय,पूना– येखडा इण्डस्ट्रियल विद्यालय, बम्बई बाल अधिनियम द्वारा प्रमाणित राजकीय विद्यालय है। इस विद्यालय में मराठी, गुजराती, कन्नड, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में दस्तककारी, सिलाई, बढईगीरी, लोहारगीरी, जिल्दसाजी, केन वर्क बागवानी तथा कृषिकार्य में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

विद्यालय में योग्य शिक्षक हैं जिनका कार्य बच्चों को किताबों से पढाने के अतिरिक्त उन्हें स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं समाज के नैतिक मानदण्डों के प्रति अपने दृष्टिकोण समुन्नत बनाने की प्रेरणा देना भी है। बच्चों को सुधारने तथा उन्हें भावी जीवन के लिये तैयार करने के हर अवसर को, चाहे वह मैदान में हो, कर्मशाला में हो, विद्यालय में हो, या बाहर हो, अध्यापकों द्वारा होशियारी से उपयोग किया जाता है।

बच्चों को आदर्श पाठ दिये जाते हैं। प्रत्येक माह अंग्रेजी के साथ चार भारतीय भाषाओं में हस्तलिखित पत्रिका निकलती है। कुछ बच्चे येखडा केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा पाने जाते हैं। उनके साथ कोई गार्ड नहीं होता परन्तु आज तक एक बच्चा भागा नहीं है। उनका विद्यालय के बाहर भी आचरण अत्यन्त उत्तम है। बच्चों की छोटी–छोटी शिकायतें सुनने के लिए एक बॉयज कोर्ट (Boys' Court) भी है।

विद्यालय में बिना दण्ड के ही अनुशासन रखा जाता है यदि दण्ड अनिवार्य हो तो वह अंक कम करना, पृथक्करण, नीचे के सतर में रख्ना जैसे दण्ड दिये जाते हैं। इस विद्यालय में बच्चों का एक वाद्य समूह भी है। यहां अपचारी बच्चों को चुस्त, सक्रिय, प्रसन्न एवं उपयोगी बनाकर उनमें सामाजिक व्यक्तित्व पैदा किया जाता है।

बोर्स्टल स्कूल, चारबार– इस विद्यालय में बच्चों को मराठी, गुजराती, उर्दू, सिन्धी, कन्नड भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही कृषि तथा फैक्टरी वर्क का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को कभी–कभी सिनेमा भी ले जाया जाता है।

कृषि कार्य में सब्जी उगाना, फल उगाना शामिल हैं। वहां एक सुन्दर पुष्पों का बगीचा हे। अन्य प्रशिक्षणों में बढईगीरी, पिसाई, पॉलिश करना, चिराई, सिलाई, लौहारगीरी एवं कढाई बुनाई के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। बच्चों को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता हे।

व्यायाम एवं खेलों के लिये पार्याप्त समय दिया जाता है क्योंकि इससे बच्चे अनुशासन, खेलों के नियमों का पालन एवं ईमानदारी सीखते हैं।

अन्य संस्थयें – कुछ अन्य प्रमाणित विद्यालय भी हैं जो कुछ सीमित बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं जो न्यायालय द्वारा भेजे जाते हैंय शेष प्रवेश व्यक्तिगत होते हैं–

(1) श्री साहू छत्रपति बोर्डिंग हाउस, सतारा

(2) हिन्दू वीमेन रिस्क होम, पूना

(3) हिन्दू अनाथ आश्रम, नादियाद

(4) श्री श्रद्धानन्द अनाथ महिलाश्रम–इसमें न्यायालय द्वारा नई लडकियों को सिलाई, खाना पकाना, बटन बनाना तथा निडिल वर्क सिखाया जाता है।

(5) आर.एस. महीपतराम रूपराम आरफनेज एण्ड फाउण्डलिंग एसाइलम, अहमदाबाद।

(6) पन्ढरपुर आरफनेज एण्ड फाउण्डलिंग एसाइलम–यह 16 वर्ष से कम आयु की लडकियों को कढाई–कार्य तथा 10 वर्ष के छोटे बच्चों को मराठी भाषा सिखाता हैं।

(7) अब्दुल्ला दाउद आरफनेज– (केवल मुस्लिम लडकियों के लिए) विद्यालय केवल कुछ प्रमाणित लडकियों को प्रवेश देते हैं।

बाल न्यायालयों एवं सामान्य न्यायालयों में अन्तर

बाल न्यायालय के अर्थ तथा इसकी कार्यवाही से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सामान्य एवं फौजदारी न्यायालयों से भिन्न होता है। दोनों में निम्नांकित प्रमुख अन्तर पाए जाते हैं–

अन्तर का बिन्दु	बाल न्यायालय	सामान्य न्यायाल
1. आयु	बाल न्यायालय केवल बाल अपराधियों (भारत में सोलह वर्ष से कम लडका तथा अठारह वर्ष से कम लडकी) के लिए ही होते हैं।	सामान्य न्यायालय वयस्क अपराधियों के लिए होता है।
2. उद्देश्य	बाल न्यायालय का उद्देश्य बाल अपराधी का सुधार करना होता है। इनका आधार सुधारवादी दर्शन होता है।	सामान्य न्यायालय का उद्देश्य अपराधी को दण्ड देना होता है।
3. निर्णय	बाल न्यायालयों में निर्णय न्यायाधीश या पैनल के स्वविवेक के आधार पर होते हैं।	सामान्य न्यायालय में निर्णय लिखित कानूनों द्वारा होते हैं।
4. वातावरण	बाल न्यायालय का वातावरण अनौपचारिकता के कारण भयमुक्त होता है तथा यथासम्भव इसे भयमुक्त ही रखा जाता है।	सामान्य न्यायालय का वातावरण औपचारिकता के कारण भयमुक्त होता हे।
5. कार्यवाही	बाल न्यायालय की कार्यवाही में वकील भाग नहीं ले सकते हैं। बाल न्यायालय की कार्यवाही सार्वजनिक रूप सेन होकर गोपनीय होती है। बाल न्यायालय की कार्यवाही सामानयतः अनौपचारिक रूप में होती है। यह अधिकतर रिमाण्ड होम या सुधार गृह के एक कमरे में ही होती हे।	सामान्य न्यायालयों की कार्यवाही में वकील भाग लेते हैं। सामान्य न्यायालय की कार्यवाही को सबके लिए खुला रखा जाता है। सामान्य न्यायालय की कार्यवाही औपचारिक रूप से इसी उद्देश्य हेतु निर्मित न्यायालयों में ही होती है।
6. न्यायाधीश	बाल न्यायालयों में न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होने के साथ–साथ समाजशास्त्र, मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण का भी ज्ञान रखता है अथवा उसे सामाजिक कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी इस कार्य के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसमें कम से कम एक महिला मजिस्ट्रेट अवश्य होती है।	सामान्य न्यायालयों में न्यायाधीश कानून का ही विशेषज्ञ होता है और उसकी सहायता कोई सामाजिक कार्यकर्ता का परिवीक्षा अधिकारी आदि नहीं करता। इसमें महिला मजिस्ट्रेट का होना जरूरी नही है।

बाल न्यायालयों एवं सामान्य न्यायालयों में उपर्युक्त अन्तर बाल न्यायालयों को फौजदारी न्यायालयों से भी अलग करते हैं।

खुले बन्दीगृह

आज बन्दीगृह को केवल दण्ड स्थल ही नहीं माना जाता अपितु इसे एक सुधार स्थल भी माना जाता है। यह चिन्तन मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ–साथ इस तथ्य की स्वीकृति से भी विकसित हुआ है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते अपितु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के

शिकार होते हैं। बन्दीगृह एक राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है और सरकार इसका निर्माण तथा नियन्त्रण अपने हाथों में लें, यह भावना जॉन हावर्ड ब्लैकस्टन तथा श्रीमती एलिजाबेथ फ्राई जैसे दण्ड सुधारकों के प्रयत्न से यूरोप में सर्वप्रथम विकसित हुई। इंग्लैण्ड तथा अनके अन्य देशों में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय कारागृह स्थापित करने सम्बन्धी कानून बनाए गए। इन राष्ट्रीय कारागृहों में बन्दियों के अपने कृत्य का पश्चाताप करने का अवसर देने के साथ–साथ उन्हें कोई उपयोगी उद्योग भी सिखाया जाता था ताकि वे छूटने पर स्वस्थ एवं स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें।

पश्चिमी देशों तथा अमेरिका के जेल सुधार की दिशा में काफी कार्य हुआ है तथा पुराने जमाने के दण्ड स्थलों ने सुधार स्थल का स्थान ग्रहण किया है। भारत में बन्दीगृह सुधार का वास्तविक कार्य ''भारतीय जेल समिति'' की 1919–20 ई0 की रिपोर्ट में प्रारम्भ होता है। इसके अध्यक्ष सर अलेक्जेण्डर कार्डयू थे तथा इनकी रिपोर्ट जेल सुधार के इतिहास में एक शास्वीय रिपोर्ट मानी जाती है।

इस प्रश्न में पहले हम भारत में खुले बन्दीगृह के बारे में विस्तार से उल्लेख करेंगें तथा बाद में बन्दीगृह सुधार की चर्चा करेंगें। बन्दीगृह सुधार के बारे में काफी कुछ पिछले प्रश्न में बताया जा चुका है। अतः उसे न दोहराते हुए हम भारत में बन्दीगृह सुधार की संक्षेप में विवेचना करे इसके लिए अपने सुझााव देगें।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार ने बन्दीगृह सुधार को सिद्धान्तः रूप से स्वीकार करते हुए इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर बन्दीगृहों के लिए आदर्श नियमावली बनाने के लिए 1957 ई0 में एक समिति गठित की जिसमें 1959 ई0 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट के ''All India Jail Manual; Committee Report, 1957.1959 नाम से जानी जाती है। इस रिपोर्ट में बन्दियों को सजा काटने के बाद समाज में पुनः स्थापित करने की समस्या को एक विकट समस्या माना तथा उत्तर–रक्षा कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। खुले बन्दीगृह स्थापित करने की सिफारिश भी इसी समिति ने की थी।

खुला बन्दीगृह (जिसे **खुला कैम्प, खुला कारागार, प्राचीरविहीन बन्दीगृह या खुली जेल** भी कहा जाता है) ऐसा बन्दीगृह है जिसमें स्वच्छन्द जीवन को रोकने वाली दीवारें, ताला–कुँजी के सींकचे नहीं होते। इसमें बन्दीगृह का प्रशासन विश्वास पर चलता है। इसमें बन्दियों में आत्म संयम की भावना स्वयं विकसित हो जाती है तथा वे अपने सार्थियों के प्रति उत्तरदारयित्व की भावना स्वयं सीख जाते हैं।

बन्द बन्दीगृह में लम्बी अवधि तक बन्दी रहने के कारण अपराधी बन्दीगृह के जीवन का अभ्यस्त हो जाता है और उसमें कोई सुधार करना कठिन हो जाता है। **''ऑल इण्डिया जेल मैनुएल कमेटी''** के अनुसार, ''यदि ठीक से संगठन कर लिया जाए तो खुली शैक्षणिक संस्थाओं को बन्दी की चिकित्सा में इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि वे समाज से अलग हो चुके हैं बल्कि उन्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वे समाज के अंग बने हुए हैं। दण्ड का वास्तविक उद्देश्य है असामाजिक प्राणी को अच्छा नागरिक बनाना। यदि उसको जेल में न रख कर खुली संस्थाओं में रखा जाएगा तो उनमें सहकारी (सहयोगी) सामाजिक जीवन की भावना पैदा होगी।'' इस कमेटी ने यह भी सलाह दी कि लम्बी अवधि के कैदियों में आशा का संचार होना चाहिए। उन्हें बन्दी जीवन में संयमित तथा सुसन्तुलित प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। बन्दीगृह में बन्द जीवन की चिकित्सा की सीमा होती है। जितनी सहूलियतें तथा सुविधाएँ लम्बी कैद में जेल के एक कैदी को मिल सकती हैं उन सबका उपयोग कर लेने के बाद उसके लिए आगे बढने या और अधिक कुछ आशा करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। यदि उसे खुले बन्दीगृह में भेज दिया गया तो उसके जीवन में एक नया मोड पैदा हो जाएगा और उसमें नवीन जीवन व्यतीत करने की आशा बंध जाएगी।

सुधारात्मक सेवाओं के केन्द्रीय ब्यूरो;Central Bureau of Correctional Services) द्वारा खुले बन्दीगृह के बारे में कहा गया है कि, ''अधिक सुरक्षा वाली, बिना दीवार के बन्दीगृह (खुले बन्दीगृह) को आधी खुली जेल कहा जा सकता है, जिसमें वे बन्दी रखे जा सकते हैं जो प्रारम्भ में न्यूनतम सुरक्षा के

लिए पूरी तरह से योग्य नहीं माने जाते किन्तु जिनमें नियन्त्रण खुली जेल की तुलना में अधिक से अधिक उदार रखा जाता है।''

खुले बन्दीगृहों की विशेषताएँ

खुले बन्दीगृहों के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) इस प्रकार हैं–

(1) खुले बन्दीगृहों में परम्परागत बन्दीगृहों की तरह बन्दी दीवारें व सींकचे नहीं होते।

(2) खुले बन्दीगृह बन्दियों में आत्म–सम्मान, आत्म–विश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर उन्हें समाज से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देते हैं।

(3) खुले बन्दीगृह सुधारवादी दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं।

(4) खुले बन्दीगृहों में बन्दी अपने आगामी जीवन की तैयारी का प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

(5) खुले बन्दीगृहों में बन्दी अपराधों से विमुक्त हो जाता है।

(6) खुले बन्दीगृह बन्दी के पुनर्वास में सहायता देते हैं।

अतः खुले बन्दीगृहों का उद्देश्य आत्म–अनुशासन, आत्म सम्मान व उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर उन्हें मुक्त जीवन की तैयारी में सहायता देना है। सुधारात्मक सेवाओं के केन्द्रीय ब्यूरो के अनुसार–

''अन्य देशों की भॉति भारत में, आधुनिक समय में खुले बन्दीगृहों की स्थापना सुधारवादी प्रशासन की एक बहुत बडी उपलब्धि है। इसके विश्वास की जडें यथार्थवादी समस्याओं के यथार्थ निदान में ही निहित हैं। शब्दार्थ से परे यह सत्य है कि खुले बन्दीगृह नाम संस्था से अच्छे परिणाम हमारे देश में मिले हैं। इस संस्था में रहने वाले बन्दी ठीक वैसा ही जीवन बिताते हैं, जैसा कि कोई नागरिक समाज में। समाज में मजदूरों की तरह बन्दी लोग मजदूरी पर उत्पादन कार्य करते हैं। ऐसे वातावरण में बन्दी एक ईमानदार कार्यकर्ता का उत्साह संजोए हुए राष्ट्र–निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे अनेक ऐसे अवसर प्राप्त कराए जाते हैं जिनमें उसे उत्तरदायित्व तथा अनुशासन का बोध होता है। यही दो बातें उत्तरदायी जीवन के हर पहलू में परम आवश्यक होती है।''

आहत – विज्ञान ;victimology)

आहत विज्ञान की अवधारणा व उद्देश्य(Concepet and ojective) :– आहत विज्ञान आधुनिक अपराध शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील शाखा है। आधुनिक लोक कल्याणकारी विश्व में सहीागी लोकतंत्र के लिए पीड़ितों को राहत एवं मदद कानून का सर्वप्रामि उद्देश्य होना चाहिए। आहत विज्ञान आमूलचूल परिवर्तनवादी सामाजिक विचारों की देन है। किसी अपराध में क्षतिग्रस्त प्रभावित होने वाले को आहत या पीड़ित कहते हैं। आहतों या पीड़ितों या क्षतिग्रस्तों का सर्वांगीण एवं व्यवस्थित अध्ययन आहत विज्ञान में किया जाता है।

मेण्डेलशन (1956) ने अपराधी आहत जोड़े को दाण्डिक–युगल के नाम से सम्बोधित किया है। जैसे–Criminal वैसे ही Victimal जैसे Criminality वैसे ही Victimality तथा जैसे Criminology वैसे ही Victimology, इस प्रकार अपराधी एवं आहत के पारस्परिक संबंधों के परिणामस्वरूप आहत विज्ञान का विकास हुआ। वह व्यक्ति जो अपराध के कारण पीड़ित हुआ जिसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं नैतिक हानि या पीड़ा पहुंची हो, आहत कहलाता है। अपराध क कर्त्ता–कर्म प्रारूप में आहत को क्षति का लक्ष्य माना गया है।

आहत के प्रकार–

1. निर्दोष
2. अल्पदोषी
3. दोषी (बराबर का भागीदार)
4. अधिक दोषी
5. अपराध करते हुये मृत्यु/क्षति प्राप्त व्यक्ति

आहत को प्रतिकर ;victim compensation)

अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकर एवं खच देने, दिलवाने की अवधारणा आधुनिक सुधारवादी सिद्धान्तों की देन है। आहत एवं उसके परिवार को प्रतिकर देने की अपराधी आहत के बीच कटुतापूर्ण संबंधों में सद्भावना का विकास होता है। आहत को प्रतिकर का आधुनिक आन्दोलन 1950 के दशक में एक अंग्रेज समाज सुधारक द्वारा चलाया गया। शुरूआत में इसे पुनः स्थापना कहा जाता था। औपचारिक रूप से आहतों को प्रतिकर देने के विधान न्यूजीलैण्ड द्वारा 1963 में तथा ब्रिटेन द्वारा 1964 में बनाए गये।

भारत में परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत धारा–5 में पीड़ित को प्रतिकर देने एवं खर्चे देने का प्रावधान किया गया है। धारा–5 छोड़े गये अपराधों से प्रतिकर औा खर्चे देने की अपेक्षा रखने की न्यायालय की शक्ति। भारतीय इतिहास में आहत को न्यायालय द्वारा सर्वाधिक प्रतिकर दिलाने के आदेश स्वामी प्रेमानन्द केस (1997) में किये गये हैं। आन्ध्रप्रेदेश के जिला न्यायालय द्वारा करीब 66 लाख रूपये जुर्माना लगाकर यह राशि 13 पीड़ित महिलाओं के परिवारों को प्रतिकर के रूप में दिलाई गई। आंध्रप्रदेश में स्वामी प्रेमानन्द पर 13 महिलाओं का शारीरिक शोषण कर उनकी हत्या का आरोप था। माननीय न्यायालय का यह ऐतिहासिक आदेश आहत को प्रतिकर मामलों में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस प्रकार बीएमडब्ल्यू हिट केस में माननीय उच्चतम न्यायालय (3 अगस्त 2012) ने अभियुक्त संजीव नन्दा को दो साल की सजा के साथ 50 लाख रूपये का विशेष जुर्माना लगाया है। जिसे पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में दिया जावेगा। (राज्य बनाम संजीव नन्दा, 2012)

उस स्थिति में जबकि आहत व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के समुदाय से खर्चे दिलाने के लिए परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 में पीड़ितों को प्रतिकर एवं खर्चे दिलाने के लिए न्यायालय के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई। न्यायालय अपराधी को प्रतिकर देने के लिए आदेश दे सकता है।

आहत विज्ञान संबंधी अध्ययन

1. खान एवं (M.Z Khan , K.P. krishn) (Victims of Fatal Motor Vechile Accidents, 1981) दुर्घटना मामलों में आहत की भूमिका का अध्ययन।
2. राजन एवं कृष्णा (Homicide Cases in Hindi & Banglore) मानव हत्या के मामलों में पीड़ित की भूमिका।
3. राम आहुजा (Crime Against women, 1987) महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक अपराधों का समाजशास्त्रीय विवेचन।
4. डी.पी. सिंह (Victims of Dacoity, 1989) डाकुओं से आहत 184 लोगों के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन।

घेरलू हिंसा से पीड़ितों को मदद एवं सहायता– पारिवारिक या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी संरक्षण बाबत् घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 बनाया गया है। इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू कर दिया गया है। इसमें घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पत्नी, यौन भागीदार (बिना विवाह लिव इन रिलेशनशीप में रहने वाली), पुत्री, बहन, माता, शिशु (स्त्री या पुरूष), विधवा इत्यादि सी पाविारिक सदस्यों को शामिल किया गा है।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम अधिनियम, 2005 – एक सिविल प्रकृति का कानून है। जिसकी प्रक्रिया दाण्डिक प्रकार की है क्योंकि इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें दीवानी विधि से दांडिक तक कपितय परिवर्तन है। मूल रूप से यह पीड़िता को संरक्षण प्रदान कर अनुतोष प्रदान करता है तथा संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सामान्य सिफारिश जारी की थी, जिसे ब्क्ॅ के माध्यम से क्रियान्वयन कराया गया। 1994 में वियना समझौता तथा 1995 में बीजिंग घोषणा को भारत ने अपनाया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 घरेलू नातेदारी में रह रही महिलाओं को हिंसा से संरक्षण सुनिश्चित कर अनुतोष प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य/लोप/आचरण जो पीड़ित के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता है उसे शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन, मौखिक, भावात्मक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार। घरेलू हिंसा से पीड़ित को अध्याय 4 में उपचार प्रदान किया गया है। अध्याय 12 में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह स्वयं, सक्षम अधिकारी या सेवा प्रदाता या पुलिस या अन्य के माध्यम से आवेदन कर सकती है। जिसका निस्तारण त्वरित रूप स 60 दिवस में मजिस्ट्रेट को करना होगा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को परामर्श तथा कल्याण विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान की जाती है। पक्षकारों की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। अधिनियम में पीड़िता को साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

घरेलू हिंसा स पीड़िता को कोई भी जानकारी एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। जेसे विधिक सहायक, परामर्श, चिकित्सा सहायता, आश्रय गृह एवंसक्षम अधिकारी सेवा प्रदाता से मदद। धारा 12 में प्राप्त आवेदन पर दोनों पक्षकारों को सुनकर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्ट्या मामला घरेलू हिंसा होने का लगता है या घरेलू हिंसा सीाावित हो तब धारा 18 से 23 तक विभिन्न आदेश प्रदान कर सकता हैः–

1. धारा 18ः–संरक्षण आदेश – प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित एवं पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 1. घरेलू हिंसा करने, मदद करने से प्रतिबंधित, 2. नियोजन स्थल (पीड़ित) में प्रवेश पर प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित कर सकता है। 3. पीड़ित से सम्पर्क प्रतिबंधित आदेश, 4. बैंक खाते के संक्रमण पर प्रतिबंध।
2. धारा 19ः– निवास आदेश – साझा कुटुम्ब से बेकब्जा करने पर प्रतिबंधत, प्रत्यर्थी को साझा गृहस्थ से हटने के आदेश। आवश्यकता होने पर समान सुविधा वाले प्रृथक आवास उपलब्ध कराने के आदेश, प्रत्यर्थी को स्वधन/प्रतिभूति/सम्पत्ति लौटाने के आदेश।
3. धारा 20ः– मौद्रिक अनुतोष – 1. हानि/क्षतिपूर्ति के आदेश 2. चिकित्सा व्य/नुकसान की प्रतिपूर्ति एवं 3. भरण पौषण के आदेश।
4. धारा 21ः– संतानों की अभिरक्षा का आदेश :– पीड़िता के चाहने पर।
5. धारा 22 :– प्रतिकर आदेश – मानसिक प्रताड़ना/कष्ट के लिए। मानसिक प्रताड़ता एवं भावात्मक कष्ट के जिए प्रतिकर एवं खर्चे के आदेश।
6. धारा :– अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश :– प्राप्त करने का अधिकार।
7. संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेश अन्तर्गत धारा 18 के उल्लंघन के लिए एक वर्ष तक के कारावास या रूपये 20000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। (धारा 31) ये अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे। पीड़िता के केवल एक मात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। (धारा 32) संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्त्तव्य भंग करने पर भी राज्य सरकार की अनुमति से उसे अभियोजित किया जा सकेगा। जिसके लिए भी धारा 31 के समान दण्ड का प्रावधान है।
8. इस प्रकार घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा से पीडित़ महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा होगी तथा सशक्तिकरण को बल मिलेगा। इस अधिनियम को सिविल एवं दाण्डिक दोनों के कानूनों का समिश्रण के रूप में अधिनियम किया गया है। जिससे पीड़ित को त्वरित सहायता प्राप्त हो सके।

आपराधिक न्याय प्रणाली व अपराधी (Criminal Justice system and Criminals) :–

आपराधिक न्याय प्रणाली से आशय सरकार की उन संस्थाओं से है, जो कानून का प्रवर्तन करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन घटक हैः–

1. पुलिस
2. न्यायालय
3. कारागार

ये सभी लक्ष्य प्राप्ति हेतु परस्पर सम्बन्ध व निर्भर हैं, तथा प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।

1. पुलिस ;Police) :– पुलिस आपराधिक न्याय व्यवस्था को एक अग्रिम पक्ति है जिसने न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पुलिस व्यवस्था में समस्याएंः– भारत सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की आधुनिक समय की मांग की दर किनार कर रही है। तथा औपनिवेशिक कानून में कोई भी बदलाव करने को तैयार नहीं है। पुलिस की जवाब देही इस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित होती है कि पुलिस कई ऐजेंसियों तथा अधिदेशों से नियंत्रित होती है। तथा अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक महत्वकांक्षा के भी शिकार होते है। इसके साथ नैतिकता की कमी तथा वेतन जैसी समस्याएँ पुलिस में भ्रष्टाचार को जन्म देती है। जो आपराधिक न्याय प्रणाली के इस सतम्भ को कमजोर करती है।

2. न्यायपालिका ;Judiciary)

1. न्यायपालिका ने कानून की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अदालत का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानवाअधिकारों की रक्षा करना और उपेक्षितों को राहत देना है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली व्यक्ति कें अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक ध्यान देती है। अदालत को पिड़ितों के साथ–साथ गवाह पर भी ध्यान देना चाहिए।

2. न्यायाधिश को सवेंदनशिल होना चाहिए। न्यायाधिशों को जरूरत है कि वें न्याय के कार्य में अधिक सक्रिय भूमिका निभायें । कई न्यायाधिश है जों खुद को आपराधिक न्याय का प्रगति से अयोग्य घोषित करतें हैं। क्यों कि वे पुराने न्याया रवैये पर चल रहे है। और साथ ही वें कानुन की सख्त व्याख्या कें अनुसार न्याय में विश्वास करते है। आपराधिक न्यायपालिका सुधार गम्भीर चिन्ताओं का विषय है जिसके लिए न्यायाधिश की सक्रियता का प्रभावी प्रवर्तन कि आवश्यकता है।

3. इसके साथ–साथ न्याय में देरी कही न कही न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और लोग व्यवस्था के इतर न्याय पाने के प्रयास में कानून व्यवस्था हेतु खतरा बन जातें है।

3. कारागार :– कारागार का वास्तविक उद्देश्य सुधार गृह होना चाहिए। औपनिवेशिक विचार धारा से ओतप्रोत कारागार में केदियों के साथ हो रहे अमानवीय कार्य उन्हें बड़ा अपराधी बनाते है। इसके साथ जेल में काम से अधिक कैदी,भोजन इत्यादि समस्याएँ कारागार सुधार की ओर ध्यान ले जाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली व्यवस्थित करने हेतु इस स्तम्भ को सुधारना आवश्यक है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य :–

1. समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाएँ रखना।
2. अपराधियों को दण्डित करना।
3. भविष्य में अपराधी को अपराध करने से रोकना।

कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार :–

1. पुलिस व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट करते है, उन्हें अपने पदनामों के साथ स्पष्ट पदनाम और नाम के साथ रजिस्टर में रिकार्ड रखना चाहिए।
2. गिरफतारी के समय पुलिस अधिकारी गिरफतारी का ज्ञापन तैयार करेगा।
3. गिरफतार व्यक्ति को इन अधिकारों के बारें में पता होना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफतारी से अवगत करवाया है।
4. गिरफतारी के समय उसकी प्रमुख व मामूली चोटों की भी जांच की जानी चाहिए।
5. गिरफतार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से कुछ समय के लिए मिलने की अनुमति होनी चाहिए।

6. गिरफतारी की सूचना जिला व राज्य स्थित नियंत्रण कक्ष पर देना चाहिए।

निष्कर्ष :– यदि न्याय का शासन अच्छा परिणाम देना चाहता है तो ये अदालतों का कर्तव्य है कि वे बड़ी मुस्तैदी से काम करें निर्दोष व्यक्तियों को तुरंत रिहा करना चाहिए और दोषी व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए मामले में देरी की समस्या नहीं नहीं है क्योंकि ये लंबे समय से अस्तित्व में एक तरफ न्यायिक व्यवस्था तनाव में हैं दूसरी तरफ इसने लोगों का विश्वास दिला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पीडी ट्रायल आपराधिक न्याय का सारे और खुद ट्रायल में देरी ने न्याय से इनकार का कथन गठन किया है अनुच्छेद 21 त्वरित न्याय की भी व्यवस्था करता है भारत की अदालतों में भारत की अदालतों में मामलों के निर्णय के लिए अलग अलग स्तर है लेकिन कई मामले लंबित हैं तथा लंबित मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी फतेह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक है

सामुदायिक पुलिस की अवधारणा; Concepts Community policing) :– सामुदायिक पुलिस व्यवस्था सरल में अर्थ समाज के लोगों के कार्यों में भागीदारी होना या पुलिस कार्यों का समाज के लिए, समाज के लोगों द्वारा किया जाना है। पुलिस सभ्य राज्य या समाज का साधन है। पुलिस को समाज के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था देना आवश्यक है। पुलिस अपने इस कार्य में समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करके अपने कर्त्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकती है। किसी समस्या को सुलझाने में यदि समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्य किया जाए तो समस्या का हल आसानी से निकल सकता है और पुलिस पर आरोप भी नहीं लगते हैं।

सामुदायिक पुलिस में सहायता प्राप्त करने के उपाय

सामुदायिक पुलिस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में सहायता प्राप्त करने के लिए छोटी–छोटी कमेटियां बनाकर उत्तदायित्व सौंपा जा सकता है।

1. पुलिस मित्र योजना के द्वारा।
2. भूमि विवाद निपटारा समिति गठित करके।
3. महिला विवाद समिति गठित करके।
4. ग्राम रक्षा समिति गठित करके।
5. शहरों में शांति समितियां गठित करके।
6. यातायात को व्यवस्थित करने में जनता का सहयोग प्राप्त करके।
7. सांप्रदायिक दंगे के समय स्पेशल पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करके।
8. जनता को अपराध की रोकथाम के संबंध में जागरूक बनाने में।
9. मेलों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य लेकर।
10. स्थानीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
11. पड़ोस में रहने वाले लोगों का ध्यान रखने के कार्य के लिए नियुक्त करके।
12. शहर में कई जगह शिकायत पेटिका लगाकर सूचनाएं प्राप्त करके।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के उद्देश्य

1. इसका उद्देश्य समाज के कल्याण का होता है।
2. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पूर्व अनुमान व पूर्व योजना पर आधारित होती है।
3. इस योजना में अपराध की रोकथाम की कार्रवाई की जाती है।
4. इस योजना में घटना होने के बाद की कार्रवाई पर जोरनहीं दिया जाता है।
5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करके अपराध को नियंत्रित करना है, क्योंकि जब तक समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं रहती है तब तक कोई विकास संभव नहीं है।

सामुदायिक पुलिस का कार्यक्षेत्र

1. गश्त।
2. यातायात।
3. अपराध की रोकथाम की कार्रवाई।
4. कानून व्यवस्था।
5. अपराध व अपराधियों के संबंध में सूचनाएं।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के लिएआवश्यककार्य करने के तरीके

1. पुलिस अपना कार्य करती रहे।
2. पुलिस अपनी सोच को कार्य करने के तरीके में परिवर्तन करे, जिससे समाज के लोग धीरे–धीरे पुलिस के प्रति अपनी देरी को समाप्त कर सके।
3. पुलिस थर्ड डिग्री का प्रयोग न करे।
4. पुलिस अपने आधुनिक साधनों का प्रयोग करे।
5. जनता की सहभागिता के लिए योजना बनाए।
6. पुलिस इस कार्य हेतु पहल करे।
7. योजना के प्रभाव व परिणाम का मूल्यांकन करे।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के लाभ

1. इससे अपराध को रोकने की शक्ति बढ़ जाती है।
2. अपराधियों में यह भय उत्पन्न हो जाएगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति उनकी गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे सकता है।
3. पुलिस के प्रति जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी।
4. पास–पड़ौस की समस्याएं हल की जा सकती हैं।
5. कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता मिल सकती है।

पुलिस कार्या में सपुदाय की भूमिका ;community participation in police work):–

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था सरल में अर्थ समाज के लोगों के कार्यों में भागीदारी होना या पुलिस कार्यों का समाज के लिए, समाज के लोगों द्वारा किया जाना है। पुलिस सभ्य राज्य या समाज का साधन है। पुलिस को समाज के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था देना आवश्यक है। पुलिस अपने इस कार्य में समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करके अपने कर्त्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकती है। किसी समस्या को सुलझाने में यदि समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्य किया जाए तो समस्या का हल आसानी से निकल सकता है और पुलिस पर आरोप भी नहीं लगते हैं।

सामुदायिक पुलिस में सहायता प्राप्त करने के उपाय

सामुदायिक पुलिस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में सहायता प्राप्त करने के लिए छोटी–छोटी कमेटियां बनाकर उत्तदायित्व सौंपा जा सकता है।

1. पुलिस मित्र योजना के द्वारा।
2. भूमि विवाद निपटारा समिति गठित करके।
3. महिला विवाद समिति गठित करके।
4. ग्राम रक्षा समिति गठित करके।
5. शहरों में शांति समितियां गठित करके।
6. यातायात को व्यवस्थित करने में जनता का सहयोग प्राप्त करके।
7. सांप्रदायिक दंगे के समय स्पेशल पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करके।
8. जनता को अपराध की रोकथाम के संबंध में जागरूक बनाने में।
9. मेलों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य लेकर।
10. स्थानीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
11. पड़ोस में रहने वाले लोगों का ध्यान रखने के कार्य के लिए नियुक्त करके।
12. शहर में कई जगह शिकायत पेटिका लगाकर सूचनाएं प्राप्त करके।

–पुलिस जनता सम्बन्ध ;Police public relationship)

पुलिस सही और गलत के चौराहे पर खड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना और गलत को पकड़ना है। अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वह अपने आप में ही एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक कार्यकर्ता तथा व्यवस्था एवं अधिकार का प्रतीक है। जबसे सभ्य समाज का जन्म हुआ है तभी से पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही पुलिस समाज का अभिन्न अंग रही है। यद्यपि इसका स्वरूप, कर्त्तव्य एवं अधिकार इत्यादि देश, काल एवं परिरिस्थतियों के अनुरूप बदलते रहे है। पुलिस की उपस्थिति एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं वरन् एक सामाजिक आवश्यकता भी है। मानव के विकास के साथ ही समाज में जटिलता पैदा होने लगी है और एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना प्रभाव डालने लगा है। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक विशिष्ठ कानून का विकास हुआ है जिसका पुलिस एक अभिन्न अंग है।

पुलिस–जनता संबंध : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पृथ्वी पर मानव जाति के आविर्भाव काल से ही अस्तित्व रक्षा एवं सामुदायिक सुरक्षा का अभाव रहा है। जिसका परिणाम पुलिस नामक संस्था का उदय रहा है। जिसका कर्त्तव्य यह निर्धारित किया गया है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह भलीभांति कर सके तथा जन–सामान्य अपनी राज व्यवस्था का संवर्धन कर सके। इसके लिए समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखे। इसे स्पष्ट करते हुए छेविगिंग पोल ने लिखा है कि '' यह शासन की ऐसी क्षमता है जो कि उसके वैधानिक बल के एकाधिकार से प्राप्त होती है, जिसके अन्तर्गत वह स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संवर्धन, सामुदायिक कल्याण, आपराधिक व्यवहार, विवाह तथा तलाक से सम्बद्ध विधियां, व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिग्रहण, स्थानान्तरण, जल तथा अन्य संसाधनों के वितरण तथा शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक कार्य भी पुलिस शक्ति के अंतर्गत ही करता है। ''

पुलिस–जनता संबंधः अवधारणात्मक स्वरूप

पुलिस–जनता संबंधों का सुविकसित स्वरूप वह विश्वसनीय उपकरण है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक समाज में पुलिस और जनता के पारस्परिक संबंधों की अन्तःक्रियात्मक सत्यता को समझा जा सकता है। पुलिस–जनता संबंधों की बहुआयमी व सर्वग्राही प्रकृति होती है। पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण एवं स्वैच्छिक संबंध प्रजातांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए जरूरी है, इस बात को समझने की पुलिस को सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि उसे ही जनता की समस्याओं से निपटना होता है। जनता की समस्याओं को समझने के लिए विशिष्ट संवेदनशीलता की जरूरत है। सामुदायिक बोध इसकी शर्त है। इसके लिए पुलिस व जनता दोनों को ही ईमानदारी से पारस्परिक संबंधों की स्थापना के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तत्संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त प्रयास करने होंगे। पुलिस तथा जनता के मध्य व्याप्त भ्रांतियों एवं अलगाव की स्थितियों के निराकरण के कार्य सद्भाव एवं समन्वय से ही सफल हो सकेंगे। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए एक बार कहा था कि '' वर्दी में जनता ही पुलिस है और बिना वर्दी के पुलिस जनता है।'' उपरोक्त कथन के अन्तर्गत एक बड़ी गूढ़ भावना अन्तर्निहित है। जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस एवं नागरिकों को एक–दूसरे से भिन्न न समझकर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पर्यायवाची मानना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों में सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को भारत में साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वराष्ट्र मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बैठक में कहा था '' हम सबको अच्छी तरह समझना होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार पुलिस राज के आधार पर नहीं चल सकती। यह तभी कार्य कर सकती है जब समग्र रूप से जन–सामान्य स्वैच्छा से सहमति एवं सहयोग प्राप्त करें। अन्य किसी क्षेत्र में जन सामान्य के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी की पुलिस के फील्ड कार्य में। भले ही यह कार्य अपराध की रोकथाम या अपराध का पता लगाने का हो अथवा अनियंत्रित भीड़ या उद्दण्ड व्यक्तियों के जमाव का सामना करने का हो। भारतीय लोग सहज ही विश्वास कर लेते हैं।

अतः आपको उनका विश्वास प्राप्त हो जायेगा तो मुझे भरोसा है कि आप उसे बनाए रखेंगे। '' यह भारतीय समाज की विडम्बना ही है कि पुलिस आज तक जनता का विश्वास प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं हो पाई है।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के सेवक की भूमिका का निर्वहन करे और उससे मित्रवत् संबंध बनाए रखे किन्तु यह एक विडम्बना ही है कि भारतीय पुलिस अपनी उस ऐतिहासिक विरासत से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई जो उसे ब्रिटिश शासन के दौरान मिली है। यही कारण है कि उसकी छवी नकारात्मक बनी हुई है। अतः यहाँ पर कुछ ऐसे सुझाव दिये जा रहे है जिनको यदि क्रियान्वित किया जाये तो भारत में पुलिस और जनता के मध्य संबंधों की स्थापना की जा सकेगी।

1. पुलिस एवं जनता के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए सर्वप्रथम यह अपरिहार्य है कि शासन द्वारा परिवर्तित समय की मांग के अनुरूप नवीन कानूनों का निर्माण किया जाये जिनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया सरल हो तथा वे पुराने कानून जो अप्रासंगिक हो चुके है, उन्हें या तो समाप्त किया जाये अथवा उनमें संशोधन किया जाये। पुलिस प्रशासन की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अधिकांशतः उन पुराने कानूनों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है जिनकी प्रासंगिकता या तो समाप्त हो गई है या नाममात्र की रह गई है। अतः ऐसे कानूनों की पहचान करके उन्हें आवश्यकतानुसार समाप्त करना या उनमें संशोधन करना समय की मांग है।
2. पुलिस को समय की मांग को पहचानते हुए अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पुलिस अत्याचारी या आततायी बनकर नहीं रह सकती बल्कि उसे जनता का सेवक बनना होगा। उसे अपने कार्यो से यह सिद्ध करना होगा कि उसका एकमात्र कर्त्तव्य समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखना ही नहीं बल्कि इसी के साथ–साथ उसका यह भी कर्त्तव्य है कि वह जनता से मित्रवत् संबंध बनाये ताकि आम जनता उसे अपना संकटमोचक माने और किसी भी समय कोई भी समस्या आने पर उसकी सहायता ले।
3. जनता को भी अपनी भूमिका को पहचानना होगा, उसे यह स्वीकार करना होगा कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन उचित तरीके से नहीं कर पायेगी। अतःएव आवश्यकता इस बात है कि जनता पुलिस की सहायता करें। अपराध घटित होने पर तत्काल उसकी सूचना न केवल पुलिस को दे बल्कि अपराध के संदर्भ में जो भी जानकारी उन्हें है वह पुलिस को बतावें। इसी के साथ–साथ यदि उसके आसपास आपराधिक तत्व सक्रिय है अथवा उन्हें आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी है तो उसकी भी जानकारी पुलिस को दे, क्योंकि तभी पुलिस समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रख सकती है।
4. वर्तमान समय में पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर संबंधों के अभाव का एक बहुत बड़ा कारण पुलिसकार्मिकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में छिपा हुआ है। पुलिस को आज प्रशिक्षण उसी पद्धति से दिया जाता है जिस पद्धति से ब्रिटिश शासनकाल में दिया जाता था। वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन में शारीरिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है अपेक्षाकृत मानसिक अभिवृत्तियों के विकास के। अतः प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन किये जाने चाहिए तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
5. पुलिस प्रशासन में कार्मिकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा उन्हें अधिक अच्छी कार्य दशाऐं उपलब्ध करवायी जानी चाहिए, क्योंकि शासन के अन्य विभागों की अपेक्षा उसके कर्त्तव्य बहुत अधिक होते हैं। अतः शासन का यह दायित्व है कि वह पुलिस प्रशासन श्रेष्ठ कार्य दशाऐं उपलब्ध कराऐं।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति में पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और पुलिस और जनता के मध्य मधुर संबंधों का विकास ही लोकतांत्रिक समाज के लिए अपरिहार्य शर्त है अतएव आवश्यकता इस बात है कि पुलिस एवं जनता के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए दोनों पक्षों को ही आगे बढकर एक–दूसरे का न केवल पूर्णरूपेण सहयोग करना होगा, बल्कि भारत को नव सहस्त्राब्दि में विश्व महाशक्ति बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा।

सामुदायिक पुलिस और अपराधों की रोकथाम :–(Community poilicing and Prevention of crime)

सामुदायिक पुलिसिंग का मूल सिद्धांत यह है कि 'एक पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक होता है और एक नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिसकर्मी होता है'।

सामुदायिक पुलिसिंग का सार पुलिसकर्मियों और नागरिकों के बीच की दूरी को इस हद तक कम करना है कि पुलिसकर्मी उस समुदाय का एक एकीकृत हिस्सा बन जाए जिसकी वे सेवा करते हैं।

इसे कानून को लागू करने वाले दर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पुलिस को उस क्षेत्र में रहने और कार्य करने वाले नागरिकों के साथ एक मज़बूत संबंध स्थापित करने के लिये दोनों को एक ही क्षेत्र में लगातार कार्य करने की अनुमति देता है।

- यह पुलिस और जनता के बीच विश्वास की कमी को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसके लिये पुलिस को अपराध की रोकथाम और अपराध का पता लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा स्थानीय संघर्षों को हल करने हेतु समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य जीवन और सुरक्षा की भावना की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है।
- लाभः
- किसी सरकारी वित्त सहायता की आवश्यता नहीं।
- अपराध और अव्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरक्षा में वृद्धि।
- पारंपरिक पुलिसिंग में मददगार।
- लोगों के बीच विश्वास कायम करना।
- सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करने में मददगार।
- पुलिस और जनता दोनों के मध्य प्रोत्साहन एवं आलोचना को साझा करना।
- अपने कार्य क्षेत्र के प्रति पुलिस अधिकारियों में सुरक्षा का भाव होना।
- विश्वसनीय और आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता।
- लोगों के मध्य ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करना।
- पुलिस एवं जनता दोनों की एक–दूसरे के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने में समुदाय की भूमिका :–(Role of community in combating terrorism of insurgency)

आतंकवाद के खतरे के प्रति व्यापक और बहुआयामी कार्यवाई में समुदाय के महत्त्व को संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। जिसने दिनांक 8 सितंबर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद प्रतिरोध कार्यनीति को अपनाया। सदस्य राष्ट्रों ने इस कार्यनीति के क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों तथा समुदायके प्रयासों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

हाल के वर्षों में सार्वजनिक कार्यों में समुदाय के समूहों की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। वे नागरिकों की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में सहायक रहे हैं और वे आतंकवादियों से निपटते समय सुरक्षा बलों द्वारा 'मानवाधिकारों के उल्लंघनों' का विशेष उल्लेख करने में भी सक्रिय रहे हैं।

इन समूहों की निचले स्तर के साथ समीपता को देखते हुए उनकी क्षमता का प्रयोग भी कई प्रकार से किया जा सकता है जो 'स्थानीय' आसूचना प्रकार की सूचना सहित आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र के संघर्ष में सहायता करेगी।

समुदायसंपूर्ण समुदाय द्वारा बरती जाने वाली बुनियादी सावधानियों से अवगत कराने में एक सलाहकार और शैक्षिक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि अधिकांश आतंकवादी हमलों में आम नागरिक ही लक्ष्य होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि नागरिक ऐसी किसी घटना से निपटने के लिये स्वयं सुसज्जित और प्रशिक्षित हों क्योंकि पीड़ित होने के अतिरिक्त वे प्रायः किसी संकट में पहले प्रत्युत्तरदाता हैं।

समुदायऔर गैर–सरकारी संगठन उदाहरणार्थ स्थानीय संस्कृति, धार्मिक प्रथाओं और कतिपय समुदायों की परंपराओं की विविधता की जागरूकता फैलाने तथा समुदाय के तनावों को दूर करने और उनके घावों को भरने के लिये बाह्य कार्यकलाप विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग के लक्षित कार्यक्रम विकसित करने के लिये कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों के साथ भागीदारी कर सकते हैं।

Implemeantion Strategy (कार्यान्वयन रणनीति):– पुलिसकर्मियों में समुदाय की भागीदारी के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है तथा इसे कार्यान्वित किया जाता है जैसे सीएलजी पुलिस मित्र स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना ग्राम रक्षक सुरक्षा सखी जनसहभागिता आदि।

1. सुरक्षा सखी योजना :– राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं व पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सकी योजना प्रारंभ की गई है इसके अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक सुरक्षा सकी समूह का गठन किया जाना प्रस्तावित है सुरक्षा शक्ति के रूप में सभी जाति धर्म वर्ग व समुदाय की स्थानीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों सरकारी विभागों में कार्य करने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा सखी के रूप में सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है :–

1.राजस्थान में महिलाओं ओब्लिक बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना।

2.उन्हें अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक बनाना।

3.उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से सकारात्मक संवाद स्थापित करना।

4.समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं व बालिकाओं को अपराध पीड़िता ने पुलिस के मध्य सेतु के रूप में सशक्त करना।

5.उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।

6.क्षेत्र विशेष की महिलाओं को पब्लिक बालिकाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी कर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उचित समाधान का प्रयास करना।
इस योजना का क्रियान्वयन थानास्तर पर थानाधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा मासिक बैठकों का आयोजन कर क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी समस्त प्रकार की समस्याओं की समीक्षा की जा कर प्रकरण अनुसार समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

2. ग्राम रक्षक योजनाः– पुलिस को एकदक्ष प्रभावी जन मित्रवत और प्रति उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम विभिन्न अपराधों की आस सूचना प्राप्त करने अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग घटनास्थल को सुरक्षित रखना गांव में किसी संदिग्ध संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों किसी षड्यंत्र की सूचना देना और पुलिस थाने के कार्यों में पुलिस का

सहयोग करने की मंशा से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 48 के तहत ग्राम रक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

3. जनसहभागिता :– स्थायी आदेश संख्या 11/2018 दिनांक 27 मई 2018 की पालना में राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जा रहा हैइसे प्रभावी बनाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए।

1.जनसहभागिता बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व विभिन्न संचार माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों को दी जाए इसमें बीट खानी एवं सोशल मीडिया का भी पूर्ण उपयोग किया जाए।

2.जनसहभागिता बैठक स्थल के चुनाव करते समय पूर्व में गठित गंभीर अपराध एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं स्थानों पर जन सहभागिता की बैठक रखी जाए।

3.जनसहभागिता बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त नोट तैयार कर पुलिस वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

4.नागरिकगण द्वारा उठाई गई समस्याओं को स्थानीय स्तर पर निस्तारित किया जाए राज्य स्तरीय समस्याओं को पुलिस मुख्यालय के ध्यान में लाया जाए।

5.जन सहभागिता कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाए ताकि प्रत्येक वर्ग में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सकें।

4. राजस्थान पुलिस मित्र योजनाः– राजस्थान पुलिस निरंतर प्रयासरत है की पुलिस व्यवस्था व पुलिस कार्यप्रणाली में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप गुणात्मक परिवर्तन आए व पुलिस जनहित की अवधारणा से प्रेरित होकर कार्य करें इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये आवश्यक है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिको का सहयोग पुलिस को निरंतर प्राप्त हो समाज में ऐसे स्वप्रेरित व्यक्तियों की कमी नहीं है जो स्वेच्छया किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान समाज को देना चाहते हैं पुलिस मित्र योजना का उद्देश्य ऐसे स्वप्रेरित व्यक्तियों को जोड़ना हैजो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक व जनहित के कार्यों में पुलिस के सहभागी के रूप में कार्य करें पुलिस मित्र योजना से जनता व पुलिस के बीच सामंजस्य समन्वय की स्थापना होगी जिससे एक भय अपराध मुक्त समाज की स्थापना में गति व निरंतरता बनी रहेंगी

पुलिस मित्र योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो राजस्थान में निवासरत है आवेदन पत्र में टी ओह क्षेत्रों में से ऐसे क्षेत्र चुन सकते हैं जिन में वो अपना योगदान देना चाहते हो इस हेतु राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है व आवेदन स्वीकार होने पर संबंधित थाने से समन्वय कर राजस्थान पुलिस मित्र के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं

राजस्थान पुलिस मित्र की निम्न विशेषताएं हैं

1.समुदाय की सेवा के लिए सदैव तत्पर।

2.सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन।

3.ईमानदारी समयबद्धता और समर्पण के सिद्धांतों का पालक।

4.अपराधों को रोकने में पुलिस की सहायता हेतु संकल्पित।

5.कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं यातायात नियमों की पालना में पुलिस का सहभागी।

6.स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु विचारशील।

7.राजकीय संपत्ति की सुरक्षा हेतु चिंताशील।

8.जरूरतमंदों की सहायतार्थ कटिबद्ध।

9.अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग।

10.सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर।

11.पुलिस मित्र के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्पित।

5. स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजनाः– स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना में विद्यार्थियों को पुलिस से संबंधित सामान्य जानकारी दी जाती है तथा प्रशिक्षण करवाया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति द्वारा कानून का स्वेच्छा से पालन करने पर बल देने के अलावा इसे अपराध की रोकथाम सहित नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का समावेश करें उन्हें जिम्मेदार अनुशासित संस्कारी और चरित्रवान नागरिक बनाना है इससे स्कूलों विद्यार्थियों व पुलिस के बीच सामंजस्य की शुरुआत होगी ताकि समाज में शांति और जन सुरक्षा के लिए नागरिको का सहयोग लिया जा सके इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना आती है और वे अनुशासित होकर असहिष्णुता नशा वे अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे ये योजना पुलिस जनता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत नींव स्थापित करेगी इससे पुलिस विभाग में ये जानने में मदद मिले गी कि युवाओं की पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनज़र स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की गई है।

सर्वे एंड री इंजीनियरिंगः– समुदाय का पुलिस के कार्यों में भागीदारी करने का उच्चाधिकारियों द्वारा सर्वे करवाया जाता है तथा उसमें जो भी फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पर अन्य योजनाओं को लागू किया जाता है ऐसे कार्य जो पुरानी योजनाओं में जोड़ने से रह गए हैं उन्हें नए सिरे से जोड़ा जाता है इस प्रकार सर वेरी इंजीनियरिंग करने से समुदाय की भागीदारी पुलिस विभाग के कार्यों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है अतः सामुदायिक पुलिसिंग का सर्वे समय समय पर होते रहना चाहिए।

मॉड्यूल – बी
अपराध निवारण (Crime prevention)

अपराधों की रोकथाम की अवधारणा :– (Concepts of prevention of crime – methods & strategies)

मनुष्य प्राचीनकाल से इस प्रयास में रहा है कि समाज से अपराध समाप्त हो जायें लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अपराध न तो आकस्मिक घटना है और ना ही घटना मात्र है। अपराध तो समाज के तान–बाने के साथ बुने हुए हैं। समाज सुधारक, अपराधशास्त्री, सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठन निरन्तर अपराध नियंत्रण की दशा में प्रयत्नशील हैं, फिर भी अपराध कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अपराध निरोध के कार्य में हम किसी आधारभूत भूल को दोहराते चले आ रहे हैं, जिसका हमें अब तक ज्ञान नहीं है। अपराध निरोध हेतु अब तक जो भी कार्यक्रम बनाये गये हैं या शोधकार्य किये गये हैं उन सभी में प्रायः किसी एक कारक पर ही ध्यान केन्द्रित रखा जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम उपलब्धि के नाम पर केवल नये–नये सिद्धान्त, जो केवल नारेबाजी पर आधारित है, समाज को दे पाये हैं।

सदरलैण्ड के अनुसार– 'अपराध को कम करने में दो पद्धतियों का प्रयोग होता है। पहली पद्धति (उपचार) का उद्देश्य यह है कि अपराध की पुनरावृति ना हो, जबकि दूसरी पद्धति निरोध का उद्देश्य है कि अपराध की रोकथाम पहले से ही की जाये।

अपराध निरोध में आपराधिकता के कारणों के ज्ञान का अपना महत्व है। समय–समय पर विभिन्न अपराधशास्त्रीयों ने अपने शोध कार्यों के आधार पर अनेक कारणों को अलग–अलग आपराधिकता के लिए दोषी बताकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। मनोरंजन के साधन को अपराध की रोकथाम में सहायक माना गया है। कुछ अपराधों का कारण मनोरंजन के साधनों का अभाव भी रहा है। इसी प्रकार समाज में व्याप्त शिक्षा को भी अपराध निरोध का एक अहम साधन माना जा सकता है क्योंकि अज्ञानता के कारण व्यक्ति काफी अपराध कर देता है और अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने विवेक को काम में नहीं ले पाता है।

अपराध निरोध हेतु सुझाव– अपराध निरोध समस्या की जटिलता एवं इस कार्य में अब तक मिली असफलताओं से यह प्रमाणित हो जाता है कि इसी क्षेत्र में मौलिक शोध कार्य की आवश्यकता है जो अब तक किये गये शोध कार्यों की अपेक्षा अधिक व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। अपराध निरोध हेतु निम्न प्रयास किये जाने चाहिए–

1. अपराध रोकथाम के लिए अपराध की प्राथमिक अवस्था में ही कार्यवाही करना बेहतर तथा समाज, सरकार एवं अपराधी के हित में है। समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं जीव वैज्ञानिक कारकों में से समाज शास्त्रीय कारकों को अधिक महत्व दिया जाये क्योंकि वे परिवर्तनीय हैं एवं सुगमता से नियंत्रित हो सकते हैं।
2. पुलिस विभाग को नये सिरे ये अपराध संबंधी खोज, निरोध, नियंत्रण एवं सुधारात्मक ज्ञान तथा तकनीकी सुविधायें प्रदान करते हुए, उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
3. यद्यपि पुलिस गश्त आदि का महत्व है फिर भी पुलिस की साख जनता में बढ़ाने हेतु जनता में आवश्यक है कि अपराध निरोध में निम्न स्तर के उपाय एवं पक्षपात पूर्ण विधिक प्रावधानों का प्रयोग न किया जाये।
4. अपराध निरोध में जनता का सहयोग वांछनीय है, अतः पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त करके अपराध निरोध के कार्य में जनसहयोग का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
5. अपराध निरोध में पुलिस को सहयोग देने हेतु जनता को प्रशिक्षित एवं तैयार करने का काम जन नेता अपने हाथ में ले सकते हैं।
6. ऐसे कार्यों में जहां हिंसा एवं बल प्रयोग की संभावना हो, नागरिक को नहीं भेजना चाहिए, जिससे नागरिक पुलिस एवं जनता के बीच कटुता न पैदा होकर परस्पर समझदारी एवं सहयोग बढ़े। हिंसक दंगों आदि को दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस संगठित की जा सकती है।

7. पुलिस की परिवीक्षा, पैरोल एवं उत्तर संरक्षण कार्य करने वाली संस्थाओं से सहयोग करना चाहिए साथ ही अपराधी को अपराध करने से पूर्व ही रोककर अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए।
8. परिवीक्षा, पैरोल एवं इत्तर संरक्षण कार्य में योग्य एवं प्रशिक्षित लोगों को रखा जाये तथा बाल अपराध की रोकथाम के लिये प्रशिक्षित बाल पुलिस का गठन आवश्यक है।
9. परिवीक्षा, पैरोल एवं उत्तर संरक्षण कार्यक्रम एवं पुलिस विभाग में पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से यह वांछनीय है कि इन सभी विभागों को गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया जावे।
10. बाल अपराध निरन्तर गतिशील रहने वाली समस्या है इस समस्या के प्रारंभ में उपेक्षा करने से एक क्रमबद्ध आपराधिक श्रृंखला का विकास हाता है इस समस्या पर छोटे–छोटे कार्यक्रमों से नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है, अतः बाल अपराधों की रोकथाम के लिए एक भलीभांति संतुलित व्यापक कार्यक्रम, जो परिवीक्षा, पैरोल, सरकारी एवं गैर सरकारी सुधार संस्थाओं के समन्वय से बना हो, कि आवश्यकता है।
11. परिवीक्षा व्यवस्था को व्यापक मान्यता दिलाने हेतु बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसमें अच्छे वेतनमान एवं सेवा शर्तों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये।

किसी भी अपराध नियंत्रण व अनुसंधान में आपराधिक सूचना संकलन का बडा ही महत्व है। पुलिस की सफलता व असफलता काफी हद तक सूचना संकलन पर निर्भर करती है। सूचना संकलन के माध्यम से अपराधियों तक पहुँचने में कामयाबी मिलती है। आपराधिक सूचना संकलन दो प्रकार से की जाती है जो इस प्रकार है–

1–अपराध होने से पूर्व 2– अपराध होने के पश्चात् ।

1–अपराध होने से पूर्व– यदि अपराध होने से पूर्व ही सूचना संकलन हो जाये तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध पूर्व सूचना संकलन हेतु पुलिस कर्मी को अपनी बीट क्षेत्र व पुलिस थाना क्षेत्र में विश्वसनीय लोगो से अच्छा सम्बंध रखना चाहिये व उन्हे अपराध से पूर्व सूचना देने के लिए प्रेरित करना चाहिये ।अपनी बीट में गॉव के मुखिया , चौकीदार , पंच –सरपंच व ग्राम सेवक आदि से सम्पर्क कायम रख कर अपराध पूर्व सूचना प्राप्त करनी चाहिये । ये लोग कानूनन रूप से भी बाध्य है। अपराध पूर्व सूचना संकलन से किसी के पास अपराधियो के आने –जाने का, चोरी के माल लेने देने वालो का, प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौत का पता चलना या किसी व्यक्ति द्वारा अवैध शराब ,नशीले पदार्थ या अन्य कोई अपराध किये जाने की सूचना मिले तो ऐसी सूचना तुरन्त थानाधिकारी को देनी चाहिये।

2.अपराध होने के पश्चात् –अपराध होने के पश्चात् पुलिस को निम्नलिखित से आपराधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं:–

1. पीड़ित व्यक्ति से
2. घटना स्थल से
3. चश्मदीद गवाह से
4. राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से
5. तरीका वारदात ब्यूरो से
6. पुलिस थाना के रिकार्ड से
7. मुखबिर से

methods& strategies

बीट मेप–

बीट अधिकारी द्वारा अपने बीट क्षेत्र का नक्शा तैयार कर बीट बुक में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाये एवं बीट मेप में बीट क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान, धार्मिक स्थल, सरकारी कार्यालय, बैंक, ए.टी.एम., भीड़–भाड़ वाले स्थान एवं बीट क्षेत्र के मुख्य मार्ग एवं सहायक मार्ग व सम्भावित दूरी अंकित की जाये।

1.सम्बल योजना–

समय–समय पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आम जन को राहत पहुँचाने के लिये योजनाएँ पारित एवं क्रियान्वित करती है । जिसमें विशेष तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये, महिलाओं के लिये, अल्पसंख्यक वर्ग

के लिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के लिये, बालकों के लिये, पिछडे. वर्ग के लिये, आदिवासी व सहरिया क्षेत्र के लोगों के लिये, ग्रामीण इलाके मेंबीपीएल व एपीएल लोगो के लिए समय समय पर रोजगार, आर्थिक मदद निःशुल्क दवाइयाँ, पोषाहार, निशुल्क शिक्षा, आदि घोषणाएं की जाती हैं जो सही ढंग से क्रियान्वित हो रही है या नही। यदि क्रियान्वित हो रही हो तो वास्तव में वांछित व्यक्ति को ही उसका फायदा मिल रहा है या नही।कही कोई गबन या गड.बडी तो नही हो रही है, इसका पूर्ण ध्यान रखना आवश्यकता पड.ने पर विधिक कार्यवाही करना पुलिस का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्त्व है । अपने थाना क्षेत्र में उपर्युक्त वर्गों के जो लोग रह रहे है उनकी जानकारी रखना राज्य सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना ओर किसी प्रकार के मानवाधिकार का हनन नही हो इसका ध्यान रखना पुलिस का कर्त्तव्य है । सम्बल योजना के प्रति आम नागरिक को जागृत करने एंव उनके अधिकारों के प्रति सजग करने से पुलिस की छवि में सुधार होगा ओर आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढेगा ।

नौकरों का रिकार्ड–

प्रत्येक मकान मालिक अपने घरेलु नौकर का चरित्र सत्यापन, स्थानीय पुलिस द्वारा कराने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्त्व के अधीन है एवं घरेलु नौकर का पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नं., संबंधित दस्तावेज, फोटो आदि स्थानीय पुलिस थाने में वास्ते सत्यापन हेतु अविलम्ब प्रस्तुत करें या पुलिस वेबसाइट, पोर्टल, ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सत्यापन कराये। बीट कानि. द्वारा थानाधिकारी के माध्यम से उक्त नौकर का पर्चा ठ भर कर संबंधित थाने में वास्ते सकुनत तस्दीक एवं आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर सत्यापन पूर्ण किया जाये। थाने पर सभी बीट क्षेत्र का सर्वे कर नौकरों क का रिकार्ड रखना चाहिये।

2.सी.पी.ओं.(कम्यूनिटी पुलिस ऑफिसर)–

राजस्थान में सीपीओ सिस्टम बहुत ही कम स्तर पर संचालित हैं । जब कि इस सिस्टम का होना पुलिस कार्य प्रणाली में बहुत ही उपयोगी एंव मददगार है। सीपीओ सिस्टम में जनता में से चुने हुए व्यक्ति को पुलिस की सहायता,गश्त हेतू लगाया जाता है। व्यापारिक संस्थानों कि मदद से उसका भुगतान किया जाता है,जो पुलिस कार्य में मदद करते हैं तथा मोहल्ला समाज में होने वाली समस्त सूचनाए पुलिस विभाग (बीट आफिसर) थानाधिकारी को देते है तथा यह समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं । क्योंकि वह हर समय समाज में उपस्थित रहते हैं तथा उन्हे पुलिस अधीक्षक द्वारा पहचान पत्र, प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा समय समय पर अच्छे कार्य के लिये सम्मानित किया जाता हैं जिससे उनका हौंसला बढता हैं तथा उसके परिवार की सुरक्षा व समय समय पर आंशिक भत्ता भी पुलिस द्वारा दिया जाता हैंसंस्थाओं से भी उसे सहयोग दिलाया जाता है । जिसके कारण वो अपने कर्त्तव्य एंव उत्तरदायित्व को निभाता है ।

सी.पी.ओ अपने–अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त के माध्यम से अपराध रोकने का कार्य करेंगे तथा अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्रित करेंगे साथ ही चिन्हित अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस तथा जनता में आपसी सहयोग को मजबूती देते हुये अपराधों की रोकथाम व शांति व्यवस्था बनाये रखना है ।

सी.एल.जी. सदस्यों से समन्वय–

जनता एवं पुलिस के बीच आपसी सामंजस्य एवं तालमेल होना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए थाना स्तर पर थाना क्षेत्र के मुख्य आदमियों की कमेटियाँ बनी हुई होती है। जिसमें थानाधिकारी एवं पुलिस के कर्मचारी सहित थाना क्षेत्र के मुख्य–मुख्य व्यक्ति होते है जिनकी समय–समय पर मीटिंग आयोजित होती हैं। कानून व्यवस्था की ड्यूटी एंव पुलिस की समस्त प्रकार की ड्यूटियों में यह प्रभावी भूमिका निभाती है। बीट कांस्टेबल अपनी बीट की सीएलजी कमेटियां बनाता है। जिससे जनता में निरन्तर संपर्क बना रहता है। जिससे अपराधियों के बारे में सूचना प्राप्त करते रहते है।

3.हार्ड कोर क्रिमीनल स्कीमः–ऐसे सक्रिय अपराधी जिनसे समाज भयाक्रान्त रहता है, इस तरह के प्रोफेशनल क्रिमीनल्स जो बार बार अपराध कर समाज में भय का वातावरण बनाते है, या जो खूंखार प्रकृति के अपराधी है, उन्हे जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए तथा यदि वे बाहर है तो ऐसे कदम उठाये जाए कि उनका अधिकतम समय पुनः जेल में कटे। इसी सिद्धान्त पर हार्ड कोर क्रिमीनल स्कीम को पुलिस मुख्यालय द्वारा लागू किया गया है।

हार्ड कोर क्रिमीनल स्कीम में अपराधियों का चयनः–

1. ऐसे प्रोफेसनल क्रिमीनल जो हत्या, लूट, डकैती, वाहन चोरी, चोरी, नकबजनी या ठगी आदि अपराधों में सक्रिय है।
2. अपराधी के विरूद्ध इस प्रकृति के कम से कम तीन केस दर्ज हो।
3. क्रिमीनल इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा समाज के सामान्य वर्ग द्वारा भयाक्रान्त होने की रिपोर्ट।
4. लोग उसकी रिपोर्ट देने से डरते हो।
5. किसी अपराध में जेल जाने के बाद व जेल से छूटने पर उसके विरूद्ध शिकायत हुई हो।

हार्ड कोर क्रिमीनल स्कीम में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाः–

1. अपराधियों का चयन उनके द्वारा किये गये अपराध के आधार पर किया जाये।
2. अपराधियों पर निरन्तर निगरानी रखी जायें।
3. इस बात के अनवरत प्रयास किये जाये कि वे अपराधी जेल में ही रहे।
4. जेल में उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये।
5. यदि अपराधी किसी प्रकरण में फरार चल रहा है तो उसे गिरफ्तार करने के हर सम्भव प्रयास किये जाये।
6. यदि ऐसा अपराधी किन्ही अवैध धन्धों में लिप्त है तो तद्नुसार कार्यवाही की जाकर उसे गिरफ्तार किया जाये।
7. यदि ऐसे अपराधी के विरूद्ध कोई वारन्ट पेंडिंग है तो वारन्ट की तामील करायी जाकर उसे जेल भेजा जाये।
8. यदि अपराधी किसी निरोधात्मक कार्यवाही की श्रेणी में आ रहा है तो तुरन्त उसके विरूद्ध तद्नुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
9. अपराधी के विरूद्ध यदि किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
10. अपराधी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश करते समय उसका सम्पूर्ण आपराधिक रिकार्ड आवश्यक रूप से लगाया जाये।
11. जब अभियुक्त का कोई भी जमानत आवेदन न्यायालय में लगे तो अनुसंधान अधिकारी या थानाधिकारी इस बात के हर सम्भव प्रयास करें कि जमानत याचिका खारिज हो।
12. सुपरविजन अधिकारी थानों के भ्रमण के दौरान हार्ड कोर अपराधियों पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करेंगे।
13. हार्ड कोर अपराधियों की यदि हिस्ट्रीशीट नही खुली हुई है तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश प्राप्त कर निगरानी प्रारम्भ करेंगे।
14. उसके द्वारा किये जाने वाले अपराधों एवं जेल में रहने के दौरान की जा रही गतिविधियों की प्रोफायलिंग तैयार करेंगे।
15. ऐसे अपराधियों के मामलों को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर उन्हे सजा करवाने के हर सम्भव प्रयास किये जाये।

4.सजग पड़ौसी योजना (Involvement of community – neighbourhood policing):–बीट कानिस्टेबल द्वारा अपने बीट में एवं गश्त के दौरान अपने बीट की जनता से अच्छा व्यवहार रखते हुए उन्हे जागृत करना चाहिये कि आपके पडौस में कौन व्यक्ति रह रहा हैं, क्या कार्य कर रहा हैं । उसके परिवार में कितने सदस्य है तथा उनके मोबाईल नम्बर, वाहन नम्बर, परिवार मे कोई वृद्ध रह रहा है तो उसकी परवरिश कौन कर रहा है । पडौसी का रहने का स्तर कैसा है । आय का स्रोत क्या है? व कही भी बाहर जाए तो पडौसियों को बताकर जाएगें तथा अपने मौहल्ले की सुरक्षा के बारे में भी आपस में विचार विमर्श करना कार्ययोजना बनाना पुलिस को सुझाव देना आदि जानकारी रखने के लिये तैयार करना एवं गुप्त रूप से पडौसियों की गतिविधियों का भी ध्यान रखना। इस प्रकार समय–समय पर पुलिस को गश्त के दौरान बीट क्षेत्र की जानकारी होना ही सजग पडौसी होना कहा जाएगा।

–बीट प्रणाली का परिचय –किसी पुलिस थाना या चौकी के अन्तर्गत आने वाला वह क्षेत्र जो अपराधों की रोकथाम या कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्धेश्य से गाँवों की जनसंख्या क्षेत्रफल व थाने चौकी से दूरी को ध्यान में रखते हुये गश्त, तामील, एवं निगरानी के लिए क्षेत्र को विभिन्न हिस्सो में बाँट दिया जाता है, को बीट कहते है।

अपराध रोकथाम में बीट प्रणाली की भूमिका

अपराध रोकने के लिए बीट प्रणाली निम्न बिन्दुओं के आधार पर सहायक सिद्ध होती हैः–

(1) अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था व शान्ति बनाये रखने मे उपयोगी है।
(2) बीट एवं पाईन्ट ड्यूटी के दौरान नए अपराध एवं अपराधियों का पता लगाया जाता है।
(3) हिस्ट्रीशीटर एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने में सहायक है।
(4) जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना व परस्पर सहयोग का वातावरण तैयार होता है।
(5) पुलिस विभाग की छवि मे सुधार होता है।
(6) अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहायता मिलती है।
(7) आपराधिक सूचनायें प्राप्त करके उनका आदान प्रदान किया जा सकता है।
(8) न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशों, सम्मन वारटों की पालना में सहायता मिलती है।
(9) महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करने में सहायता मिलती है।
(10) बीट कानि0 का बीट क्षेत्र में व बीट की जनता का बीट कानि0 में विश्वास बढ़ जाता है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता अपने बीट कानि0 से निसंकोच बीट की आसूचना पहुचाँ देती है। जिसके कारण अपराधों की रोकथाम व अभियुक्त गण की गिरफ्तारी में काफी सहायता मिलती है।

बीट डयूटी रात्री व दिनः–

सामान्यता बीट प्रणाली को दो भागों में बाँटा जा सकता है जो इस प्रकार है–

1– शहरी बीट प्रणाली
2– ग्रामीण बीट प्रणाली

1. **शहरी बीट प्रणालीः–** शहरी थानों पुलिस चौकियों में प्रचलित बीट प्रणाली शहरी बीट प्रणाली है इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों को छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है जिसे बीट कहते हैं। प्रत्येक बीट का एक बीट कानि. होता है जो उच्चधिकारियों के निर्देशानुसार दिन व रात की बीट ड्यूटी व गश्त करता है

ड्यूटी का समय–बीट ड्यूटी का निर्धारण मौसम के अनुसार किया जाता है शहरी क्षेत्र में जवानों की सुविधा एवं काम करने की अवधि को ध्यान में रखते हुए बीट ड्यूटी को दो भागों में विभाजित किया गया है–

(क) दिन में बीट ड्यूटी

(ख) रात्रि में बीट ड्यूटी

4– बीट डयूटी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में :–

शहरी दिन में बीट ड्यूटी– शहरी क्षेत्र में प्रायः दिन के समय लगाई जाती है। दिन में लगाई पाईन्ट व बीट ड्यूटी अपराधियों को पकड़ने, अपराधों की रोकथाम करने व उनके विषय में सूचनाऐं एकत्रित करने में सहायक होती हैं। यह प्रायः अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगाई जाती है।

शहरी रात्रि बीट ड्यूटी– रात्रि बीट ड्यूटी प्रायः रात्रि 10 बजे के पश्चात् सूर्योदय तक लगाई जाती है। बीट कानि. को चैक करने के लिए थाने के अधिकारी जाते हैं इसके अलावा समय–समय पर उप पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक भी चैक करते हैं आमतौर पर उन क्षेत्रों में अधिक लगाई जाती है जिसमें चोरियों या लूटपाट की वारदातें अवैध शराब व नशीली वस्तुओं का व्यापार होता हो।

ग्रामीण बीट ड्यूटी– ग्रामीण बीट ड्यूटी को सुविधा के तौर पर दो भागों में बाँटा जाता हैः–

1. दिन की बीट ड्यूटी

2. रात्रि बीट ड्यूटी

दिन की बीट ड्यूटी– प्रायः दिन के समय लगाई जाती है जिसमें डस्ट पेट्रोलिंग भी शामिल है। डस्ट पेट्रोलिंग शांम के समय लगाई जाती है जब सूर्य अस्त होता है व नागरिक अपने घरों को वापस लौटते हैं उस समय लूट पाट व सामान छीनने की वारदातें अधिक होती हैं। दिन की बीट ड्यूटी प्रायः ऐसे स्थान पर होती है जहाँ बाजार लगता हो व अपराधियों का आना–जाना हो।

रात्रि बीट ड्यूटी– रात्रि के समय रात्रि बीट ड्यूटी लगाई जाती है जहाँ अपराधियों के आने–जाने का रास्ता हो, सुनसान जगह हो, बदनाम जगह हो तथा जहाँ अपराधियों द्वारा अधिक संख्या में वारदात की जा रही हो।

<u>बीट</u>

- बीट सिस्टम राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 2.28 में प्रावधान दिया गया है।
- बीट का महत्वः–
- बीट के प्रकार :–
  1. शहरी
  2. ग्रामीण

- **बीट बुक –**

पुलिस मुख्यालय के मेमोरेन्डम संख्या 1372 दिनांक 19.05.2005 की पालना में बीट प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच, परिवाद, पासपोर्ट, हथियार लाईसेन्स, चरित्र सत्यापन बीट कानिस्टेबल द्वारा कराये जा रहे हैं।

बीट सिस्टम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए –

1. बीट क्षेत्र के नागरिकों की मीटिंग ली जाकर कानि. के कार्यो का मूल्यांकन।
2. कानि. बीट से वापसी पर बीट में किए गए कार्यो की जानकारी व किए गए कार्यो का बीट रजिस्टर व रोजनामचा में इन्द्राज।
3. बीट कार्यो का त्रैमासिक तुलनात्मक विवरण।
4. सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कानि. को उच्च अधिकारियों द्वारा नकद पुरस्कार।
5. अच्छा कार्य नहीं करने वाले या अपने बीट क्षेत्र के प्रति उदासीन रहने वाले कानि. को समझाने व उसकी कठिनाई को समझने का व उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

एक मासिक गुप्त प्रतिवेदन बीट कानि. द्वारा वृत्ताधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय को बीट क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में भेजा जावे।

7. बीट क्षेत्र में कानि0 का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का रखा जाना चाहिए जिससे उसे बीट को व उसके नागरिकों को समझने और अपना कार्य ठीक से करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
8. बीट कानि. का अपनी बीट में हो रहे आपराधिक कार्यो के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाए।
9. बीट कानि. जहां तक हो सके एक बीट में दो होने चाहिए जिससे एक की अनुपस्थिति या स्थानान्तरण हो जाने पर दूसरा उसके कार्य को कर सके।

स्टेण्डिंग आर्डर नम्बर 9/88

क्रमांक : सी.आर.डी.सी.बी./पी.आर.सी 32–53–82–6687 दिनांक 30.07.1988

- कानिस्टेबल के लिए नई बीट बुक जारी की जाने संबंधी बीट बुक को चार भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है :–

प्रथम भाग :– बीट बुक के प्रथम भाग में निम्नलिखित सूचनाऐं अंकित की जायेगी :–

1.वर्तमान हिस्ट्रशीटर्स के नाम तथा विवरण।
2. पुराने अपराधी जो डकैती, लूट तथा नकबजनी की वारदातों से सम्बन्धित हों।
3. समाज कंटक व्यक्ति जैसे दादा, गुण्डा बदमाश।
4.अपराधियों के आश्रय स्थल, उनके मित्र आदि।
5. ऐसे अपराधी जो जुआ, सट्टा, मादक पदार्थो के व्यापार, अवैध शराब तथा अवैध हथियारों के निर्माण में लिप्त है।
6. मोतबीर व्यक्तियों के नाम बीट बुक का प्रथम भाग थानेदार की देखरेख में कानि. के द्वारा भरी जायेगी, इसमें दर्ज अपराधियों के सम्बन्धी सूचनाओं को कानि. हमेशा ध्यान में रखेगें।

द्वितीय भागः–बीट का द्वितीय भाग –12 हिस्सों में प्रतिमाह के हिसाब से विभाजित होगा, बीट कानि. प्रतिमाह 4 पन्नों में निम्न सूचना दर्ज करेगा।

1. अपराधियों की हलचल।
2. अपराध एवं अपराधियों की सूचना।
3. अपराधियों को पकड़ने के लिये नई विशेष कारगुजारी।
4. महिने की समाप्ति पर एस.एच.ओ. द्वारा बीट बुक में अंकित सूचना की जांच की जोयगी तथा बीट कानि. की दक्षता के बारे में टिप्पणी की जायेगी।

तृतीय भागः– बीट बुक के तृतीय भाग में हर माह कानि. द्वारा प्रतिदिन के कार्यो का विवरण अंकित किया जायेगा। प्रतिदिन के कार्यो का मूल्यांकन निम्न माहवारी शीर्षकों के अनुसार किया जायेगा।

1– सम्मन प्राप्त हुए
2– वारण्ट प्राप्त हुए
3– तामील व अदम तामील
4– तामील रात्रिगश्त, दिन गश्त
5– समाज कंटको तथा एच.एस. की जांच
6– जांच इन्क्वायरी 'ए' कितने जारी तथा जांच
7– जांच इन्क्वायरी 'बी' कितने जारी तथा तस्दीक
8– सन्तरी ड्यूटी

चतुर्थ भागः– इसमें कानि. के द्वारा किये गये अच्छे कार्यो का विवरण होगा जो प्रतिमाह के हिसाब से लिखा जायेगा जैसे :–

1– जायदाद सम्बन्धी अपराधों की पतारसी
2– जुआ, सट्टा, मादक पदार्थो की बिक्री, अवैध शराब तथा हथियारों की बरामदगी।
3– धारा 109 सी.आर.पी.सी. के मामलें।
4– भगोड़े घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी।
5– थानेदार को दी गयी सूचना के फलस्वरूप अपराधों की सूची।

महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर के स्थायी आदेश संख्या 09/2014 महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर के स्थायी आदेश संख्या 09/2014 के अनुसार बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में–

- **बीटों की संख्या एवं क्षेत्र निर्धारण :–**

- ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बीटों की संख्या थाने/चौकी की स्वीकृत नफरी से निर्धारित होगी। ग्रामीण क्षेत्र के थाने में 03 कानि. एवं शहरी थानों में 04 कानि. को अन्य प्रशासनिक कार्य (आसूचना हेतु नियुक्त कानि. सहित) हेतु स्वीकृत नफरी से घटाते हुए शेष स्वीकृत कानि./महिला कानि. के पदों की संख्या के बराबर बीटों की संख्या निर्धारित की जाये। चौकी में बीटों की संख्या स्वीकृत नफरी के समान होगी।
- बीट का निर्धारण राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 2.28 एवं स्थाई बादेश संख्या 3/2001 में दिये गए निर्देशानुसार एवं थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आपराधिक स्थिति, कानून व्यवस्था एवं थाने/चौकी की स्वीकृत नफरी को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। यह कार्य संबंधित थानाधिकारी से सलाह–मशविरा कर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये।
- यथासंभव ग्राम पंचायत/वार्ड को इकाई मानते हुए बीट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए।
- निर्धारित प्रत्येक बीट के कार्यक्षेत्र में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त से आदेश प्राप्त किया जाये।
- बीट क्षेत्र का पुनः निर्धारण सामान्यतः थाने/चौकी की नफरी में वृद्वि या थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने पर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जाए।

- **बीट कानि. का मनोनयन :–**
- प्रत्येक बीट क्षेत्र के लिए एक कानि. को थानाधिकारी द्वारा बीट कानि. मनोनीत किया जाएगा। सामान्यतः कानि. की बीट नहीं बदली जाये।
- पुलिस थाने/चौकी पर उपलब्ध कानि. की संख्या, स्वीकृत नफरी से कम होने पर रिक्त पदों के भरने तक एक से अधिक बीट अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उपलब्ध कानि0 को आवंटित की जाएं।
- प्रत्येक बीट कानि. बीट के अतिरिक्त एक बीट का लिंक बीट कानि. मनोनीत किया जाये। लिंक बीट निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि लिंक बीट पड़ोसी बीट हो तथा इस तरह निर्धारित दो बीट की जोड़ी एक दूसरे की लिंक बीट होगी। इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि थाने के क्षेत्र को सम नम्बर की बीट में विभाजित किया जावें ताकि उसे बीट/लिंक बीट के जोड़ो में बांटा जा सके।
- चौकी पर पदस्थापित कानि. को चौकी क्षेत्र की ही बीट आवंटित की जाए एवं चौकी पर पदस्थापित कानि. को ही उसका लिंक कानि. मनोनीत किया जाए।
- बीट कानि. के अवकाश अथवा लम्बी ड्यूटी पर बाहर जाने के समय लिंक कानि. को बीट का अतिरिक्त कार्य देखने हेतु पाबन्द किया जाएगा व उसे अस्थाई तौर पर बीट बुक भी सम्भलाई जाकर रोजनामचा आम में रिपोर्ट अंकित की जाएगी जिस पर दोनों कानि. के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।
- बीट कानि. को सृदृढ करने के उद्देश्य से यह निर्धारित किया जाता है कि जब भी बीट कानि. अपने इलाके में जाता है तब लिंक बीट का बीट कानि. भी उसके साथ जावेगा। इस प्रकार अपने बीट के भ्रमण के दौरान सामान्यतः कानि. अकेला नहीं होगा तथा एक साथी उसके साथ रहेगा।
- बीट के भ्रमण एवं वहॉ की कार्रवाई में तो बीट कानि. एवं लिंक बीट कानि. एक दूसरे के पूरक होगें लेकिन अपनी बीट बुक के संधारण के लिए मात्र बीट कानि. स्वयं जिम्मेदार होगा। बीट बुक में बीट कानि. के अलावा अन्य कानि. की प्रविष्टियां तब ही होगी, जब बीट कानि. के लम्बी छुट्टी जाने पर अथवा अन्य कारण से लिंक बीट कानि. को दूसरी बीट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया हो।
- **बीट कानि. के कार्य एवं उत्तरदायित्व :–**
- बीट कानि. निर्धारित प्रारूप में बीट बुक संधारित करेगा।

- बीट कानि. द्वारा अपनी बीट के समस्त सम्मन, जमानती, गैर जमानती, स्थाई वारंट एवं वसूली वारंट की तामील करवायी जाये।
- बीट कानि. अपनी बीट क्षेत्र के भगौड़े, उद्घोषित अपराधी एवं अनुसंधानाधीन आपराधिक प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करेगा।
- पासपोर्ट, चरित्र व अन्य किसी प्रकार के सत्यापन तथा बीट क्षेत्र के निवासी अभियुक्तो व साक्षीगणों के नाम पते का सत्यापन बीट कानि. द्वारा ही किया जायेगा।
- बीट कानि. अन्वेषण हेतु साक्षियों, मौतबिरों तथा अभियुक्तों को उपस्थित कराने एवं अनुसंधान में अन्य सहयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
- बीट कानि. बीट स्तर की सी.एल.जी./ग्राम सभा/नगरपालिका बोर्ड की बैठक में यथा संभव उपस्थित होगा।
- बीट कानि. क्षेत्र के पटवारी/ग्राम सेवक व अन्य राज्यकर्मियों से निरन्तर सम्पर्क रखेगा।
- 107 द.प्र.सं. की जांच संबंधित बीट कानि. द्वारा की जाऐगी। संबंधित पक्षों एवं सी.एल.जी. सदस्यों की मौजूदगी में जांच की जाए ताकि सही निष्कर्ष निकल सके।
- बीट कानि. वृद्व व्यक्तियों जो अकेले या दम्पति के रूप में रहते हैं, से सम्पर्क रखेगा। बीट कानि. द्वारा ऐसा करने का उद्धेश्य वृद्व व्यक्तियों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना है।
- बीट कानि. अपने बीट क्षेत्र में स्थित आवासों का डोर टू डोर सर्वे उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर सर्वे के दौरान विभिन्न घरों एवं उनके मुखिया के संबंध में पूर्ण विवरण यथा वाहन का विवरण, आर्म्स अनुज्ञापत्र का विवरण, टेलीफोन नं., मोबाईल नम्बर, व्यवसाय, सदस्यों का विवरण, किरायेदारों एवं नोकरों का सत्यापन इत्यादि के बारे में पूर्ण सूचना अलग से रजिस्टर में संधारित करेगा। क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से आकर बसने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध होने की स्थिति में पर्चा '' बी'' भेजकर तस्दीक कराएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में बीट कानि. सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी बीट में लिंक बीट कानि. के साथ रात्रि विश्राम करेगा तथा एक बार लिंक बीट में वहां के बीट कानि. के साथ रात्रि विश्राम करेगा। मुख्यालय की बीट में पदस्थापित कानि. यथा संभव प्रतिदिन परन्तु सप्ताह में कम से कम तीन बार बीट का भ्रमण करेगा।
- **बीट प्रभारी का मनोनयन एवं उसके उत्तरदायित्व** :–
- बीट क्षेत्र के एक समूह (यथा संभव 3–4) पर एक बीट प्रभारी जो उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक /हैड कानि. स्तर का होगा, नियुक्त किया जाए। चौकी प्रभारी को उसके क्षेत्राधिकार की बीट समूह का ही प्रभारी नियुक्त किया जाये।

लिंक बीट कानि. की भाँति ही प्रत्येक बीट प्रभारी को भी एक अन्य बीट के समूहों का लिंक बीट प्रभारी मनोनीत किया जाये।

- बीट प्रभारी द्वारा स्वयं के अधीन समस्त बीट कानि. का पर्यवेक्षण एवं उन्हें मार्गदर्शन कर तथा सप्ताह में एक बार बीट बुक का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार अपनी टिप्पणी/सुझाव/निर्देश अंकित किये जायें।
- बीट क्षेत्र से संबंधित अभियोगों का अन्वेषण बीट प्रभारी अथवा थानाधिकारी द्वारा किया जाये। वृत्ताधिकारी की अनुमति से ही अनुसंधान अन्य अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किया जावें।
- **थानाधिकारी के उत्तरदायित्व :–**
- थानाधिकारी थाने/चौकी की स्वीकृत नफरी एवं क्षेत्र के अनुसार बीट वितरण करने के उपरांत उसकी प्रति जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त एवं वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त को प्रेषित की जाये।
- थानाधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त बीट कानि. का पर्यवेक्षण करें एवं प्रत्येक पखवाड़े में एक बार उनकी बीट बुक अवलोकन कर आवश्यकतानुसार टिप्पणी व सुझाव अंकित करें।

- थानाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह बीट कानि. की बीट बुक का अवलोकन कर व साक्षात्कार लेकर थाने के सर्वश्रेष्ठ बीट कानि. का चयन करें।
- थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अथवा किसी अन्य राजकार्य से जाते है तो संबंधित बीट कानि. को अपने साथ आवश्यक रूप से रखें।
- थानाधिकारी द्वारा कानि. का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उसके द्वारा बीट में सम्पादित कार्य के आधार पर व बीट बुक के अवलोकन के उपरांत ही किया जाए।
- जब किसी वी.आई.पी. का बीट क्षेत्र में दौरा हो तो उस बीट के कानि. एवं बीट प्रभारी को बंदोबस्त ड्यूटी में लगाया जावें।
- प्रत्येक बीट कानि. को प्रथम बार थानाधिकारी स्वयं पूर्व निर्धारित समय पर बीट में जाकर सभी नागरिकों की एक आम सभा में उसका परिचय बीट कानि. के रूप में करवायेगा जिसमें बीट के समस्त नागरिकों को बुलाया जावें। इस आम सभा में बीट कानि. का लोगों से परिचय करवाने के साथ ही एक 5–6 लोगों की बीट सीएलजी का भी गठन किया जाए जिसमें क्षेत्र के प्रभावशाली, सेवाभावी, बेदाग छवि वाले, पुलिस व नागरिकों का सेतु बनने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाए, एवं एक रजिस्टर संधारित किया जावें जिसमें प्रत्येक बीट सीएलजी की मीटिंग का ब्यौरा लिखा जावें जिसे थानाधिकारी समय–समय पर चैक करें एवं समस्याओं के समाधान के संबंध में अपनी टिप्पणी अंकित की जावें।

पर्यवेक्षण :–

- जब भी उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवश बीट क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है तो बीट कानि. को आवश्यक रूप से साथ रखा जाए।
- जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी/ सहायक पुलिस उपायुक्त थाने के भ्रमण के समय बीट प्रणाली को प्रभावी क्रियान्विति हेतु उपस्थिति कानि. से वार्ता करें उनकी बीट बुक का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी अंकित की जावें।
- बीट बुक में भरी जाने वाली प्रविष्टियों को क्रमवार थाने के कम्प्यूटर में भी समयबद्व कार्य{म के अनुसार भरा जावें। जिससे समस्त थाने की बीट की सूचना डिजिटल रूप में भी उपलब्ध हो जाये जिससे विश्लेषण व नीति निर्धारण में सहयोग मिल सके।
- जिले की अपराध शाखा में एक सैल बीट के संबंध में गठित किया जाए तो बीट प्रणाली के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करें।
- वृत्ताधिकारी अपने वृत्त क्षेत्र में प्रतिमाह रोस्टर के अनुसार प्रत्येक थाने की 6 बीट बुक का अवलोकन करके उनमें टिप्पणी अंकित करेगें, संबंधित अति. पुलिस अधीक्षक/ अति. पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा क्रमशः प्रत्येक थाने के चार एवं दो बीट कानि. की बीट बुक का प्रतिमाह अवलोकन करके उसमें टिप्पणी अंकित करेगें।
- **पुरस्कार एवं दण्ड :–**
- वृत्ताधिकारी द्वारा अपने वृत्त क्षेत्र के थानों के चयनित सर्वश्रेष्ठ बीट कानि. को प्रत्येक माह अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी बीट बुक का अवलोकन व साक्षात्कार कर वृत्त क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बीट कानि. का चयन किया जाये।
- पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा अपने जिले के सभी वृत्तों से चयनित सर्वश्रेष्ठ बीट कानि. को कार्यालय में बुलाकर उनकी बीट बुक के अवलोकन व साक्षात्कार के बाद जिले के लिए माह का सर्वश्रेष्ठ बीट कानि. का चयन करें। चयनित बीट कानि. की फोटो क्रमशः थाना, वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालय के बाहर निर्धारित स्थान पर लगाई जावें एवं उसे नगद पुरस्कार भी दिया जावें, जिससे बीट कानिस्टेबलों में अच्छे कार्य करने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हों।

- बीट कानि. द्वारा बीट में उत्कृष्ट कार्य करने पर उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए। पुलिस थानों व चौकियों पर पदस्थापन हेतु बीट कानि. द्वारा अपनी बीट क्षेत्र में की गई कार्रवाई को आधार बनाए जाए व उन्हें कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की जाए तथा पोलिसी के अनुरूप होने पर इच्छित स्थानों पर पदस्थापित करने पर विचार किया जाए।
- बीट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा कर विशेष पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।
- बीट क्षेत्र में कानि. का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं जब कभी भी किसी बीट क्षेत्र में बीट कानि./बीट प्रभारी की सूचना के बिना बीट क्षेत्र में सामाजिक अपराध यथा जुआ, सट्टा, शराब की बिक्री, देह व्यापार, मादक पदार्थो की बिक्री एवं छेड़छाड़ की घटनाओं से संबंधित अपराध घटित होने पर सीधी कार्रवाई उच्च अधिकारी स्तर पर की जाती है तो संबंधित बीट कानि./बीट प्रभारी के विरूद्व विपरित धारणा बनेगी तथा आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

कानून व्यवस्था बीट ;Law and order beat) :– थाना के कुछ विशेष क्षेत्र को जहां पर कानून व्यवस्था प्रभावित होने की प्रायः आशंका रहती है उसे कानून व्यवस्था बीट बनाई जाती है इस बीट पर बीट प्रभारी व बीट कांस्टेबल द्वारा विशेष निगरानी रखी जाती है तथा सूचनाएं संकलित की जाती है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से पहले ही उस पर नियंत्रण किया जा सके ऐसी बीट में पैदल गस्त भी की जाती है वहां पर फिक्स पिकेट भी लगाए जाते हैं तथा थाने की पीसीआर वाहन की भी उसके आसपास लोकेशन रखने की हिदायत दी जाती है ऐसी बीट पर थानाधिकारी स्वयं भी विशेष निगरानी रखते हैं तथा वहां अपने मुखबिर भी रखते हैं ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व की सूचना मिल जाए तथा उस पर समय रहते काबू पाया जा सके।

यातायात बीट (Traffic beat)) यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए संपूर्ण शहर या बड़े कस्बे को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है बड़े शहरों में यातायात बीट प्रभारी उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक होता है तथा छोटे कस्बों में यातायात बीट प्रभारी हेड कानी इस तरह का अधिकारी होता है इनके अधीनस्थ कान्नी व महिला कानीको लगाया जाता है

यातायात बीट में यातायात कर्मियों के कार्यः–

1. यातायात बीट में सुगम एवं सुरक्षित यातायात का संचालन करना।

2. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपलब्ध संसाधनों जैसे इंटरसेप्टर हाइवे मोबाइल की औचित्यपूर्ण तैनाती सुनिश्चित करमोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना।

3. आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने बाबत जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक स्कूल कॉलेज में यातायात नियमों का प्रशिक्षण पेंटिंग प्रतियोगिता एफएम रेडियो संदेश आदि संपादित करवाना।

4. सड़क दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटनाओं में पीडित व्यक्तियों की स्वेच्छिक वे सदभावपूर्वक आपात चिकित्सा या सहायता उपलब्ध करवाने वालों को अच्छा मददगार बनाने के लिए प्रेरित करना।

5. शहर कशबों बीट में पार्किंग की व्यवस्था करना।

6. वी वी आई पी वी आई पी वह आपातकालीन परिस्थितियों हेतु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

6. सड़क दुर्घटनाओं वह उनमें कारित होने वाली मौतों में कमी लाए जाने हेतु राज्य में कारित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं शतप्रतिशत आईआरएडी सिस्टम।

आपराधिक अभिलेख से अपराधों की रोकथाम :–

एक थानाधिकारी के मुख्यतः दो काम हैं, अन्य सभी काम इन्हीं दो की परिधि में आते हैं। पहला उसके क्षेत्र में कोई अपराध ना हो और दूसरा यह कि यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसका त्वरित गति से भण्डाफोड़ हो। यदि थानाधिकारी ने अपने थाने के आपराधिक रिकार्ड को बेहतर ढ़ग से संधारित कर रखा है तो वह अविलम्ब अपराधियों तक पहुंचकर अपराध की तह में जाया जा सकता है। थानाधिकारी हार्डकोर क्रिमिनल्स, हिस्ट्रीशीट आदतन अपराधी आदि की गतिविधियों की पहचान कर उन पर रोक लगाकर इलाके की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है एक थानाधिकारी को अपराध नियंत्रण के लिए निम्न प्रयास करके अपराधों की रोकथाम कर सकता हैः–

1. **गश्त की सुव्यवस्था :–** अपराध नियंत्रण करने के लिए अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना और आपराधिक अभिलेख के आधार पर पिछले वर्ष और पिछले महीनों में घटित अपराध का विश्लेषण कर गश्त की कारगर व्यवस्था करनी चाहिए। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और एक कुशल थानाधिकारी को व्यवसायिकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। समय–समय पर गश्त का अंकितक्षण भी करना चाहिए।
2. **सक्रिय अपराधियों पर कठोर निगरानी**:– सबसे पहले आपके क्षेत्र आस–पास के क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की पहचान करना एक आवश्यक काम है। थाने में उपलबध सक्रिय सूची का सत्यापन करें कि सूची में कितने अपराधी वास्तव में सक्रिय हैं । पीछे के कम से कम दस वर्ष के अपराधों की समीक्षा करके एक आधार तैयार किया जा सकता है । आसपास के थानों में सक्रिय अपराधियों की सूची बना लें एवं अपने थाना मुलाजमानो एवं चौकी मुलाजमानों को इसके बारे में अवगत करावें । इससे अपराधियों में इस बात का भय रहेगा कि वह निगरानी में है ।
3. आवारा संदिग्ध अपराधी तत्व के विरुद्ध धारा 109 के तहत कार्यवाही
4. अति सक्रिय और दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही । जो ज्ञात अति सक्रिय अपराधी है उनके विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए । ऐसे लोगों की पहचान कर छानबीन करें और उनके बारे में आसूचना एकत्र कर आपराधिक कदाचार के बारे में ,उनके उदण्ड आचरण के बारे में,समाज के कमजोर एवं शाति पसंद लोगों को धोंस एवं त्रास देने के बारे में रपट दर्ज करें । जब ऐसी सूचना प्रचुर हो जाये और यह मालूम पड़े कि उसका कदाचार लोक शान्ति को खूब प्रभावित कर रहा है तो इनके विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव अपने पुलिस उप अधीक्षक से प्राप्त करें। इसके बाद की कार्यवाही अपने स्तर पर होगी।
5. निजीतौर पर और सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से प्रत्येक गश्त क्षेत्र में जाकर स्थिति का विश्लेषण और उसी के अनुसार ठोस कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक बीट में घूम–घूम कर जन–सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे लोगों से मधुर सम्पर्क बनाने चाहिए और यह विश्वास कारित किया जाना चाहिए ।
7. खुफिया ढंग से आसूचनाऐं एकत्रित करने के लिए खुफिया तंत्र विकसित करना चाहिए।
8. अपराध मानचित्र के सारे अपराधों का विश्लेषण करके उनके अनुसार अपनी रणनीति बनानी चाहिए ।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंन्तर्गत थाने के रिकार्ड का अध्ययन करने पर जो व्यक्ति राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के दायरे में आयेगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंन्तर्गत धारा 2(ख) गुण्डा से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो –

1. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) अध्याय 17 (संपंत्ति के विरुद्ध अपराध) और अध्याय 22 (आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में अपराध) या धारा 290 से 294

भा.द.सं. का अपराध आदतन करता है, प्रयत्न करता है या उन्हें करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या

2. महिलाओं एवं कन्याओं में अनैतिक आचरण का दमन अधिनियम 1956 के अधीन दोष सिद्ध हो गया हो या
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
4. एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
5. राजस्थान लोक द्यूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
6. महिलाओं या कन्याओं के प्रति आदतन अभद्र टिप्पणी करता हुआ या उन्हें तंग करता हुआ पाया गया है या
7. हिंसा के कृत्य या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वाले लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त पाया गया है या
8. दंगा या शान्तिभंग, बलवा करने का आदी है बल पूर्वक चन्दा एकत्रित करने या स्वयं के लिए या अन्यों के लिए गैर कानूनी आर्थिक लाभ हेतु लोगों को डराने का अभ्यस्त है या जो व्यक्तियों या सम्पत्तितयों को चेतावनी देवे खतरा पैदा करने का या नुकसान करने का अभ्यस्त है।

धारा 3 :– गुण्डों का निष्कासन जहां जिला दण्डनायक इससे सन्तुष्ट होने पर कि उपधारा एक में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं जब तक कि ऐसी अवधि जो छह माह से अधिक की नहीं होगी तथा जिसका आदेश में उल्लेख किया जावेगा समाप्त न हो जावे लिखित आदेश द्वारा उसे जिले या जिले के किसी भाग से निष्कासन अवधि जो छह माह से अधिक नहीं होगी निदेश देगा कि स्वयं को उस अवधि के लिए प्रवेश करने से रोके। विहित तरीके से स्वयं की उपस्थिति की सूचना निर्दिष्ट व्यक्ति को देगा। किसी भी ऐसी वस्तु का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जावे उपयोग में लेने से मना करेगा। ऐसे तरीके से जो विनिर्दिष्ट किया जावे या अन्य प्रकार से स्वयं का आचरण करने के लिए उससे कहेगा।

थाना क्षेत्र में नकबजनी एवं वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निम्न कदम उठाएंगें –

(अ) थाना स्तर पर किए जाने वाले प्रयास–

2. अपराधों के घटित होने के स्थान को व समय को चिन्हित कर उस क्षेत्र व समय का चयन जहां पर सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं। उस स्थान पर आने–जाने के रास्ते और अपराधी द्वारा अपने आप को छुपाने की संभावित जगह की तलाश।
3. सम्पत्ति संबंधी अपराधों में तारीख पेशी पर आने वाले अभियुक्तों उनके ठहरने के स्थान और उनसे मिलने वाले व्यक्तियों की निगरानी।
4. सम्पत्ति संबंधी अपराधों के सजायब व्यक्तियों की सूची व उनकी वर्तमान गतिविधियों व निवास स्थान की जानकारी।
5. उनके मोबाईल नम्बर मालूम कर उनकी लोकेशन व अपराध के समय स्थान की तुलना।
6. बीट सिस्टम द्वारा बीट में आने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति का चरित्र सत्यापन।
7. चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों की निगरानी।
8. रात्री में व प्रातः जाने वाली बसों वाहनों की जांच संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी।
9. होटल धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जांच जो नियमित अन्तराल पर बार–बार आकर ठहरते हैं।
10. ऐसे व्यक्तियों की सूची जो थाना क्षेत्र में रहते हों और अचानक धनवान बन गए हों उनकी आय के स्रोत की जानकारी।
11. आटो ड्राईवर, टेक्सी ड्राईवर आदि से संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी के प्रयास।
12. हॉकर, फेरीवालों, ठेलेवालों, रिक्शा चालकों की जांच व निगरानी।
13. वाहन चोरी के संभावित स्थान पर सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति।
14. यदि संभव हो सके तो क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाने का प्रयास करना चाहिए।

(ब) जनता के सहयोग से किए जाने वाले कार्य –

1. सजग पड़ौसी योजना को प्रोत्साहन।
2. सीक्योरिटी सिस्टम अपनाए जाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. जनता को सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहन।
4. चौकीदार की नियुक्ति ।

आपराधिक आसुचना (Criminal intelligence)

क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स– आपराधिक सूचना संकलन :–

किसी भी अपराध नियंत्रण व अनुसंधान में आपराधिक सूचना संकलन का बडा ही महत्व है। पुलिस की सफलता व असफलता काफी हद तक सूचना संकलन पर निर्भर करती है। सूचना संकलन के माध्यम से अपराधियों तक पहुँचने में कामयाबी मिलती है। आपराधिक सूचना संकलन दो प्रकार से की जाती है जो इस प्रकार है–

1–अपराध होने से पूर्व 2– अपराध होने के पश्चात् ।

1–अपराध होने से पूर्व– यदि अपराध होने से पूर्व ही सूचना संकलन हो जाये तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध पूर्व सूचना संकलन हेतु पुलिस कर्मी को अपनी बीट क्षेत्र व पुलिस थाना क्षेत्र में विश्वसनीय लोगो से अच्छा सम्बंध रखना चाहिये व उन्हे अपराध से पूर्व सूचना देने के लिए प्रेरित करना चाहिये ।अपनी बीट में गॉव के मुखिया , चौकीदार , पंच –सरपंच व ग्राम सेवक आदि से सम्पर्क कायम रख कर अपराध पूर्व सूचना प्राप्त करनी चाहिये । ये लोग कानूनन रूप से भी बाध्य है। अपराध पूर्व सूचना संकलन से किसी के पास अपराधियो के आने –जाने का, चोरी के माल लेने देने वालो का, प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौत का पता चलना या किसी व्यक्ति द्वारा अवैध शराब ,नशीले पदार्थ या अन्य कोई अपराध किये जाने की सूचना मिले तो ऐसी सूचना तुरन्त थानाधिकारी को देनी चाहिये।

2.अपराध होने के पश्चात् –अपराध होने के पश्चात् पुलिस को निम्नलिखित से आपराधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं:–

1 पीड़ित व्यक्ति से
2 घटना स्थल से
3 चश्मदीद गवाह से
4 राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से
5 तरीका वारदात ब्यूरो से
6 पुलिस थाना के रिकार्ड से
7 मुखबिर से

आसूचना संकलन के उद्देश्य निम्न हैं– आसूचना संकलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित में शासन में चलने वाली गतिविधियों की जानकारी एवं वर्तमान में क्या घट रहा है और आगे क्या घटने वाला है आदि का पता करना है जिससे समय रहते सभी स्थितियों से आसानी से निपटा जा सके।

1. राष्ट्र को होने वाले बाहरी एवं आंतरिक खतरों तथा धमकियों का पता लगाना।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय सम्पदा, तकनीकी ज्ञान आदि की सुरक्षा करना।
3. दुश्मन के एजेन्ट की पहचान।
4. अपराधियों की पहचान, अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को पकड़ने आदि में सहयोग लेना।

आपराधिक आसूचना, का महत्व :–

– आपराधिक सूचना वर्तमान में बढ़ते औद्योगिक एवं आर्थिक विकास ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मध्य तथा धनी व गरीब के मध्य अन्तर ने सामाजिक तनाव को बढ़ाकर शांति, सुव्यवस्था और अपराध सम्बन्धी नई समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान, अभियोजन यह सभी कार्य तभी सफलतापूर्वक किये जा सकते हैं जबकि हमारे पास अपराध और अपराधियों के बारे में सम्पूर्ण सूचनाऐं पूर्व में ही उपलबध

हों। इनके बारे में सम्पूर्ण सूचनाऐं एकत्रित करने हेतु हमारे पास एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पुलिस वांछित सूचनाऐं समय से पूर्व एकत्र कर सके।

आपराधिक सूचनाऐं निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती हैं:–

1. अभिलेख (Record)
2. व्यक्तिगत अनुभव व प्रेषण (Personal experience and observation)
3. अन्य स्रोत (Other Sourcè)

आपराधिक आसूचना संकलन के साधन (Methods)

पुलिस विभाग के अभिलेख निम्न प्रकार से हैं :–

(ए) दिल्ली अनुसंधान विभाग (CBI) में संगठित एवं विशेष किस्म के अपराधों का विशद् अभिलेख रख जाता है।

(बी) कलकता स्थित केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो से अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों की पहचान की जा सकती है।

(सी) क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन बुलेटिन और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स राज पत्र जैसी पत्रिकाओं द्वारा (CBI Bulletin Intelligence Gazette)

(डी) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन भी महत्वपूर्ण अपराधियों के विस्तृत विवरण समय–समय पर विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करता रहता है।

पुलिस स्टेशन के अभिलेख :– पुलिस थाना स्टेशन में रखे जाने वाले निम्न अभिलेखों से भी आपराधिक सूचनाऐं एकत्र की जा सकती हैं :–

- थानाधिकारी का गुप्त विवरण रजिस्टर।
- ग्राम अपराध रजिस्टर।
- गुण्डों, दलालों व क्रियाशील अपराधियों की सूची।
- बीट सम्बन्धी सूचना रजिस्टर।
- राजनीतिक सभा, जुलूस मेलों व उत्सवों का रजिस्टर।
- इतिहास पंजिकाऐं
- विभिन्न प्रकार के लाईसेंसधारियों का रजिस्टर।
- अभियुक्त रजिस्टर।
- नर्तकियों व वैश्याओं आदि की सूची।
- भगोड़ों व भूमिगत हो गये व्यक्तियों की सूची।
- अभिरक्षण का रजिस्टर।

अन्य विभागों के अभिलेख निम्न प्रकार से हैं :– पुलिस विभाग के अलावा अन्य ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा अपराध व अपराधियों की सूचना एकत्र की जा सकती है जैसे :–

- जेल विभाग के अभिलेख।
- आबकारी एवं अफीम विभाग के अभिलेख।
- होटलों, सरायों के अभिलेख।
- अस्पताल, अनाथालय व शिशुपालन केन्द्रों के अभिलेख।
- शिक्षण संस्थानों के अभिलेख।
- रुपया उधार देने व वस्तुओं को गिरवी रखने वालों का रिकार्ड।
- धोबी, ड्राईक्लीनर्स एवं दर्जी आदि के अभिलेख।
- मनोरंजन केन्द्रों के अभिलेख।
- कसाईखाने आदि के द्वारा।
- हथियारों व अन्य उपकरणों को रिपेयरिंग करने वालों से।
- दैनिक एवं सामयिक पत्र पत्रिकाऐं मिलती हैं, उनके माध्यम से।

- एस.टी.डी. बूथों के अभिलेख।
- साईबर कैफे का रिकॉर्ड।
- इन्टरनेट ऑपरेटिंग केन्द्रों से।
- व्यक्तिगत अनुभव व प्रेक्षण द्वारा
- एक पुलिस अधिकारी कानून, नियम, राजकीय आदेश एवं विभागीय आदेशों की उचित व सही जानकारी रखना, अपराधों की रोकथाम में सहायक होता है।
- पुलिस अधिकारी का व्यक्तिगत अनुभव एवं प्रेक्षण भी अपराध की जानकारी में बहुत उपयोगी होता है। पुलिस अधिकारी का प्रेक्षण बहुत पैना होना चाहिए। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु एवं बात उसकी नजर से घटनास्थल व अपराधों के बारे में छुपी हुयी नहीं रहनी चाहिए।

अन्य स्रोत उपरोक्त वर्णित माध्यमों के अलावा कुछ अन्य साधन भी हैं जिनसे अपराधिक सूचनाऐं एकत्रित की जा सकती हैं जैसेः–

- ग्राम पंचायत द्वारा
- स्वर्णकार, लुहार और सामान गिरवी रखने वालों द्वारा।
- दुकानदारों से।
- मेडिकल स्टोर्स व नशीले पदार्थों के विक्रेताओं से।
- नर्तकियों, गायक–गायिकाओं, अभिनेताओं व अन्य मनोरंजन केन्द्रों से।
- ज्योतिष, पुजारी, पण्डे, मुल्ला मौलवी, पादरी और आर्य समाज के कर्मचारियों से।
- अनाथ आश्रम व विधवा आश्रम के कर्मचारियों से।
- डॉक्टर, हकीम, वैद्य, कम्पाउण्डर, नाई व नर्स द्वारा।
- चुंगी नाकों व कांजी हाउस के कर्मचारियों से।
- टेलीफोन एक्सचेन्ज के कर्मचारियों से, सेवानिवृत कर्मचारियों से।
- घर के अन्दर पहुँचने वाले नौकर व काम करने वालों से।
- समाचार पत्रों के संवाददाता, प्रतिनिधी, विक्रेता, आदि से।
- सम्पादक व वितरण आदि से, अपराधियों के संगी साथियों से।
- साधु, संन्यासी, भीखमंगों व अपाहिज द्वारा।
- जेल में बन्द अपराधी व कर्मचारियों से।

क्राइम मैपिंगः– कानून प्रवर्तन एजेंसियों में विश्लेषकों द्वारा अपराध मान चित्रण का उपयोग घटना के पेट्रन का नक्शा बनाने कल्पना करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ये अपराध विश्लेषण और कॉम्प स्टेट पॉलिसिंग रणनीति का एक प्रमुख घटक है भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए अपराध का मान चित्रण अपराध विश्लेषकों को अन्य प्रवृतियों और पैटर्न के साथ साथ अपराध की हॉट स्पॉट की पहचान करने सहायता करता है इस प्रकार क्राइम मैपिंग से अपराधों का विश्लेषण करें उन पर रोक लगाने में काफी सहायता मीलती है।

निगरानी a (Surveillance)%– निगरानी का अर्थ है पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति की गतिविधियो ं व क्रियाकलापों के बारे में गुप्त सूचानाए एकत्र करना । जिनका आचरण गलत / अवैध हो या जिनको चेतावनी देकर न्यायालय ने छोड दिया हो उनकी जासूसी करना निगरानी कहलाता है। निगरानी का उदेश्य किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना नहीं है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम करना नही है ं। बल्कि केवल उस पर निगाह रखना है । निगरानी (अभिरक्षण)भी अपराध की रेाकथाम करने का महत्वपूर्ण एवं स्वयसिद्व तरीका है ं । इस संबंध में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.5,4.6,4.7 के अधीन बताया गया है ।

__आपराधिक सूचना प्रणाली और अंतर्राज्यीय अपराध समन्वय (Criminal information system and coordination in inter state crime) :– अपराधिक सूचना प्रणाली अपराध नियंत्रण रणनीतियां तैयार करने में जांचकर्ता और पर्यवेक्षण अधिकारियों तथा पुलिस योजना करता अधिकारियों की सहायता करने के लिए जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और अपराधियों के संबंध में साझा किए जाने वाले डाटाबेस की राष्ट्रीय परियोजना है इससे पूरे देश में किसी भी राज्य से आपराधिक सूचनाओं को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है तथा देश के किसी भी राज्य से समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है

मॉड्यूल – सी
निगरानी एवं आसूचना
Surveillance – purpose & objects
निगरानी – प्रयोजन और उद्देश्य

निगरानी(Surveillance) निगरानी का अर्थ है पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति की गतिविधियो ं व क्रियाकलापों के बारे में गुप्त सूचानाए एकत्र करना । जिनका आचरण गलत / अवैध हो या जिनको चेतावनी देकर न्यायालय ने छोड दिया हो उनकी जासूसी करना निगरानी कहलाता है। निगरानी का उदेश्य किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना नहीं है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम करना नही है ं। बल्कि केवल उस पर निगाह रखना है । निगरानी (अभिरक्षण)भी अपराध की रेाकथाम करने का महत्वपूर्ण एवं स्वयसिद्व तरीका है ं । इस संबंध में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.5,4.6,4.7 के अधीन बताया गया है ।

प्रयोजन और उद्देश्य

- अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु।
- किसी व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्रित करने में।
- हमारे पास जो सूचना है उसे वेरीफाई करने में।
- संदिग्ध के संपर्कों व सहयोगियों के बारे में जानकारी।
- संदिग्ध के Hide Out के बारे में।
- संदिग्ध के Working Days के बारे में।
- संदिग्ध के वास्तविकता के बारे में भुलावा देने वाले स्थानों के बारे में।
- संदिग्ध की आर्थिक सहायता करने वाले के बारे में।
- संदिग्ध की आदतों के बारे में जानकारी हेतु।
- संदिग्ध के कार्यक्षेत्र की जानकारी हेतु।
- संदिग्ध के कम्यूनिकेशन सिस्टम के बारे में जानने हेतु।
- संदिग्ध का सामाजिक सर्किल किस प्रकार का है कि जानकारी हेतु।
- संदिग्ध के आने –जाने के रूट (रास्तों) के बारे में जानने हेतु।
- संदिग्ध किसी व्यापार (धन्धा) में किसके साथ सम्मलित है के बारे में जानने हेतु।

सामान्यतः निगरानीकर्ता में निम्नलिखित गुण होने चाहिये–

- सामान्य स्वास्थ्य का हो।
- कवर एवं एलीबी का पूर्ण ज्ञान हो।
- वेशभूषा सामान्य होनी चाहिये।
- क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार घुल मिलने वाला होना चाहिये।
- अच्छा ओबर्जवर होना चाहिये।
- अच्छी याददास्त वाला हो।
- सतर्क एवं चुस्त होना चाहिये।
- स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिये।
- तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिये।
- निगरानी के उद्देश्य एवं क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान हो।

निगरानी करते वक्त निगरानीकर्ता के पास निम्न प्रकार का सामान अवश्य होना चाहिये जिससे वह एक्सपोज (प्रगट) ना हो सकें।

- कागज और पैन।

- पर्याप्त मात्रा में छोटे नोट एवं सिक्के।
- स्वयं की शौक की वस्तुयें।
- आरामदायक जूते।
- घड़ी।
- टार्च।
- आईडेन्टी कार्ड लाईसेन्स आदि नहीं होने चाहिये।

निगरानी करते समय सावधानी हेतु निम्नलिखित बाते ध्यान में रखनी चाहिएः–

- इससे संदिग्ध कहाँ कहाँ जाता है किससे मिलता है और क्या–क्या activities करता है,देखा जाता है।
- इसके लिये उसके पास 5 व्यक्ति होने चाहिये जिससे निगरानी सही रूप से हो सके।
- संदिग्ध व वाचर की दूरी क्षेत्र की भीड़ के अनुसार होनी चाहिये।
- वाचर्स समय–समय पर अपना स्थान बदलते रहेंगे जिससे संदेह नहीं हो, एक ही व्यक्ति पीछा नहीं करेगा।
- क्षेत्र की जानकारी एवं लैंड मार्क्स का ज्ञान होना चाहिए।
- टीम के प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका की जानकारी होनी चाहिए।
- सम्पेषण सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
- क्षेत्र के यातायात की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए।
- कवर सामान्य एवं परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए।
- गतिशील निगरानी मेंअन्धे मोड़ , चौक पॉईन्ट्स एवं कार्नर टर्न पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।
- एक्सपोज हो जाने पर निगरानी से तुरन्त हठ जाना चाहिये।
- निगरानी टीम की एक कमाण्ड पोस्ट होनी चाहिए।

Techniques of surveillance ;निगरानी की तकनीक

निगरानी के प्रकारः– मुख्यतः निगरानी को तीन भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैः–

(अ) स्थिर निगरानी (Static Surveillance)

(ब) गतिशील निगरानी;Mobile Surveillance)

गतिशील निगरानी भी तीन प्रकार से की जाती है–

1. पैदल
2. वाहन द्वारा
3. पैदल एवं वाहन दोनों

स्थिर निगरानीः– स्थिर निगरानी उस स्थान की जाती है जहां टारगेट रहता है। या ज्यादा समय बिताता है। वह स्थान टारगेट का कार्यस्थल निवास स्थान हो सकता है।

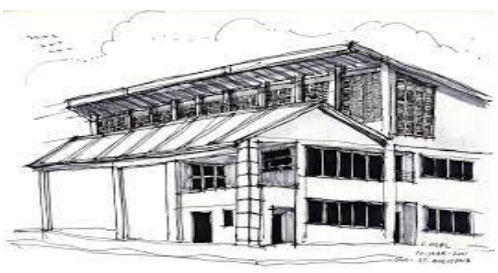

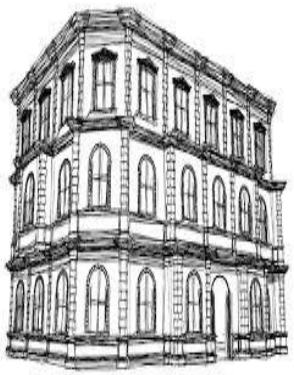

चित्रः—1 **टार्गेट हाउस** **निगरानीहाउस**

चित्र नं. 1 में दर्शाये गये भवनों के अनुसार टार्गेट हाउस से निगरानी हाउस ज्यादा ऊँचाई पर होना चाहिये। जैसा निगरानी हाउस की तीन मंजिल हैं उनमें से तीसरी मंजिल से टार्गेट हाउस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। प्रशिक्षण संस्थान के भवनों में से उपरोक्त चित्रानुसार दो भवन चुनकर स्थिर निगरानी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कार्यस्थल पर निगरानीः—

चित्र नं. 2

संदिग्ध के कार्यस्थल पर निगरानी के लिये कोई भी कवर जैसे— चाय की थड़ी, बूट पॉलिस वाला और फलों का ठेला लगाकर संदिग्ध की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कार्यालय के सामने ही उपरोक्त चित्रानुसार कृत्रिम रूप से सीन बनाया जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

गतिशील निगरानी मुख्यतः पैदल, वाहन द्वारा या दोनों रूप में की जाती है क्योंकि जिस प्रकार संदिग्ध मूव करेगा उसी के अनुसार निगरानी लगाई जाती है।

पैदल निगरानी—

चित्र नं. 1

चित्र नं. 2

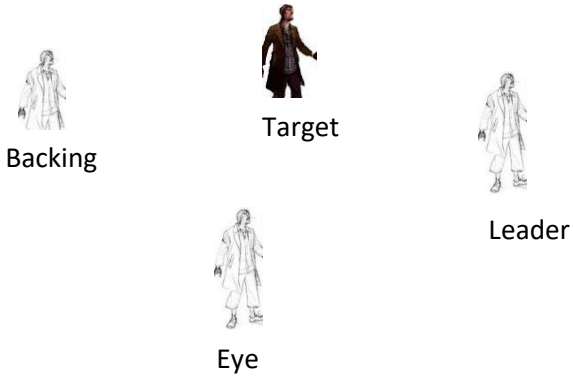

चित्र नं. 3

पैदल निगरानी उपरोक्त चित्रों के अनुसार सम्पादित की जाती है। परिस्थिति के अनुसार मुख्य निगरानी कर्ता (आई) हमेशा टार्गेट पर नजर रखता है। लीडर का काम टीम को कमांड करना है। बैकिंग हमेशा सहायक ड्यूटी में रहता है। टार्गेट की गतिविधियों के अनुसार टीम के सभी सदस्य आवश्यकतानुसार अपने स्थान भी बदलते रहते हैं। पैदल निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों में से एक को टार्गेट एवं तीन अन्य की टीम चुनी जाकर सड़क पर भीड़ में शामिल कर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

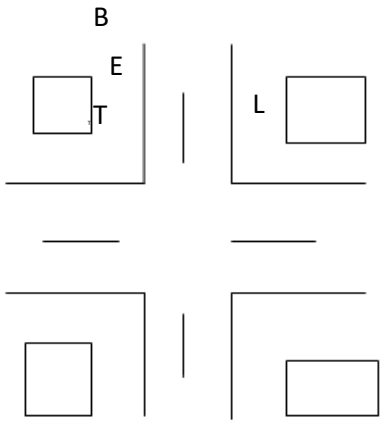

चित्रः बी

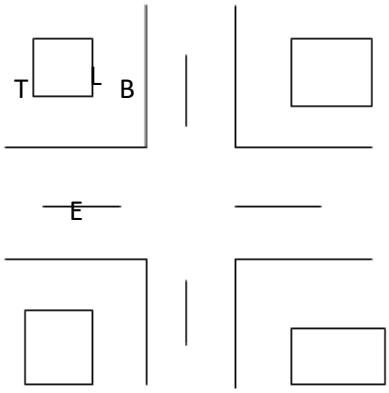

चित्रः ए

नोटः– पैदल निगरानी में उपरोक्त चित्र ए एवं बी के अनुसार टीम के सदस्य परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं।

वाहन निगरानीः– वाहन निगरानी में कम से कम तीन वाहन होने चाहिये यदि उपलब्ध हों तो चौथा वाहन भी आपात स्थिति होना चाहिये।

नोटः– उपरोक्त चित्रानुसार वाहन लगाये जाकर टार्गेट की निगरानी की जाती है। जैसा कि पैदल निगरानी में टीम के सदस्यों द्वारा समय–समय पर स्थिति के अनुसार स्थान बदलेजाते हैं उसी प्रकार से वाहन निगरानी में भी वाहनों के स्थान बदले जा सकते हैं। वाहन की निगरानी के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपलब्ध वाहनों के द्वारा फोरमेशन किया जाकर निगरानी का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सकता है।

निगरानी करते वक्त वाचर्स को एक्सपोज होने से बचने के लिये निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- हाथ में कोई विशेष वस्तु रखकर महत्वपूर्ण ना बने।
- रंगीन व आकर्षक कपड़ें ना पहनें।
- विशेष प्रकार का इत्र या डियो नहीं यूज करे।

- संदिग्ध की आंखों में नहीं देखें।
- संदिग्ध की विशेष क्रिया पर प्रतिक्रिया ना करें।
- अगर एक्सपोज हो जावे तो तुरन्त निगरानी बन्द करें।
- संदिग्ध चलते–चलते अचानक रुक जावे तो वाचर को नहीं रुकना चाहिये।
- संदिग्ध जब किसी संकरे रास्ते से गुजरे तो वाचर उसे गौर से ना देखे और उसे दिखाई देने वाले इशारे भी ना करे।
- संदिग्ध कभी–कभी वाचर का पीछा कर उसका कवर जानने की कोशिश कर सकता है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधियों की निगरानी व आसूचना द्वारा रोक लगाना (Surveillance and intelligence for check on property_offenders) :– सम्पति सम्बन्धी अपराधियों की निगरानी करके सम्पति सम्बन्धी अपराधियों को पकड़ा जा सकता है तथा अपराधियों के पकड़े जाने पर अपराधों में कमी आ जाती है तथा रोक लग जाती है। अपराधियों की निगरानी दो तरह से की जा सकती है।

1. पैदल
2. वाहन द्वारा

निगरानी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये–

1. हमेशा सादे कपड़ो मे पीछा किया जाये तथा इस दौरान पुलिस अधिकारी का संकेत नही देना चाहिये।
2. अपराधी की फोटो या हुलिये आदि से पहले ही पहचान पक्का कर लेनी चाहिए। ताकि सही व्यक्ति का पीछा किया जा सके।
3. निगरानी करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति लगाने चाहिए तथा उन लोगों की कौनसी विशेष हरकत पर निगरानी रखनी है पहले ही ब्रीफ कर देनी चाहिए।
4. पीछा करने वाले व्यक्ति का हुलिया ध्यान आकृष्ट करने वाला नही होना चाहिए।
5. निगरानी कर्त्ता के कपड़े साधारण व चलन के अनुसार होने चाहिए।
6. संचार उपकरण जैसे वायरलैस सेट आदि पास रखने चाहिए ताकि अधिकारियों से सर्म्पक स्थापित किया जा सके।
7. ऐसी कोई हरकत नही करनी चाहिए जिससे दुसरे का ध्यान आकर्षित हो।
8. अपराधी से परिस्थिति के अनुसार उचित दुरी बनाये रखनी चाहिए नजरे नहीं मिलानी चाहिए।

वाहन द्वारा निगरानीः–

1. वाहन का रंग व बनावट ज्यादा आकर्षक ना हो।
2. वाहन में कम से कम दो व्यक्ति हो। ड्राईवर अपना ध्यान वाहन चलाने में रखे तथा दुसरा व्यक्ति अपराधी या उसके वाहन पर नजर रखे।
3. अपराधी के वाहन व निगरानी कर्त्ता के वाहन के बीच में दो तीन वाहन आने देने चाहिए।
4. सड़क के मोड़ आदि पर निगरानी कर्त्ता वाहन को रोककर पैदल जायजा ले व उसके बाद पीछा करें।

निगरानी और असामाजिक तत्वों की रोकथाम
(Surveillance & check on anti-social elements)

असामाजिक तत्वों की निगरानी करके असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा सकता है तथा असामाजिक तत्वों के पकड़े जाने पर अपराधों में कमी आ जाती है तथा रोक लग जाती है। असामाजिक तत्वों की निगरानी दो तरह से की जा सकती है।

3. पैदल
4. वाहन द्वारा

निगरानी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये–

9. हमेशा सादे कपड़ो मे पीछा किया जाये तथा इस दौरान पुलिस अधिकारी का संकेत नही देना चाहिये।
10. अपराधी की फोटो या हुलिये आदि से पहले ही पहचान पक्का कर लेनी चाहिए। ताकि सही व्यक्ति का पीछा किया जा सके।
11. निगरानी करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति लगाने चाहिए तथा उन लोगों की कौनसी विशेष हरकत पर निगरानी रखनी है पहले ही ब्रीफ कर देनी चाहिए।
12. पीछा करने वाले व्यक्ति का हुलिया ध्यान आकृष्ट करने वाला नही होना चाहिए।
13. निगरानी कर्त्ता के कपड़े साधारण व चलन के अनुसार होने चाहिए।
14. संचार उपकरण जैसे वायरलैस सेट आदि पास रखने चाहिए ताकि अधिकारियों से सर्म्पक स्थापित किया जा सके।
15. ऐसी कोई हरकत नही करनी चाहिए जिससे दुसरे का ध्यान आकर्षित हो।
16. अपराधी से परिस्थिति के अनुसार उचित दुरी बनाये रखनी चाहिए नजरे नहीं मिलानी चाहिए।

वाहन द्वारा निगरानीः–

5. वाहन का रंग व बनावट ज्यादा आकर्षक ना हो।
6. वाहन में कम से कम दो व्यक्ति हो। ड्राईवर अपना ध्यान वाहन चलाने में रखे तथा दुसरा व्यक्ति अपराधी या उसके वाहन पर नजर रखे।
7. अपराधी के वाहन व निगरानी कर्त्ता के वाहन के बीच में दो तीन वाहन आने देने चाहिए।
8. सड़क के मोड़ आदि पर निगरानी कर्त्ता वाहन को रोककर पैदल जायजा ले व उसके बाद पीछा करें।

संदिग्ध व विदेशियों की निगरानी (Surveillance on suspects & foreigners) साधारणतया निगरानी का अर्थ व्यक्ति का गुप्त रूप से पीछा करना या अन्य शब्दों में उसकी जासूसी करने से लगाया जाता है लेकिन निगरानी से तात्पर्य पुलिस द्वारा गुप्त रूप से की गई उस कार्यवाही से है जो उन व्यक्तियों जिनका आचरण संदिग्ध होता है की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए की जाती है, व्यक्ति के अलावा पुलिस किसी मकान, स्थान, तम्बू, जलयान या वाहन की भी निगरानी करती है। निगरानी राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.4 के आधार पर रखी जाती है।

निम्न व्यक्तियों की निगरानी रखी जाती है –

1. वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा चुकी है और वे उद्घोषित अपराधी हो।
2. वे व्यक्ति जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अनुसार पाबन्द किए गए हों।
3. वे व्यक्ति जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अनुसार शर्तिया रिहाई कैदी हो लेकिन सजा पूरी नहीं हुई हो।
4. वे व्यक्ति जिन्हें राज0 आदतन अपराधी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पाबन्द किया गया हो।

5. वे व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.22 के अन्तर्गत वर्जित अपराधों में दो या दो से अधिक बार सजा काट चुके हों।
6. वे व्यक्ति जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109,110 के अधीन पाबन्द किए गए हों।
7. वे सभी व्यक्ति जो सजा पूरी करने से पहले जेल अधिनियम व छूट नियमों के अधीन बिना शर्त रिहा किए गए हों।
8. सिक्यूरिटी सस्पैक्टस्
9. उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी
10. जासूसी में लिप्त व्यक्तियों
11. असामाजिक तत्वों
12. राष्ट्रविरोधी तत्वों
13. भूमाफियाओं व तस्करों पर
14. थाना निगरानी रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों पर
15. संगठित अपराधियों पर
16. नारको ड्रग्स सप्लायर पर
17. मानव तस्करी करने वालों पर
18. संदिग्ध स्थलों जैसे डांस बार, क्लबों, वैश्यालयों आदि पर।
19. संदिग्ध, उग्रवादी या असमाजिक तत्व जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे अभ्यासिक अपराधी हैं, या चुराई गई सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले हैं चाहे उन्हें दोषारोपित किया गया हो या नहीं, पर निगरानी रखी जाएगी।

विदेशी व्यक्तियों व संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी :–

एक आसूचना अधिकारी होने के नाते आपका दायित्व है कि थानों पर समय–समय पर आपके क्षैत्र में आने वाले विदेशी व पाक नागरिकों की सूचना दी जाती, निगरानी हेतु कहा जाता है, तो आप विदेशी नागरिकों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट व वीजा की वैधता को जांचे कि वे जाली तो नहीं, गलत तो नहीं आने वाला नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तो नही। उसके ठहरने वाले स्थान पर संबंधित होटल, घर के मालिक से उसकी गतिविधियों के विषय में जाने, कुछ भी गैरकानूनी लगने पर संबंधित एफ0आर0ओ0 व अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें। उनके रजिस्ट्रेशन परमिट चैक करे।

टूरिस्ट वीजा पर आये फोरेनर की सी फार्म की एन्ट्री होटल में चैक करे। कहीं विदेशियों को आपके क्षेत्राधिकार में रहते असुविधाओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है या वे आपसे कोई सहायता चाहते है तो उनकी मदद कीजिये ताकि विदेशों में भारतीय पुलिस और आम नागरिक की छवि सुधरे। उन्हे सुरक्षात्मक माहौल का एहसास हो। हमारे देश के पर्यटन का विकास हो।

द रजिस्ट्रेशन ऑफ फोरेनर 1992 नियम– 14 के तहत सी फार्म का प्रावधान, रूल्स 7 के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, रूल्स 9 में प्रूफ ऑफ आईडेन्टी पेश करने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट व अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस में हैड कानि0 से नीचे की रेंक का ना हो। विदेशी व्यक्ति के दस्तावेज चैक कर सकता है। जो विदेशी कानून के विरूद्व कोई कार्य करेगा, उसकों 3 माह के लिये जेल हो सकती है।

पासपोर्ट एक्ट 1920 के नियम– 4 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की रेंक का न हो या कस्टम डिपार्टमेन्ट का कोई अधिकारी जो केन्द्र सरकार से अधिकृत हो, बिना वारन्ट के किसी भी व्यक्ति या विदेशी नागरिक की संदिग्ध गतिविधियों, गलत दस्तावेज होने के उचित कारण के साथ गिरफ्तार कर सकता है।

जो भी व्यक्तिइन सेक्शन के तहत गिरफ्तार करेगा, वो तुरन्त बिना किसी देरी के, उस व्यक्ति को उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त पेश करेगा, या पास के पुलिस स्टेशन में ले जायेगा। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को सजा के अन्तर्गत 3 माह के लिये जेल भेजाजा सकता है।

_निगरानी उपकरणों का परिचय (Surveillance equipment-an troduction) :–

क्र. सं.	उपकरण का नाम	कार्य विवरण	फोटो
01	**पोर्टेबल लॉगर**	मोबाईल फोन व बैसिक फोन का इन्टरसेप्शन करने के लिए इस डिवाईस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 8–16 लाईने एक साथ प्रयोग की जा सकती है।	
02	**आर एफ ट्रांसमीटर**	यह रेडियों फ्रीक्वेंसी भेजने ओर प्राप्त करने का कार्य करता है।	
03	**जीपीआरएस (बग)**	किसी मीटिंग स्थल में आडियों सिस्टम लगाकर किसी अन्य स्थान पर बैठकर वहां की सारी बाते सुन सकते है, एवं रिकार्ड कर सकते है।	

04	**जीपीएस लोकेटर**	इस डिवाईस की मदद से किसी भी लोकेशन को जान सकते है। यह एक **globl navigation satellite system** इसकी मदद से दूरी का पता लगाया जाता है	
05	**मोबाईल जैमर**	यह मोबाईल नेटवर्क का WIFI ROUTER की तरह दिखने वाला डिवाईस होता है। इस डिवाइस की मदद से मोबाइल नेटवर्क को जैमर के माध्यम से सिग्नल प्राप्त करने को रोका जा सकता है।	
06	**हिडन कैमरा**	यह डिवाईस किसी स्थान पर छुपा कर लगाया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की गतिविधियों की जानकारी हेतु उपयोग में लाया जाता है।	

आसूचना संकलन :– ट्रेड क्राफ्ट चार्ट

Methods of intelligence	Trade craft	Agent Running
Secret Enquiry	Surveillance	Interrogation

आसूचना (intelligence)

आसूचना से तात्पर्य ऐसी मूल्यांकित गुप्त सूचना से है, जो किसी लक्ष्य के संबंध में उसकी जानकारी के बिना जो सरकार के निर्देशानुसार जनहित में एकत्र की जाती है। आसूचना कहलाती है।

आसूचना एकत्र करने के उद्धेश्य–

1. राष्ट्र में होने वाले आन्तरिक व बाहरी खतरों एवं धमकियों का पता लगना।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थान, राष्ट्रीय सम्पदा तकनीकी विज्ञान महत्वपूर्ण आंकडे एवं विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा योजना बनाना।
3. दुश्मन देश के एजेन्टों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की पहचान करना।
4. राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना।

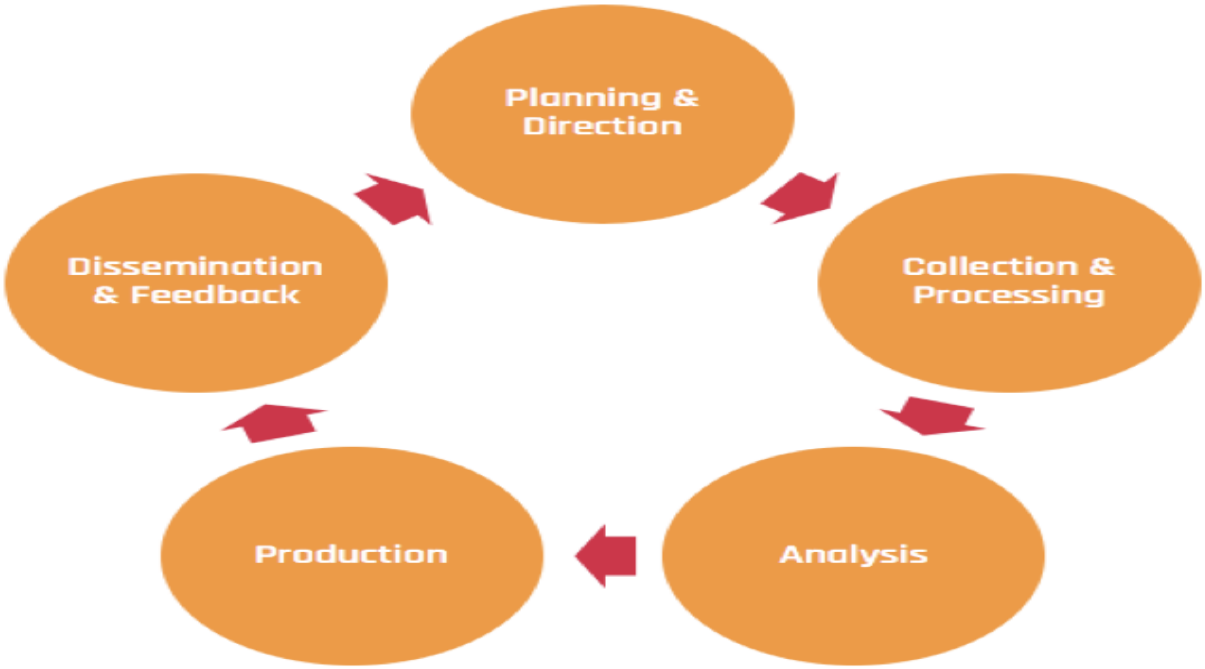

आसूचना संकलन दो माध्यमों से प्राप्त की जाती है–

1. खुले माध्यम से (Open Channel) समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, पम्पलेट, टेलीफोन डायरेक्ट्री, पत्रिकाएं, प्रदर्शनी, गजटपत्र, नोटिफिकेशन, वार्षिक रिपोर्ट, आमसभा, भाषण स्मारिकाएं, शोध पत्र, सर्वे रिपोर्ट आदि
2. गुप्त माध्यम से (secret Channel) गुप्त माध्यम से – यह दो तरीके से होता है –

।प्तकनीकी साधनों द्वारा ;Technical Methods)

I. मोनिटरिंग द्वारा एरियाल कम्युनीकेशन
II. बगिंग डिवाइस के द्वारा
III. टेलीफोन टेपिंग के द्वारा
IV. स्वचालित गुप्त फोटोग्राफी द्वारा
V. सी.सी.टी.वी.
VI. इन्टरनेट के द्वारा हैकिंग के द्वारा

ठण्गैर तकनीकी साधनों द्वारा;None Technical methods)

1.एजेन्ट या सूत्र बनाकर
2. अन्तावरोध द्वारा,
3.निगरानी के द्वारा
4.गुप्त जॉच के द्वारा
5.संदिग्ध से पूछताछ के द्वारा

लगभग 80–90 प्रतिशत आसूचनाऐं खुले माध्यम से प्राप्त होती हैं, एसएसबी मेन्यूअल के अध्याय –3 में आसूचना संकलन के प्रकार वर्णित है। शेष सूचनाऐं गुप्त तरीके से प्राप्त होती है।

आसूचना दो प्रकार की होती है :–

1. ऑफेन्सिव (आक्रामक)
2. डिफेन्सिव (रक्षात्मक)

(अ) ऑफेन्सिव (आक्रामक) :– सीमा पार से जो भी सूचनाऍ प्राप्त होती है उसे ऑफेन्सिव सूचना कहते है।

ऑफेन्सिव सूचनाऍ 2 प्रकार की होती है :–

1. विशिष्ट:– किसी कर्मचारी या अधिकारी को विशेष रूप से सूचना एकत्रित करने हेतु जो विषय दिया जाता है उसे विशिष्ट सूचना कहते है।

1. **जासूसी** :–जासूसी करके
2. **सहवर्जन** :–सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की सूचना निष्ठा परिर्वतन व विपदा बढाने की सूचना।
3. **तोड़फोड**:–1– एक्टिव सबोटाज – बम फैंक कर तोड़फोड़ की सूचना
   2– पैसिव सबोटाज – मशीन, कल कारखानों में तोड़ने की सूचना।

2. सामरिक :– दुश्मन देश की सेना के बारे मे जो भी सूचना प्राप्त है, जैसे सेना में कितने आदमी है, कितने हथियार, गोला–बारूद, राशन, एयरपोर्ट, पैट्रोलपम्पहै उसे सामरिक सूचना कहते हैं।

3. टैक्टीकल :– यह महत्वपूर्ण सूचना है, इसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, वरना इसका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे सूचना मिली कि पाकिस्तान, भारत पर 4 पी.एम पर आक्रमण करने वाला है तो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आतंकवादी हमला होने वाला है तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

(ब) डिफेन्सिव (रक्षात्मक) :– कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो सूचनाऍ एकत्रित की जाती है उन्हे डिफेन्सिव सूचना कहते है।

1– निरोधात्मक :–कानून द्वारा व बल द्वारा

2– डिटेक्टिव :– सीमा पर चौकसी, तस्करी पर निगरानी तथा उनकी सूचनाएँ एकत्रित करना।

1. **जासूसी**– जासूसो की जासूसी करना
2. **सबवर्जन**– सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा परिवर्तन कर जासूसी करना
3. **तोड़फोड़**– तोड़फोड़ करने वालों की सूचना पर खोजबीन कर कार्यवाही करना।

आसूचना संग्रह की विधियां एवं वितरण

आसूचना संकलन करने के तरीकों के आधार पर उसका वर्गीकरण मुख्य रूप से इस प्रकार किया जाता है:–

A. हार्ड इंटेलीजेन्सः– वे सूचनाएं जो प्रतिबंधित क्षेत्रों से प्राप्त की जाती हैं, हार्ड इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

B. सॉफ्ट इंटेलीजेन्सः– बिना किसी विशेष प्रयास के विभिन्न वार्तालाप के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, सॉफ्ट इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

C. ब्लेक इंटेलीजेन्सः– ऐसी सूचना सामान्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित नहीं की जाकर केवल विशेष कार्य में दक्ष व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, ब्लेक इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

D. व्हाईट इंटेलीजेन्सः–तकनीकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त करना जैसे– टेलीफोन टेपिंग, इन्टरसेप्शन द्वारा आदि व्हाईट इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

<u>रेजिंग एण्ड हेन्डलिंग ऑफ सोर्सेज :–</u>

सोर्स की परिभाषा– सूचना प्राप्त करने के जरिये को जिसमें सामान्य व्यक्ति, युद्धबंदी और दस्तावेज, तकनिकी साधन इत्यादि द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। सोर्स कहलाते है।

एजेन्ट की परिभाषा–वह व्यक्ति जो आसूचना अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है।

एजेन्ट के आवश्यक तत्व–

एजेन्ट एक व्यक्ति है।
जो टारगेट यूनिट में काम करता है या संबंधित है।
जो गुप्त रूप से सूचना प्राप्त कराने को तैयार हो जाता है।
जो इन्टैलीजेस ऑफिसर के नियंत्रण व निर्देशन में काम करता है।
और बदले में उसे पेमेंट दिया जाता है।

एजेन्ट के संबंध में प्राचीन परम्परा

- चीन के विचारक सुनजूः ने अपनी पुस्तक "आर्ट आफ बार" **(ART OF WAR)** 5 प्रकार केएजेन्ट बताऐ– नेटिव, इन साइड, डबल, लिविंग व एक्सपेडण्डेविल।
- चन्द्रगुप्त मौय के गुरू चाणक्यः ने अपनी पुस्तक "अर्थशास्त्र" में 9प्रकार **(NINE TYPES)** के एजेन्टों के बारे में बताया।
- बादशाह अकबर ने 4000 से ज्यादा एजेन्टों का इस्तेमाल किया जो कि मुख्यतः समाज के पिछडे वर्ग से थे।
- फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के अनुसार ठीक जगह पर होते हुऐ सूचना प्रदान करनें वाला एजेन्ट सेना की एक डिवीजन (300) की संख्या वाले सैनिकों के बराबर उपयोगी है।

एजेन्ट के गुण व क्षमताऐं

1. जो लचीला हो ओर मिलने के लिए आसानी से आ जा सके।
2. जो अपने ऑख, कान व मानसिक समझ का प्रयोग कर सके।

3. जो आसूचना अधिकारी के निर्देश को माने व समझे ।
4. जो लिखित रिपोर्ट दे सके या दस्तावेज उपलबध करा सके।
5. जो ऑपरेशन करते समय साथ हो।
6. जो सूचना को कन्फर्म करे व व्यक्तियों को पहचान (आइडेन्टीफाई) करा सके।
7. जो मिसिंग कड़ी के बारे में बता सके, आगे आने वाली गतिविधियों के बारे में बता सके और खतरों के बारे मे सतर्क कर सके।
8. जो प्रशिक्षित किया जा सके और जिसे ब्रीफ व डीब्रीफ किया जा सके, जो तर्कशील एवं आखों देखी कानों सूनी बात से तर्कसंगत नतीजे पर पहुॅच सकें।
9. जो तकनीकी स्टाफ को ऑपरेशन के सहायता उपलब्ध करा सकें।
10. जो काउन्टर इन्टैलीजेन्स के काम में दुश्मन की गतिविधि के उद्देश्यों को उजागर कर सकें।
11. व्यापक रूचि, ऑपरेशन करने के तरीके व उनके टारगेट के बारे में बतासके।
12. जो विद्रोही संगठनो में घुसपैठ कर सूचना प्रदान कर सके।
13. जो देश के बाहर की सूचना देने का साधन बन सके।
14. जो स्वंय सतर्क एवं सुरक्षित रहे।
15. जो बुद्विमान व भरोसेमंद हो।
16. जिसकी यादाशत अच्छी हो।
17. जो अच्छी तरह से अपनी पहचान छुपा सके।
18. जो लालची न हो।
19. जो जानकारी रखने का इच्छुक हो।

एजेन्ट के प्रकार–

1. **इनसाइडर एजेन्ट;Insider Agent) :–**जिसको टारगेट यूनिट मे स्पॉट, स्लैक्ट, कलटिवेट, रिक्रूट व ट्रेन करके टारगेट के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
2. **आर्ब्जवरएजेन्ट;Observer Agent)%&**जो सीमित क्षैत्र में इन्टैलीजैन्स के मतलब की गतिविधियों को देखकर या उनके बारे मे सुनकर सूचना देता है
3. **एजेन्ट प्रोवोकेटर; (Provocateur Agent)–**जो दुश्मन के क्षैत्र मे अपने अन्य साथियों से गलती करवा कर या कानून तुडवाकर उन्हे सजा दिलवाता है। वह गुटबाजी और कन्फ्यूजन पैदा कर के दुश्मन को नष्ट करने में सहायक होता है और सबवर्शन की आक्रामक कार्यवाही करता है।
4. **इनफिलट्रेटर एजेन्ट;(Infiltrator Agent):–**यह ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सावधानी से चुनाव करके, भलीभांति ट्रेन करके उसे गुप्त रूप से टारगेट क्षेत्र में भेजा जाता है ताकि टारगेट क्षेत्र मे रहकर काम करते हुऐ वहां की सूचना दे सके।
5. **डबल एजेन्ट;(Double Agent):–** यह ऐसे ऑरगेनाईगेशन में काम करता है जिसका कन्ट्रोल दुश्मन के पास हो। वह अपने आई ओ को और दुश्मन के संगठन अधिकारी इनदोनो को ही सूचना प्रदान करता है और इसीलिए डबल एजेन्ट कहलाता है।
6. **लीगल एजेन्ट;(Legal Agent):–**जो डिपलोमेटिक या अन्य व्यवसायिक माने जाने वाले कवरका उपयोग करके दुश्मन के क्षेत्र मे रहता है और सूचना एकत्रित करके गुप्त संचारमाध्यम से भेजता है जैसे ऐमबेसी का डिपलोमेन्ट या मिडियां का कोरसपोन्डेन्ट।
7. **रेजीडेन्ट एजेन्ट ;(Resident Agent):–**ऐसा एजेन्ट जिसे सलैक्ट व ट्रेण्ड करके टारगेट क्षैत्र में भेजकर वहां का नागरीक बनाया जाता है ताकि लम्बे समय तक टारगेट के बारे में सूचना एकत्रित कर सके एवं गुप्त माध्यम से भेज सके।
8. **वाकइन एजेन्ट(Self Acting):–**ऐसा एजेन्ट जो सुरक्षा अधिकारियों के पास जाकर टारगेट के बारे में गुप्त सूचना देने का काम करने की स्वयं इच्छा व्यक्त करता है और जिसे वैरिफिकेशन के बाद ही एजेन्ट बनाया जाता है।

एजेंट रनिंग (अवस्थाये)

1. आकस्मिक (CASUAL Agent)– कुछ समय के लिये कोई व्यक्ति मानसिक रूप से हमारे कन्ट्रोल में कार्य करता है और समय समय पर सूचनाऐं देता है।
2. अस्थाई एजेन्ट;(Temporary Agent)–जब कोई व्यक्ति आसूचना अधिकारी को सन्तोष जनक सूचनाऐं देने का कार्य करता हैं। वह अस्थाई एजेन्ट कहलाता है।
3. स्थाई एजेन्ट; (Permanent Agent)– जब कोई व्यक्ति लम्बे समय से विश्वसनीय सूचनाऐं आसूचना अधिकारी को देता है और इसका भुगतान प्राप्त करता है व स्थाई एजेन्ट कहलाता है।

एजेन्ट बनाते समय तीन (टी) का महत्व

1. **टास्क;TASK)**–आसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्य **(लक्ष्य)** एजेन्ट को दिया जाता है। ओर उसके संबंध में एजेन्ट लक्ष्य का इतिहास, विचारधारा या कार्यकारिणी इत्यादि की जानकारी लेकर आता है।
2. **टेलेन्ट;TELANT)**– लक्ष्य के बारे में जानने के बाद संगठन में कौन–कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी सूची प्राप्त करना।
3. **टारगेट;TARGET)**– हमने जो सूची प्राप्त की है उसमें से उपयोगी व्यक्ति की तलाश कर सूचनाऐं प्राप्त करना टारगेट कहलाता है।

एजेन्ट से संचार करते समय ध्यान रखी जाने वाले पाइंट

1.पर्सनल मीटिग पांइट
2 पूर्व निश्चित पांइट
3.अन्य स्थान जहां मीटिग की जा सके।
4.मूविंग मीटिग
5.डैड लेटर बॉक्स एवं लाइव लेटर बॉक्स के स्थान पूर्व में निश्चित करना

एजेन्ट की ब्रीफिग एवं डीब्रीफिग

ब्रीफिग

1. आसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्य **(लक्ष्य)** एजेन्ट को दिया जा रहा है उसकी संक्षिप्त जानकारी एजेन्ट को देना ।
2. आसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्य **(लक्ष्य)** एजेन्ट को दिया जाता है, उसके संबंध में आने वाले सम्भावित खतरों की जानकारी एजेन्ट को देना ।
3. आसूचना अधिकारी को किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है की जानकारी एजेन्ट को देना ।
4. आसूचना अधिकारी और एजेन्ट के बीच संचार माध्यम क्या रहेगा ।

डीब्रीफिग

1. आसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्य **(लक्ष्य)** एजेन्ट को दिया गया उसमें से जो सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई इसकी जानकारी एजेन्ट को देना ।
2. एजेन्ट को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडा उनका समाधान करना।
3. समस्याओं के समाधान के लिए क्या कवर लिया जाये।
4. एजेन्ट का भेद खुलने पर कया रणनीति होगी।

गुप्त जॉच (SECRET ENQUIRY)

परिभाषा :–

किसी जॉच के विषय में गुप्त रूप से उन सूचना स्त्रोत से जानकारी प्राप्त करना जहॉ सूचना उपलब्ध हो ऐसे प्रयास को गुप्त जॉच कहा जाता है।

गुप्त जॉच से मतलब है कि सूचना प्राप्त करने का ऐसा कौशल है जिसके द्वारा जॉच की विषयवस्तु, गतिविधि, व्यक्ति या संगठन की जानकारी गुप्त जॉच द्वारा की जाए।

गुप्त जॉच काउन्टर इन्टैलिजेन्स या प्रति आसूचना द्वारा की जानी वाली एक विशेष प्रक्रिया है। इस जॉच प्रक्रिया के अन्तर्गत आसूचना अधिकारियो को पुलिस या सुरक्षा से संबंधित अधिकार प्राप्त नही होते । देश के आम आदमी के पास जो सामान्य अधिकार होते है उनकाप्रयोग आसूचना अधिकारी गुप्त जॉच करते समय नही कर पाते। गुप्त जॉच करते समय आसूचना अधिकारियों को यह भी कठिनाई आती है कि जॉच करते समय उन्हे अपनी और अपने संगठन की वास्तविक पहचान को छुपाना पड़ता है।

गुप्त जॉच के सिद्वान्त :–

1. सही अनुमति प्राप्त किये बिना या सही कारण के बिना गुप्त जॉच नही करनी चाहिए।
2. सही योजना व तैयारी के साथ गुप्त जांच करनी चाहिए।
3. गुप्त जॉच प्रक्रिया का भेद खुलने की संभावना हो तो नही करनी चाहिए।
4. बिना कवर व एलीबी के गुप्त जांच नही करना चाहिए।
5. ट्रेड क्राफ्ट की ट्रेनिंग के बिना नही करनी चाहिए।

गुप्त जॉच के प्रकार :–

1.साधारण जॉच
2. आक्समिक जॉच
3. विशेष जॉच
4. प्रारूप जॉच
5. सर्वेक्षण जॉच

गुप्त जॉच की प्रकिया :–

1. योजना ओर उसकी तैयारी के साथ करनी चाहिए
2. विभिन्न चरणों में करनी चाहिए
3.जॉच समाप्ति के बाद रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण

गुप्त जॉच का विस्तार व उपयोगिता

आसूचना के काम में गुप्त जॉच की प्रक्रिया का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और इसलिए आसूचना को जीवन रेखा (स्पमि स्पदम)के रूप में माना जाता है।

मॉड्यूल – डी
अपराध रिकार्ड तैयार करना और उपयोग करना
Preparation & Use of Crime Records
importance of crime records :-

एक थानाधिकारी के मुख्यतः दो काम है

1. उसके क्षेत्र में कोई अपराध ना हो।
2. अगर कोई अपराध घटित हो जावें तो उसका त्वरित गति से अपराधी पकड़ा जावे।

यदि थानाधिकारी ने अपने थाने के अपराधिक रिकार्ड को बेहतर ढ़ग से संधारित कर रखा है तो वहा अविलम्ब अपराधियों तक पहुच कर अपराध की तह में जा सकता है तथा त्वरित गति से अपराधी को पकड़ा जा सकता है। थाने में संधारित रिकार्ड के आधार पर ही थानाधिकारी हॉर्डकोर अपराधी, आदतन अपराधी, हिस्ट्रीशीटर गुण्डा अपराधी आदि अपराधियों पर तुरंत कार्यवाही कर सकता है तथा उन्हे आगे और अपराध करने से रोका जा सकता है जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है वैसे ही थाना का रिकार्ड थाना इलाके का दर्पण होता है जो थाना इलाके की सम्पूर्ण तस्वीर थानाधिकारी के सामने प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार थाने के रिकार्ड़ का बहुत ज्यादा महत्त्व होता है। अतः प्रत्येक थानाधिकारी को थाना रिकार्ड को अपडेट रखना चाहिए तथा बार–बार इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि काफी सारी महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें।

Type or crime records ;अपराध अभिलेखों के प्रकार)रू.

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 3.35 के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर निम्नलिखित पुस्तकें, रजिस्टर, सूचियां इत्यादि जो स्थाई आदेश संख्या 6/83 के अन्तर्गत रखे जाने आवश्यक हैं, रखे जाते है। जिसके अनुसार निम्न अभिलेखों का संधारण किया जावेगा –

(क) अपराध अभिलेख			
1.	प्रथम सूचना रजिस्टर	2.	थाना डायरी (रोजनामचा)
3.	अपराध रजिस्टर	4.	मालखाना रजिस्टर
5.	चुराई गई व बरामद संपत्ति का	6.	गैंग रजिस्टर
7.	सजायब व संदिग्ध व्यक्तियों का	8.	निगरानी रजिस्टर
9.	वांछित व्यक्तियों का रजिस्टर	10.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का रजि.
11.	कार्य प्रणाली रजिस्टर	12.	गुमशुदगी रजिस्टर
13.	मर्ग रजिस्टर	14.	ग्राम्य अपराध रजिस्टर
15.	इंसदादी रजिस्टर	16.	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का
17.	गुप्त पंजिका	18	केस डायरी
(ख) कार्यालय अभिलेख			
19.	सम्मन वारंट रजिस्टर	20	पत्र प्राप्ति रजिस्टर
21.	पत्र प्रेषण रजिस्टर	22.	केश बुक
23.	डाक टिकिटों का रजिस्टर	24.	विदेशियों का रजिस्टर
25.	शिकायत पंजिका	26.	टेलीफोन रजिस्टर
27.	आकस्मिक अवकाश रजिस्टर	28.	एनकेशमेन्ट रजिस्टर
29.	हाजिरी रजिस्टर	30.	निरीक्षण रजिस्टर

31.	राजकीय संपत्ति रजिस्टर	32.	हथियार रजिस्टर
33.	चरित्र सत्यापन रजिस्टर	34.	जुर्माना वसूली रजिस्टर
35.	अर्द्धशासकीय पत्र रजिस्टर		
(ग) थाने पर रखी जाने वाली पत्रावलियां			
1.	स्थाई आदेश परिपत्र एवं निर्देश फाईल	2.	सरकार, पुलिस मुख्यालय, उच्च अधि0
3.	रेंज आई.जी./एस.पी. के आदेश	4.	अन्य पत्र व्यवहार की पत्रावली
5.	इन्क्वायरी स्लिप पर्चा अ व ब	6.	चार्जशीट पत्रावली
7.	अन्तिम रिपोर्ट पत्रावली	8.	निरीक्षण पत्रावली
9.	रिमाण्डशीट फाईल	10.	स्थाई पेशगी पत्रावली
11.	साप्ताहिक गुप्त प्रतिवेदन	12.	सर्च स्लिप
(घ) थाने पर रखी जाने वाली सूचियां			
1.	बताए गए रजिस्टर्स की सूची	2.	मासिक रिपोर्ट व नक्शों की सूची
3.	शराब, अफीम के लाईसेन्सधारियों की	4.	देहात या गांवों की सूची
5.	आर्मस एम्यूनीशन बेचनेवालों की सूची	6.	होटल, धर्मशाला, सराय आदि की सूची
7.	उत्सव मेले हाट की सूची	8.	डिस्पेन्सरी अस्पताल
9.	एस.आर. केस की सूची	10.	राजनैतिक दल व उनके कार्यालय

अ– इतिहास पंजिकायें (हिस्ट्रीशीट्स) – राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.8 के तहत इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट) तैयार की जाती है इसे स्वयं थाना प्रभारी या अनुभवी सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

1- अपराधी का विवरण इस तरह का होना चाहिए जिससे उसको पढ़ने वाला व्यक्ति अपराधी की तस्वीर बना सके। इसमें विशेष ध्यान उसके बोलने के तरीके चालढाल कोई विशेष पहचान चिन्ह हो तो उस पर देना चाहिए कि वह आसानी से पहचाना जा सके।

2- सम्बन्धियों और कनेक्शन्स की सूची इस तरह की होनी चाहिए कि यह पता चल सके कि वह कहां आश्रय ले सकता है।

3- सम्पत्तित एवं जीविका अर्जित करने के ढ़ंग के अन्तर्गत ऐसी प्रविष्टियां की जानी चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति का और अपराध का अनुमान सहज ही लगाया जा सके।

4- जिस अपराध से संबद्ध हो उसका विस्तार से विवरण देना चाहिए अपराध का तरीका उसके द्वारा अपनाई गई कोई विशेष प्रकार की विधि या हथियार या उपकरण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

नियम 4.9 में अंकित किया गया है कि हिस्ट्रीशीट कब खोली जावेगी –

1. सशर्त छोड़े गए अपराधियों को छोड़कर निगरानी रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिस्ट्रीशीट खोली जावेगी ।
2. जिस व्यक्ति का नाम निगरानी रजिस्टर में दर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए युक्तियुक्त कारणों से यह विश्वास किया जाता है कि अपराध का अभ्यासिक रूप से आदी है या ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने वाला दुष्प्रेरक है, हिस्ट्रीशीट ऐसे पुलिस अधिकारी के जो पुलिस निरीक्षक पद से नीचे का न हो उसके द्वारा या उसके लिखित आदेश के द्वारा खोली जावेगी।
3. सरकारी रेल्वे पुलिस उन अपराधियों के हिस्ट्रीशीट्स को रखेगी जिनके बारे में यह ज्ञात हो अथवा संदेह किया जाता हो कि वे पुलिस नियम 418 के अनुसार रेल्वे में हरकतें कर रहे हैं।

नियम 4.10 हिस्ट्रीशीट्स की अभिरक्षा,

नियम 4.11 हिस्ट्रीशीट्स की जांच राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दौरों पर

नियम 4.12 हिस्ट्रीशीट्स एवं वैयक्तिक पत्रावलियों को संव्यवहृत करना – ऐसे व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट जो अब अपराध का आदि नहीं है,उसकी वैयक्तिक पत्रावली में अन्तरित कर दिया जावेगा। एक व्यक्ति जो अपना आवास स्थान बदल लेता है और दूसरे थाना क्षेत्र में स्थाई रूप से बस जाता है तो उसके हिस्ट्रीशीट व वैयक्तिक पत्रावली भी उसी थाने में स्थानान्तरित कर दिए जावेंगे। जो व्यक्ति मर गया है उसका हिस्ट्रीशीट एवं वैयक्तिक पत्रावली नष्ट कर दी जावेगी। इस नियम में उल्लिखित सभी कार्यवाहियां किसी राजपत्रित अधिकारी के आदेशों के अनुसार ही की जावेगी।

नियम 4.13 वैयक्तिक पत्रावलियों का रखरखाव एवं उनका निपटारा

1. वैयक्तिक पत्रावली का खोले जाने को किसी संदिग्ध का अभिलेख एकत्रित करने का प्रथम स्टेज होना चाहिए। वैयक्तिक पत्रावली में वे सभी आधार होते हैं जिनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी यह मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इतिवृत्त खोला जाना है या नहीं।
2. निरर्थक वैयक्तिक पत्रावलियों के संचय को रोकने के लिए अधीक्षक अपने स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति के सात वर्ष तक सद्चरित्र रहने पर नष्ट करने के आदेश दे सकता है।

ब– ग्राम्य अपराध रजिस्टर :– यह रजिस्टर राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 3.47 के तहत रखा जाता है इस रजिस्टर के छह भाग होते हैं –

1.ग्राम समाज पर टिप्पणी
2. अपराध रजिस्टर
3.ग्राम्य अपराध के मामले जो उसी ग्राम में हुए हो।
4.सन्देहास्पद चरित्र के व्यक्तियों का विवरण।
5.गांव में अपराध पर गोपनीय टिप्पणियां।
6.वे प्रकरण जिनमें सजा दी गई है।

स–**राउडीशीट**– राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.17 के अनुसार तैयार किया जाता है इसके दो उद्देश्य होते हैं पहला दूसरे थाना क्षेत्र के उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जिनके बारे में यह विश्वास किया गया हो कि वे अपराधियों के आश्रय स्थल हैं और उनके थाना क्षेत्र में किए गए हैं। दूसरा सूचना पत्र या राउडीशीट को किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा निम्न व्यक्तियों के बारे में पूर्व वृत्तों को सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में किया जावेगा –

1. जिनके बारे में निश्चित रूप से यह विश्वास किया जाता है कि उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है चाहे वे गिरफ्तार हुए हो या नहीं ।
2. जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 के अधीन गिरफ्तार कर लिए गए हों।
3. जिनके बारे में निश्चित रूप से यह विश्वास किया जाता हो कि उनका चरित्र संदिग्ध है।

थाने का प्रभारी अधिकारी प्रपत्र 4.17(1) में एक सूचना पत्र यथाशीघ्र उस स्थान के थाना प्रभारी को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति अपना निवास करने का दावा करता है, तथा उसमें निम्नलिखित विवरण देगा –

1. उन परिस्थितियों का विवरण जिनमें वह व्यक्ति ध्यान में आया ।
2. वह अपराध जिसके बारे में विश्वास किया जाता हो कि उस व्यक्ति का संबंध रहा है।
3. उसके सहयोगियों के जिनके साथ वह रह रहा है नाम पते।
4. उस व्यक्ति द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में अपनी स्वयं की ख्याति एवं प्रस्थिति एवं उसके सहयोगियों के बारे में कोई विवरण दिया गया हो तो उसका विवरण जांच कार्यवाही के परिणाम का विस्तृत विवरण मय सहअभियुक्तों के नाम पते के लिखा जावेगा।

सूचना पत्रों को तीन प्रतियों में जारी किया जावेगा, एक प्रति पुलिस अधीक्षक के पास भेजी जावेगी दो प्रतियां संबंधित थानाधिकारी को भिजवाई जावेंगी । अन्तिम रूप से संदिग्ध या अपराधी समझे गए व्यक्तियों के बारे में सूचना पत्रों जारी करने वाले थाने में गांवों के बण्डल के अनुसार फाईल कर दिया जावेगा। जारी करने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों ही थानों में उन व्यक्तियों के सूचनापत्रों को नष्ट कर दिया जावेगा जिनके बारे में अन्तिम रूप से सद्चरित्र होना पाया गया है।

इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट)

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.8 के तहत इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट) तैयार की जाती है इसे स्वयं थाना प्रभारी या अनुभवी सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

1. अपराधी का विवरण इस तरह का होना चाहिए जिससे उसको पढ़ने वाला व्यक्ति अपराधी की तस्वीर बना सके। इसमें विशेष ध्यान उसके बोलने के तरीके चालढाल कोई विशेष पहचान चिन्ह हो तो उस पर देना चाहिए कि वह आसानी से पहचाना जा सके।
2. सम्बन्धियों और कनेक्शन्स की सूची इस तरह की होनी चाहिए कि यह पता चल सके कि वह कहां आश्रय ले सकता है।
3. सम्पत्ति एवं जीविका अर्जित करने के ढ़ंग के अन्तर्गत ऐसी प्रविष्टियां की जानी चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति का और अपराध का अनुमान सहज ही लगाया जा सके।
4. जिस अपराध से संबद्ध हो उसका विस्तार से विवरण देना चाहिए अपराध का तरीका उसके द्वारा अपनाई गई कोई विशेष प्रकार की विधि या हथियार या उपकरण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

हिस्ट्रीशीट खोलने और बन्द करने के राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.13 वैयक्तिक पत्रावलियों का रखरखाव एवं उनका निपटारा

1. वैयक्तिक पत्रावली का खोले जाने को किसी संदिग्ध का अभिलेख एकत्रित करने का प्रथम स्टेज होना चाहिए। वैयक्तिक पत्रावली में वे सभी आधार होते हैं जिनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी यह मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इतिवृत्त खोला जाना है या नहीं।

निरर्थक वैयक्तिक पत्रावलियों के संचय को रोकने के लिए अधीक्षक अपने स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति के सात वर्ष तक सद्चरित्र रहने पर नष्ट करने के आदेश दे सकता है।

अपराधों की रोकथाम में रिकॉड का विश्लेषण और उपयोग (Analysis and use of record in crime prevention and detection) :– एक थानाधिकारी के मुख्यतः दो काम हैं, अन्य सभी काम इन्हीं दो की परिधि में आते हैं। पहला उसके क्षेत्र में कोई अपराध ना हो और दूसरा यह कि यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसका त्वरित गति से भण्डाफोड़ हो। यदि थानाधिकारी ने अपने थाने के आपराधिक रिकार्ड को बेहतर ढ़ग से संधारित कर रखा है तो वह अविलम्ब अपराधियों तक पहुंचकर अपराध की तह में जाया जा सकता है। थानाधिकारी हार्डकोर क्रिमिनल्स, हिस्ट्रीशीट आदतन अपराधी आदि की गतिविधियों की पहचान कर उन पर रोक लगाकर इलाके की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है एक थानाधिकारी को अपराध नियंत्रण के लिए निम्न प्रयास करके अपराधों की रोकथाम कर सकता हैः–

1. गश्त की सुव्यवस्था :– अपराध नियंत्रण करने के लिए अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना और आपराधिक अभिलेख के आधार पर पिछले वर्ष और पिछले महीनों में घटित अपराध का विश्लेषण कर गश्त की कारगर व्यवस्था करनी चाहिए। यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और एक कुशल थानाधिकारी को व्यवसायिकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। समय–समय पर गश्त का अंकितक्षण भी करना चाहिए।
2. सक्रिय अपराधियों पर कठोर निगरानीः– सबसे पहले आपके क्षेत्र आस–पास के क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की पहचान करना एक आवश्यक काम है। थाने में उपलबध सक्रिय सूची का सत्यापन करें कि सूची में कितने अपराधी वास्तव में सक्रिय हैं । पीछे के कम से कम दस वर्ष के अपराधों की समीक्षा करके एक आधार तैयार किया जा सकता है । आसपास के थानों में सक्रिय अपराधियों की सूची बना लें एवं अपने थाना मुलाजमानो एवं चौकी मुलाजमानों को इसके बारे में अवगत करावें । इससे अपराधियों में इस बात का भय रहेगा कि वह निगरानी में है ।
3. आवारा संदिग्ध अपराधी तत्व के विरुद्ध धारा 109 के तहत कार्यवाही
4. अति सक्रिय और दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही । जो ज्ञात अति सक्रिय अपराधी है उनके विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए । ऐसे लोगों की पहचान कर छानबीन करें और उनके बारे में आसूचना एकत्र कर आपराधिक कदाचार के बारे में ,उनके उदण्ड आचरण के बारे में,समाज के कमजोर एवं शाति पसंद लोगों को धोंस एवं त्रास देने के बारे में रपट दर्ज करें । जब ऐसी सूचना प्रचुर हो जाये और यह

मालूम पड़े कि उसका कदाचार लोक शान्ति को खूब प्रभावित कर रहा है तो इनके विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव अपने पुलिस उप अधीक्षक से प्राप्त करें। इसके बाद की कार्यवाही अपने स्तर पर होगी।

5. निजीतौर पर और सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से प्रत्येक गश्त क्षेत्र में जाकर स्थिति का विश्लेषण और उसी के अनुसार ठोस कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक बीट में घूम–घूम कर जन–सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे लोगों से मधुर सम्पर्क बनाने चाहिए और यह विश्वास कारित किया जाना चाहिए ।
7. खुफिया ढंग से आसूचनाऐं एकत्रित करने के लिए खुफिया तंत्र विकसित करना चाहिए।
8. अपराध मानचित्र के सारे अपराधों का विश्लेषण करके उनके अनुसार अपनी रणनीति बनानी चाहिए ।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंन्तर्गत थाने के रिकार्ड का अध्ययन करने पर जो व्यक्ति राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के दायरे में आयेगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अंन्तर्गत धारा 2(ख) गुण्डा से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो –

9. या तो स्वयं या किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) अध्याय 17 (संपंत्ति के विरुद्ध अपराध) और अध्याय 22 (आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में अपराध) या धारा 290 से 294 भा.द.सं. का अपराध आदतन करता है, प्रयत्न करता है या उन्हें करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या
10. महिलाओं एवं कन्याओं में अनैतिक आचरण का दमन अधिनियम 1956 के अधीन दोष सिद्ध हो गया हो या
11. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
12. एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
13. राजस्थान लोक द्यूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
14. महिलाओं या कन्याओं के प्रति आदतन अभद्र टिप्पणी करता हुआ या उन्हें तंग करता हुआ पाया गया है या
15. हिंसा के कृत्य या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वाले लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त पाया गया है या
16. दंगा या शान्तिभंग, बलवा करने का आदी है बल पूर्वक चन्दा एकत्रित करने या स्वयं के लिए या अन्यों के लिए गैर कानूनी आर्थिक लाभ हेतु लोगों को डराने का अभ्यस्त है या जो व्यक्तियों या सम्पत्तितयों को चेतावनी देवे खतरा पैदा करने का या नुकसान करने का अभ्यस्त है।

धारा 3 :– गुण्डों का निष्कासन जहां जिला दण्डनायक इससे सन्तुष्ट होने पर कि उपधारा एक में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं जब तक कि ऐसी अवधि जो छह माह से अधिक की नहीं होगी तथा जिसका आदेश में उल्लेख किया जावेगा समाप्त न हो जावे लिखित आदेश द्वारा उसे जिले या जिले के किसी भाग से निष्कासन अवधि जो छह माह से अधिक नहीं होगी निदेश देगा कि स्वयं को उस अवधि के लिए प्रवेश करने से रोके। विहित तरीके से स्वयं की उपस्थिति की सूचना निर्दिष्ट व्यक्ति को देगा। किसी भी ऐसी वस्तु का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जावे उपयोग में लेने से मना करेगा। ऐसे तरीके से जो विनिर्दिष्ट किया जावे या अन्य प्रकार से स्वयं का आचरण करने के लिए उससे कहेगा।

थाना क्षेत्र में नकबजनी एवं वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निम्न कदम उठाएंगें –

(अ) थाना स्तर पर किए जाने वाले प्रयास–

1.अपराधों के घटित होने के स्थान को व समय को चिन्हित कर उस क्षेत्र व समय का चयन जहां पर सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं। उस स्थान पर आने–जाने के रास्ते और अपराधी द्वारा अपने आप को छुपाने की संभावित जगह की तलाश।
2.सम्पत्ति संबंधी अपराधों में तारीख पेशी पर आने वाले अभियुक्तों उनके ठहरने के स्थान और उनसे मिलने वाले व्यक्तियों की निगरानी।
3.सम्पत्ति संबंधी अपराधों के सजायब व्यक्तियों की सूची व उनकी वर्तमान गतिविधियों व निवास स्थान की जानकारी।
4.उनके मोबाईल नम्बर मालूम कर उनकी लोकेशन व अपराध के समय स्थान की तुलना।
5.बीट सिस्टम द्वारा बीट में आने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति का चरित्र सत्यापन।
6.चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों की निगरानी।
7.रात्री में व प्रातः जाने वाली बसों वाहनों की जांच संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी।
8.होटल धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जांच जो नियमित अन्तराल पर बार–बार आकर ठहरते हैं।
9.ऐसे व्यक्तियों की सूची जो थाना क्षेत्र में रहते हों और अचानक धनवान बन गए हों उनकी आय के स्रोत की जानकारी।
10.आटो ड्राईवर, टेक्सी ड्राईवर आदि से संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी के प्रयास।
11.हॉकर, फेरीवालों, ठेलेवालों, रिक्शा चालकों की जांच व निगरानी।
12.वाहन चोरी के संभावित स्थान पर सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति।
12.यदि संभव हो सके तो क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाने का प्रयास करना चाहिए।
(ब) जनता के सहयोग से किए जाने वाले कार्य –

1.सजग पड़ौसी योजना को प्रोत्साहन।
2.सीक्योरिटी सिस्टम अपनाए जाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3.जनता को सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहन।
4.चौकीदार की नियुक्ति ।

Computerization of crime records and its importance :- (क्राईम रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण तथा इसका महत्त्व) :– वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। अब लगभग सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण हो गया है। अतः पुलिस विभाग के भी समस्त रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण जरूरी है। अतः देश के सभी थानो का कम्प्यूटरीकरण के लिए सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके निम्न लाभ हैः– सीसीटीएनएस के सफल क्रियान्वयन के परिकल्पित अपेक्षित लाभ निम्नलिखित हैः

(क) पुलिस विभाग के लाभ

1- जांच के लिए परिवर्धित उपकरण।

2- अपराध एवं अपराधी सूचना के साथ–साथ अपराधियों की छाया तथा अंगुली चिन्ह का उन्नत खोज क्षमताओं का केंद्रीयकृत ज्ञान भंडार।

3- अपराध प्रतिरूपों का परिवर्धित विश्लेक्षण की क्षमता/ या कार्य प्रणाली।

4- सड़क घटनाएँ एवं अन्य दुर्घटनाओं के विश्लेक्षण की परिवर्धित क्षमता।

5- कार्यक्षेत्र में तैनात अधिकारियों को (अपराधी एवं परिवहन) का त्वरित परिणामों को विश्लेक्षण के लिए उपलब्ध कराना।

6- पुलिस थानों के पाशर्व कार्यालयी कार्य जैसे नियमित तथा अनौपचारिक रिपोर्टो तथा थाना अभिलेख प्रबंधन को तैयार करने में कमी आना।

7- एक सहयोगी ज्ञानोन्मुख परिवेश जहां विभिन्न क्षेत्रों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक का ज्ञान का आदान–प्रदान हो सके।

8- "इलैक्ट्रोनिक सूचना विनमय प्रणाली" कार्यान्वयन के माध्मय से बाहरी हिस्सेदारी के साथ उत्तम सहयोग और संचार।

(ख) गृह मंत्रालय (रा.अ.रि.ब्यरो) को लाभ

1- सम्पूर्ण देश के थानों में अपराध एवं अपराधिक आंकड़ों को मानकीकृत तरीकों से पकड़ना।

2- देश के प्रत्येक कोनों में अपराध एवं आपराधिक आंकड़ों को त्वरित तथा आसानी से पहुँच इस तरीके से जो प्रचलन तथा पैटर्न विश्लेक्षण में सुगम हो।

3- सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों अपराध पैटर्न का पता लगाने की कार्य प्रणाली की क्षमता का परिवर्धन तथा अपराध निवारण हेतु राज्य पुलिस को सहायता के लिए पहुंचना।

4- संसद से मांगी गई जानकारी, नागरिकों तथा नागरिक समूहों एवं सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी को अधिक परिशुद्धता से त्वरित गति से जवाब देने की क्षमता।

6- भविष्य में अपराध तथा अपराधिक प्रणाली का आसान तथा न्यूनतम कीमत पर मापक्रमणीयता।

(ग) नागरिकों को लाभ

1- पुलिस से सेवाओं का उपयोग करने के लिए विविध माध्यम।

2- याचिकाओं को पंजीकृत करने का सरलीकृत प्रक्रिया।

3- प्रमाणपत्रों, सप्यापनों तथा मंजूरी जैसी आम सेवाओं की पहुँच का सरलीकृत प्रक्रिया।

4- सुनवाई के दौरान केस की ट्रैकिंग के अचूक तरीके तथा सरलीकृत प्रक्रिया।

5- लावारिस/जब्त गाड़ियों तथा परिसंपतियों का अचूक तरीके से पहुँच तथा सरलीकृत प्रक्रिया।

6- शिकायतों के पंजीयन के माध्यम तथा सरलीकृत प्रक्रिया।

7- पीड़ितों तथा गवाहों के संबंध में उन्नत प्रबंधन।

8- आपात स्थिति में सहायता के लिए पुलिस द्वारा त्वरित एवं निश्चित जवाबदेही।

(घ) बाह्य विभागों को लाभ

1- उत्तम नागरिक सेवा वितरण एवं उन्नत कानून व्यवस्था के लिए पुलिस व्यस्थाओं के साथ निरंतर एकीकरण।

2- पुलिस विभाग के साथ अचूक सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान।

रेफरेन्स बुक 1. आधुनिक अपराध शास्त्र लेखक डॉ. जी.एल. शर्मा

2. अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र लेखक बसन्तीलाल बाबेल

मॉडल प्रश्न–उत्तर

प्रश्नः–1 अपराधशास्त्र से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करते हुए, विस्तार से वर्णन करे?

उत्तर – अपराध का अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को अपराधशास्त्र कहते हैं, विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 1,2 पर है।

प्रश्नः–2 पुलिस के लिए अपराधशास्त्र का क्या महत्व है? प्रकाश डालिये।

उत्तर – अपराधियों को पकडने , अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस के अपराधशास्त्र का ज्ञान होना काफी महत्वपूर्ण है । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 2,3 पर है।

प्रश्नः–3 अपराधों के विभिन्न कारको का वर्णन करे।

उत्तर – अपराध के विभिन्न कारक निम्न है– (अ) सामाजिक कारक (ब) आर्थिक कारक (स) मनोवैज्ञानिक कारक (द) राजनैतिक कारक । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 15,16,17 पर है।

प्रश्नः–4 संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें।

उत्तर – संगठित अपराध दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अन्तक्रिया के परिणामस्वरूप घटित होनेवाला अपराध है। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 21,22,23 पर है।

प्रश्नः–5 विभिन्न सामाजिक बुराईयों का वर्णन करें?

उत्तर – सामाजिक बुराईयां निम्नलिखित हैः–(अ) जुआ (ब) मद्यपान (स) मादक प्रदार्थ सेवन (द) वेश्यावृति। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 27,28,29 पर है।

प्रश्न :–6 दण्डशास्त्र से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें।

उत्तर – दण्ड एवं न्याय की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है , प्राचीन काल में राजा को ही विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था । राजा की आज्ञा का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 36,37,38 पर है।

प्रश्नः–7 आहत विज्ञान से आप क्या समझते हैं?

उत्तर – वह विज्ञान जिसमें आहतो या पीडितों का सर्वागीण एवं व्यवस्थित है आहत विज्ञान कहा जाता है । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 55,56 पर है।

प्रश्नः–8 आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख घटक कौन–कौन से हैं , वर्णन करें?

उत्तर –आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख घटक हैः– 1. पुलिस 2.न्यायपालिका 3.कारागार विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 59 पर है।

प्रश्नः–9 सामुदायिक पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें।

उत्तर– पुलिस के कार्यो में समाज के लोंगो द्वारा भागीदारी करना ही सामुदायिक पुलिसिंग है। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 62,63 पर है।

प्रश्नः–10 पुलिस जनता सम्बन्ध के बारे में वर्णन करें?

उत्तर– पुलिस व जनता के पारस्परिक सम्बन्धों व लगावों को ही पुलिस जनता सम्बन्ध कहा जाता है। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 62,63,64 पर है।

प्रश्नः–11 निम्न पर टिप्पणी लिखिएः–1 सुरक्ष सखी योजना 2 ग्राम रक्षक योजना 3.जनसहभागिता

उत्तर – विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 67,68 पर है।

प्रश्नः–12 निम्न पर टिप्पणी लिखिएः– 1. राजस्थान पुलिस मित्र योजना 2. स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना

उत्तर – विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 68,69 पर है।

प्रश्नः–13 बीट प्रणाली से आप क्या समझते है, वर्णन करें?

उत्तर– किसी पुलिस थाना या चौकी के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र को जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न हिस्सों मे बांट दिया जाता है जिसे बीट कहते है । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 75,76,77 पर है।

प्रश्नः–14 आपराधिक आसूचना (क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स) क्या हैं, वर्णन करें?

उत्तर – अपराधो के बारे में गुप्त रूप से जो सूचनाए प्राप्त की जाती है , उसे आपराधिक आसूचना कहा जाता है। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 87,88,89 पर है।

प्रश्नः–15 निगरानी से आप क्या समझते है ? वर्णन करें।

उत्तर – पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों व क्रिया कलापो के बारे में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने को ही निगरानी कहा जाता है, विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्य92,93 पर है।

प्रश्नः–16 निगरानी की विभिन्न तकनीको का वर्णन करें।

उत्तर – निगरानी दो प्रकार से की जाती है– 1. स्थिर निगरानी 2.गतिशील निगरानी विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 93,94,95,96 पर है।

प्रश्नः–17 निगरानी के विभिन्न उपकरणों कौन–कौन से होते है ?

उत्तर – निगरानी करने के लिए निम्न उपकरण होते है– 1. पोर्टेवल लॉगर 2. आर. एफ. ट्रॉसमीटर 3. जी.पी.आर.एस.(बग) 4. जी.पी.एस. लोकेटर 5. मोबाईल जैमर 6 हिडन कैमरा विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 100,101 पर है।

प्रश्नः–18 आसूचना से आप क्या समझते है? वर्णन करें?

उत्तर– आसूचना से तात्पर्य ऐसी मूल्याकिंत गुप्त सूचना से है जो किसी लक्ष्य के सम्बन्ध में उसकी जानकारी के बिना सरकार के निर्देश से जनहित में एकत्रित की जाती है । विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 102,103,104 पर है।

प्रश्नः–19 ऐजेन्ट (सोर्स) क्या होता है ?वर्णन करे।

उत्तर – वह व्यक्ति जो आसूचना अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है ऐजेन्ट कहलाता है। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 105,106,107 पर है।

प्रश्नः–20 विभिन्न प्रकार के रिकॉर्डस का कम्पुटरीकरण करने से क्या –क्या लाभ है? वर्णन करें।

उत्तर – वर्तमान युग कम्पयूटर का युग है । अब लगभग सभी विभागों मा कम्पयूटरीकरण हो गया है, अतः पुलिस विभाग के समस्त रिकार्ड का कम्पयूटरकरण करना भी जरूरी है, जिससे काफी लाभ प्राप्त होगा। विस्तृत उत्तर पृष्ठ संख्या 117,118 पर है।